Trans. Rv.
22.10.63.

तृतीय माला, खण्ड २१—अंक २२

बुधवार, ११ सितम्बर, १९६३

२० भाद्र, १८८५ (शक)

लोक-सभा
वाद-विवाद

(पांचवां सत्र)

3rd Lok Sabha

(खण्ड २१ में अंक २१ से अंक ३० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

एक रुपया

विषय सूची

[तृतीय माला, खण्ड २१—अंक २१ से ३०—१० से २१ सितम्बर, १९६३/१९ से ३० भाद्र, १८८५ (शक)]

अंक २१—मंगलवार, १० सितम्बर, १९६३/१९ भाद्र. १८८५ (शक) पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५८० से ५८३, ५८६ से ५८९, ५९७, ५९१ और ५९२ . . . . . २५७५–२६००

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५८४, ५८५, ५९०, ५९३ से ५९६ और ५९८ से ६०४ . . . . २६००–०६

अतारांकित प्रश्न संख्या १६६४ से १७४७ . . . २६०६–४२

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

कराची स्थित भारतीय उच्च आयोग के कुछ अधिकारियों को वापिस बुलाने की पाकिस्तान की कथित प्रार्थना . . २६४२–४४

वक्तव्य में कथित अशुद्धि के बारे में– . . २६४४–४५

विशेषाधिकार के कथित उल्लंघन के बारे में .. २६४५—४७

सभा पटल पर रखे गये पत्र २६४७

राज्य सभा से सन्देश २६४७

खाद्यान्नों की कीमतों में वृद्धि और खाद्य-नीति के बारे में प्रस्ताव २६४८—५५

राष्ट्रीय आय के वितरण के बारे में चर्चा . . . . २६५५—८१

संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . . . २६८१—९१

दैनिक संक्षेपिका . . . . . २६९२—९७

अंक २२—बुधवार, ११ सितम्बर, १९६३/२० भाद्र, १८८५(शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६०५ से ६१६ . . . . २६९९–२७२५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ . . . . . २७२६–३३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६१७ से ६२८ . . . . २७३३—३८

अतारांकित प्रश्न संख्या १७४८ से १८१७ . . . २७३८—७१

विषय	पृष्ठ
सभा के कार्य के बारे में	२७७१
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२७७१
संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	२७७२—८६
आगरा के निकट हुई विमान दुर्घटना के बारे में वक्तव्य	२७८६—८८
चीनी की स्थिति के बारे में चर्चा	२७८८—२८१६
दैनिक संक्षेपिका	२८१७—२१
अंक २३—गुरुवार, १२ सितम्बर, १९६३/२१ भाद्र, १८८५ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६२९, ६३५, ६३० से ६३४ और ६३६ से ६४०	२८२३—४७
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६४१ से ६५१	२८४७—५४
अतारांकित प्रश्न संख्या १८१८ से १८२३ और १८२५ से १८६३	२८५४—७१
अनिवार्य जमा योजना के बारे में	२८७१
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
स्वर्ण नियंत्रण आदेश	२८७२—७७
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२७७७—७८
राज्य सभा से सन्देश	२८७८—७९
भेषज तथा चमत्कारिक उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) संशोधन विधेयक—	२८७९
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में—सभा पटल पर रखा गया	२८७९
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—	
छठा प्रतिवेदन	२८७९
चीनी की स्थिति के बारे में चर्चा	२८७९—८८
संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	२८८८—२९०७
भेषज तथा श्रृंगार सामग्री (संशोधन) विधेयक	२९०७—१४
संयुक्त समिति को सौंपने की राज्य सभा की सिफ़ारिश से सहमति देने का प्रस्ताव	२९०७—१४
आगरा के निकट हुई विमान दुर्घटना के बारे में वक्तव्य	२९१४—१६
संनिक संक्षेपिका	२९१७—२२

†किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

विषय पृष्ठ

अंक २४—शुक्रवार, १३ सितम्बर, १९६३/२२ भाद्र, १८८५ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६५२ से ६५५, ६५७ से ६६६, ६६८ से ६७३ और ६७५ . . . . . २९२३—५५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६५६, ६६७ और ६७४ . . . २९५५–५६

अतारांकित प्रश्न संख्या १८६४ से १८९६ और १८९८ से १९०० .. . . . . २९५६—७३

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना— २९७३—८०

(१) एक मजिस्ट्रेट द्वारा फौजदारी के एक मुकदमे के स्थानान्तरण के बारे में एक शपथ पत्र दायर किये जाने के बारे में उच्चतम न्यायालय द्वारा कही गई न्याय संबंधी बातें

(२) चीनी दूतावास के पदाधिकारियों द्वारा दिल्ली में सरकारी सम्पत्ति पर साम्यवादी झण्डों के फोटो लिये जाने की कथित घटना

सभा पटल पर रखे गये पत्र २९८०–८१

राज्य सभा से सन्देश २९८१

लोक लेखा समिति—

तेरहवां प्रतिवेदन २९८१

याचिका का उपस्थापन . २९८१

सभा का कार्य . . . २९८१—८६

भेषज तथा श्रृंगार सामग्री (संशोधन) विधेयक— २९८६—३००१

राज्य सभा की संयुक्त समिति को सौंपने की सिफारिश से सहमति देने का प्रस्ताव

संविधान (संशोधन) विधेयक, १९६३ (अनुच्छेद १७१ का संशोधन)—(श्री सेझियान का)—पुरःस्थापित . . ३००१–०२

समवाय (संशोधन) विधेयक (धारा १५, ३० आदि का संशोधन)—(श्री प० ला० बारूपाल का)—वापिस लिया गया—

विचार करने का प्रस्ताव . . . ३००२—११

विषय	पृष्ठ
दंड विधि (संशोधन) विधेयक--(श्रीमती लक्ष्मी कान्तम्मा का)--परिचालित-	
विचार करने का प्रस्ताव	३०११—२४
परिचालन के लिए संशोधन--स्वीकृत .	३०२२—२४
संविधान (संशोधन) विधेयक, १९६२ (अनुच्छेद १३६, २२६ आदि का संशोधन)--(श्री श्रीनारायण दास का)--विचाराधीन--	
विचार करने का प्रस्ताव	३०२५
विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों के बारे में आधे घंटे की चर्चा .	३०२५—२७
दैनिक संक्षेपिका . .	३०२८—३२
अंक २५—सोमवार, १६ सितम्बर, १९६३/२५ भाद्र, १८८५ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या ६७६ से ६८४ और ६८६ . . .	३०३३—५६
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ . . .	३०५६—५८
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या ६८५, ६८७ से ६९०-क और ६९१ से ६९९ .	३०५९—६६
अतारांकित प्रश्न संख्या १९०१ से १९७४ . .	३०६६—९६
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना--	३०९६—३१०२
(१) चीनी दूतावास के पदाधिकारियों द्वारा दिल्ली में सरकारी सम्पत्ति पर साम्यवादी झण्डों के फोटो लिये जाने की कथित घटना	
(२) अनिवार्य जमा योजना पर कथित पुनर्विचार	
सभा पटल पर रखे गये पत्र .	३१०२—०३
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति .	३१०३
समिति के लिये निर्वाचन--	
भारतीय केन्द्रीय जूट समिति .	३१०३—०४
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव .	३१०४—३०
दैनिक संक्षेपिका	३१३१—३५
अंक २६—मंगलवार, १७ सितम्बर, १९६३/२६ भाद्र, १८८५ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या ७०० से ७०२, ७०४ से ७१० और ७१३ .	३१३७—६०

विषय	पृष्ठ
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६ और ७ . . .	३१६०—६३
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७०३, ७११, ७१२, ७१४ से ७१६, ७१६-क, और ७२० से ७२७	३१६४—७२
अतारांकित प्रश्न संख्या १६७५ से २००६, २००८ से २०७३, २०७३-क और २०७३-ख	३१७२—३२१७
दिनांक १६ अप्रैल, १६६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या १६५१ के उत्तर में शुद्धि . . .	३२१८
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
देश में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति	३२१८–१६
स्थगन प्रस्तावों और ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं के बारे में . .	३२१६–२०
सभा पटल पर रखे गये पत्र	३२२०–२१
लोक लेखा समिति—	
चौदहवां प्रतिवेदन	३२२१
आक्कलन समिति—	
अड़तीसवां प्रतिवेदन . .	३२२१
अनुपस्थिति की अनुमति	३२२१—२३
गन्दी बस्तियां (सुधार तथा सफाई) संशोधन विधेयक—पुरःस्थापित	३२२३
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव . . .	३२२३—५७
दैनिक संक्षेपिका . . .	३२५८—६४
अंक २७—बुधवार, १८ सितम्बर, १६६३/२७ भाद्र, १८८५ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७२८, ७३०, ७३१, ७३३, ७३५, ७३७ से ७४०, ७४२ और ७४३ . .	३२६५—६०
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ८ और ६	३२६०—६६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७२६, ७३२, ७३४, ७३६, ७४१, ७४४ से ७५३, ७५३-क और ७५५	३२६६—३३०३
अतारांकित प्रश्न संख्या २०७४ से २१४० और २१४२ से २१६१	३३०४—३६

विषय	पृष्ठ
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना—	३३४०–४५
(१) नागा विद्रोहियों द्वारा सुरक्षा सेना के छै व्यक्तियों के मारे जाने की कथित घटना	
(२) लाटीटीला में पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा गोली चलाये जाने की कथित घटना	
एक समाचार पत्र द्वारा सभा की कार्यवाहियों का अशुद्ध प्रकाशन किये जाने के बारे में . .	३३४५–४६
सभा पटल पर रखे गये पत्र	३३४६–४७
राज्य सभा से सन्देश	३३४७
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति-- छब्बीसवां प्रतिवेदन . .	३३४७
भेषज तथा शृंगार सामग्री (संशोधन) विधेयक—	३३४७–६१
राज्य सभा की संयुक्त समिति को सौंपने की सिफारिश से सहमति देने का प्रस्ताव .	३३४७
समय नियत करने के बारे में प्रस्ताव	३३६०—६१
संविधान (सत्रहवां संशोधन) विधेयक, १९६३—	३३६१–७९
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव . . .	३३६१
देश में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति	३३७९—८३
दैनिक संक्षेपिका	३३८४–९०
अंक २८—गुरुवार, १९ सितम्बर, १९६३/२८ भाद्र, १८८५ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७५६ से ७६६ . .	३३९१–३४१४
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १० और ११	३४१४–१८
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७६७ से ७८१ . . .	३४१८–२४
अतारांकित प्रश्न संख्या २१६२ से २२१७ और २२१७-क .	३४२४–४९
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	३४५०–५१
चीन में रहने वाले भारतीयों के साथ किया गया कथित अमानवीय व्यवहार	
स्थगन प्रस्ताव के बारे में	३४५२

विषय	पृष्ठ
सभा पटल पर रखे गये पत्र	३४५२–५३
संसदीय समिति के कार्यवाही सारांश . . .	३४५३–५४
लोक लेखा समिति—	
पद्रहवां प्रतिवेदन . . .	३४५४
संविधान (सत्रहवां संशोधन) विधेयक, १९६३—	३४५४—८६
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव . .	३४५४
तारांकित प्रश्न संख्या ७६० के बारे में वक्तव्य—	
विदेशी बैंकों में मंत्रियों के खाते	३४५८–५९
नेफा जांच के बारे में चर्चा . .	३४८६—९२
आकाशवाणी से प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में आधे घंटे की चर्चा	३४९२—३५००
दैनिक संक्षेपिका .	३५०१–०६

अंक २९—शुक्रवार, २० सितम्बर, १९६३/२९ भाद्र, १८८५ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७८२ से ८५, ७८७, ७८९, ७९० तथा ७९२ से ७९८	३५०७—३२
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १२ तथा १३ .	३५३२—३६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७८६, ७८८, ७९१, ७९९ तथा ८०० से ८०४ .	३५३६—४०
अतारांकित प्रश्न संख्या २२१८ से २२७३ .	३५४०—६३
स्थगन प्रस्ताव और ध्यान दिलाने के प्रस्ताव की सूचना के बारे में	३५६३–६४
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना .	३५६४—६६, ३६०९—१२
(१) पूर्वी पाकिस्तान की सीमा के निकट चांगसानी स्टेशन के यार्ड में एक माल डिब्बे में से गेलेटाइन बक्सों की चोरी	
(२) पश्चिम बंगाल में खाद्य तथा चीनी की स्थिति	
(३) कलकत्ता में कपड़े की कीमतों में वृद्धि .	
सभा पटल पर रख गये पत्र .	३५६७—६९
प्राक्कलन समिति	
सिफारिशों के उत्तर	३५६९

विषय	पृष्ठ
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति . .	३५६९
कार्यवाही सारांश . .	३५६९
सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक प्रबन्ध के बारे में विवरण सभा पटल पर रखा गया . .	३५६९
गौहाटी तेल शोधक कारखाने के बारे म वक्तव्य . . .	३५६९–७०
सरकारी आश्वासनों के बारे में	३५७१
नेफा जांच के बारे में चर्चा तथा "हमारी प्रतिरक्षा तैयारी" के बारे में प्रस्ताव	३५७१—९१
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
छब्बीसवां प्रतिवेदन . . .	३५९२
भारत प्रतिरक्षा अधिनियम के बारे में संकल्प—अस्वीकृत . .	३५९२—३६००
सशस्त्र सेनाओं के लिये निवृत्ति-वेतन के बारे में संकल्प . .	३६००—१२
मौरिस कारों के बारे में आधे घंटे की चर्चा	३६१२—१७
दैनिक संक्षेपिका	३६१८—२४

अंक ३०—शनिवार, २१ सितम्बर, १९६३/३० भाद्र, १८८५ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १४ से १८ . . .	३६२५—३२
आसाम–पूर्वी पाकिस्तान सीमा पर गोली चलाना बन्द किये जाने के बारे में वक्तव्य	३६३२—३६
स्वर्ण-नियंत्रण तथा अनिवार्य जमा योजनाओं के बारे में वक्तव्य . .	३६३६—४१
सभा पटल पर रखे गये पत्र	३६४१
याचिका समिति	
कार्यवाही-सारांश .	३६४ १
राज्य सभा से सन्देश	३६४१
मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में	६६४२
नेफा जांच संबंधी प्रतिवेदन पर चर्चा के बारे में . .	३६४२
नेफा जांच के बारे में चर्चा तथा "हमारी प्रतिरक्षा तैयारी" के बारे में प्रस्ताव	३६४३—८३

विषय	पृष्ठ
सरकारी उपक्रमों सबंधी समिति के बारे में प्रस्ताव . .	३६८३—८५
तारांकित प्रश्न संख्या ७४३ के उत्तर में शुद्धि	३६८५
दैनिक संक्षेपिका	३६८६–८७
पांचवे सत्र का कार्यवाही संक्षेप . . .	३६८८—९०, १–९

नोट :–मौखिक उत्तर वाले प्रश्न मे किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

GMGIPND—LS III 1305 (Ai) LSD—28-10-63—160.

लोक-सभा

बुधवार, ११ सितम्बर, १९६३

२० भाद्र, १८८५ (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

केरल में समुद्र द्वारा भूमि का कटाव

+

*६०५. श्री यशपाल सिंह :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री मणियंगाडन :
श्री प्र० के० देव
श्री कपूर सिंह :
श्री केसर लाल :
श्री कोया :
श्री इम्बीचीबावा :
श्री मे० क० कुमारन :
श्री जेना :
श्री वासुदेवन नायर :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल राज्य में इस वर्ष दो गांव समुद्र के कटाव से बह गये हैं और लगभग डेढ़ सौ परिवार बेघर हो गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को केन्द्रीय सरकार ने कितनी सहायता दी है ?

†मूल अंग्रेजी में

1270 (Ai) LSD—1.

†**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)**: (क) केरल में समुद्र द्वारा भूमि का कटाव होने का बारह गांवों तथा २१ अन्य स्थानों पर प्रभाव पड़ा था।

(ख) सहायता कार्यों के हेतु केन्द्रीय सरकार को सहायता के लिये राज्य सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ था।

श्री यशपाल सिंह : क्या महाराष्ट्र सरकार की तरह से केरल सरकार ने कोई रिक्लेमेशन स्कीम नहीं बना रक्खी है जिससे उनका बचाव हो सके ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो उनको पता होगा...

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा)** : भूमि कटाव-विरोधी रक्षार्थ कार्यों की यह योजना उस राज्य की पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित है। उनकी योजना में लगभग ३,६०,००,००० रुपये का उपबन्ध है।

श्री यशपाल सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि जब यह नैचुरल कलैमिटी है, और हम को उसका मुकाबला करना है, तो उनके लिये सरकार क्या फाइनेन्शल एड दे रही है ?

†**श्री नन्दा** : इस प्रयोजन के लिये पंचवर्षीय योजना में शत प्रतिशत सहायता है।

†**श्री अ० क० गोपालन** : क्या राज्य सरकार ने पिछले छः महीनों में वहां की हाल की विपत्तियों के बारे में केन्द्र को लिखा है और क्या यह सच है कि उन्होंने ६२ लाख रुपये के अनुदान की प्रार्थना की है, यदि हां, तो क्या मैं जान सकता हूं कि केन्द्र ने कितना रुपया दिया है अथवा राज्य सरकार की इस प्रार्थना पर केन्द्र की प्रतिक्रिया क्या है ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : वर्तमान विपत्ति के बारे में हमें राज्य सरकार से कोई प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई है। जिस ओर माननीय सदस्य का उल्लेख है वह बात यह है कि उन्होंने समुद्र द्वारा भूमि के कटाव को रोकने के उपायों के लिये, जिसमें बाढ़ नियन्त्रण भी सम्मिलित है, ६० लाख रुपये के अतिरिक्त व्यय की मांग की है।

†**श्री अ० क० गोपालन** : श्रीमान्, मेरा प्रश्न था कि क्या राज्य सरकार की प्रार्थना के अनुसार केन्द्र ने हमें उन्हें कोई रुपया दिया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह जानना चाहते हैं कि क्या उस मांग में से कुछ दिया गया है।

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : यह प्रार्थना मुख्य मन्त्री से अभी हाल ही में प्राप्त हुई है। इसे योजना आयोग के पास भेज दिया गया है और वे इस पर विचार करेंगे।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : क्या मैं जान सकता हूं कि इस समय कौन से निवारक उपाय किये जा रहे हैं और तीसरी पंचवर्षीय योजना में ३,६०,००,००० रुपये के उपबन्ध में से कितनी राशि इन पर खर्च की गई है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह एक सामान्य प्रश्न है और उस योजना के बारे में नहीं है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : मैं जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में कौन से निवारक उपाय किये गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : द्वितीय योजनावधि में लगभग २० मील लम्बी तटीय पट्टी को समुद्र द्वारा भूमि कटाव को रोकने के काम के लिये लिया गया था और वह काम पूरा हो गया है। तीसरी योजनावधि के लिये माननीय गृह-कार्य मन्त्री पहले ही बता चुके हैं कि समुद्र द्वारा भूमि कटाव रोकने के काम के लिये ३,६०,००,००० रुपये का उपबन्ध है। इस राशि को वे समुद्र तट की लगभग २५ मील लम्बी पट्टी के संरक्षण के लिये इस्तैमाल करेंगे।

†**श्री कपूर सिंह** : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह विशेष विनाश समुद्री भूकम्प के कारण हुआ है अथवा नियमित ज्वारभाटे से। यदि ज्वारभाटे से हुआ हो तो क्या सरकार का विचार इन गांवों के प्रतिरोपण का है ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : किस वैज्ञानिक विधि से समुद्र द्वारा भूमि कटाव होता है, इस बारे में तो स्पष्टतः नहीं जानती परन्तु जिन परिवारों पर वास्तव में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है उन्हें अन्य स्थानों में पुनः बसा दिया गया है।

†**श्री कपूर सिंह** : श्रीमान्, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह जानना चाहते हैं कि क्या यह नियमित ज्वारभाटे के कारण है।

†**श्री नन्दा** : कुछ इलाकों में ऐसा ऐसा ज्वारभाटे के कारण भी होता है परन्तु यह ज्वारभाटे के कारण नहीं है।

†**श्री वासुदेवन नायर** : माननीय उपमन्त्री ने कहा है कि इस विशेष मामले में केरल सरकार ने किसी विशिष्ट सहायता की मांग नहीं की है। क्या मैं माननीय मन्त्री का ध्यान इस तथ्यकी ओर दिला सकता हूं कि कम से कम उनके एक सहयोगी, श्री अलगेशन, इस दुखद घटना के दौरान वहां हो आए हैं और क्या मैं जान सकता हू कि क्या उस विशेष मन्त्रालय ने इस बारे में गृह-कार्य मन्त्रालय को कोई प्रतिवेदन दिया है तथा पीड़ितों की तुरन्त सहायता करने पर जोर दिया है ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : इस विशेष प्रश्न का सम्बन्ध समुद्र द्वारा भूमि कटाव के कारण हुई प्राकृतिक विपत्ति से है जबकि बाढ़ नियन्त्रण तथा समुद्र द्वारा भूमि कटाव का सामान्य कार्य-क्रम सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय द्वारा चलाया जा रहा है। जहां तक उस मन्त्रालय का सम्बन्ध है, मेरा विचार है कि केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग ने केरल में एक अधिकारी भेजा था जिसने इंग्लैण्ड में समुद्र द्वारा भूमि कटाव का प्रशिक्षण लिया था। उसने सलाह दी और केरल सरकार उस पर कुछ कार्यवाही कर रही है।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री चेट्टियार।

†**श्री वासुदेवन नायर** : श्रीमान्, क्या मैं...

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं श्री चेट्टियार को बुला चुका हूं मैं बाद में उन्हें अवसर दे दूंगा।

†**श्री रामनाथन चेट्टियार** : एक माननीय सदस्य द्वारा पूछे गये अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में माननीय गृह-कार्य उपमन्त्री ने कहा था कि ६० लाख रुपये की सहायता का प्रश्न, जो कि एक करोड़ से कुछ ही कम है, योजना आयोग को सौंप दिया गया है। क्या मैं जान सकता हूं कि केरल राज्य में

---

†मूल अंग्रेजी में

समुद्र द्वारा भूमि कटाव के महत्व को देखते हुये क्या सहायता के लिये किसी ऐसे आवेदन-पत्र पर यदि वह एक करोड़ रुपये से कम हो, योजना आयोग को भेजे बिना स्वयं गृह-कार्य मन्त्रालय ही विचार तथा स्वीकृत नहीं कर सकता ?

†**श्री नन्दा :** मैं सदन को बता दूं कि योजना आयोग पहले ही इस प्रश्न पर विचार कर चुका है और उसने अपना निर्णय दे दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : श्री जाधव ।

श्री रा० स० तिवारी: चार वर्ष पूर्व यह कटाव शुरू हो गया था, तब यह कहा गया था इसकी रोकथाम के लिये प्रबन्ध किया जा रहा है . . .

अध्यक्ष महोदय : श्री जाधव आपका ही नाम है ? मैंने श्री जाधव का नाम बुलाया था ।

†**श्री तुलसीदास जाधव :** क्या मैं जान सकता हूं कि क्या राज्यों में प्राकृतिक विपत्तियों के आने पर केन्द्र तथा राज्यों के बीच सहायता का कोई अनुपात है ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर :** जी हां । राज्य सरकार द्वारा आय-व्ययक में किये गये उपबन्ध के अतिरिक्त यदि कोई अधिक मांग होती है तो उसका एक भाग केन्द्रीय सरकार द्वारा दिया जाता है ।

श्री रा० स० तिवारी : तीन चार साल पूर्व ही इस कटाव को रोकने के लिये कुछ रुपया इकट्ठा किया गया था । जब वह ३ करोड़ रुपया उसके सुधार के लिये है तो जो नया कटाव हो गया है उसके लिये कितनी रकम रक्खी गई है ?

श्री नन्दा : यह ३ करोड़ ७ लाख रु० जो प्लैन में था उसमें से कुछ रुपया खर्च हो चुका है । २ करोड़ के करीब खर्च हो चुका है । उसके अलावा उनकी मांग है ।

श्री शिव नारायण : मैं जानना चाहता हूं कि जो १५० फैमिलीज इस वक्त तबाह हो गई हैं उनको तत्काल क्या सहायता दी गई है ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर :** जिन २७९ परिवारों पर समुद्र द्वारा भूमि कटाव का प्रभाव पड़ा था उनमें से ४९ परिवारों को उसी जिले में निकटवर्ती स्थानों में बसा दिया गया है ।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ :** क्या मैं जान सकता हूं कि इस योजना के लिये धन स्वीकृत करने से पहले क्या केन्द्रीय सरकार ने इस बात का विश्वास कर लिया है कि समुद्र द्वारा भूमि कटाव के निवारण की योजनायें प्रगतिशील देशों द्वारा अपनाई गई आधुनिक पद्धतियों पर आधारित थीं ?

†**श्री नन्दा :** ऐसा कर लिया गया है । ये योजनायें पूना के अनुसन्धान केन्द्र में किये गये कुछ प्रयोगों के परिणामस्वरूप तैयार की गई हैं ।

†**श्री वासुदेवन नायर :** जब मैंने इस प्रश्न की सूचना दी थी तो मैंने इसे सिंचाई और विद्युत मंत्रालय द्वारा उत्तर दिये जाने के लिये भेजा था क्योंकि इस विषय की उस मंत्रालय द्वारा जांच हो रही है । अब क्योंकि कुछ नामों को एक साथ जोड़ा जा रहा है, यह गृह-कार्य मंत्रालय को चला गया है । इस विषय पर गृह-कार्य मंत्रालय से प्रश्न पूछने का कोई अर्थ नहीं है क्योंकि उनके पास तथ्य

---

†मूल अंग्रेजी में

नहीं हैं ; केवल सिंचाई और विद्युत मंत्रालय ही इन प्रश्नों का उत्तर दे सकता है। फिर भी इस प्रश्न को गृह-कर्य मंत्रालय द्वारा उत्तर दिये जाने के लिए रखा गया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : इसकी जांच हो सकती है।

†**श्री अ० क० गोपालन** : क्या यह बात सरकार के ध्यान में आई है कि यदि तत्काल कार्य-वाही न की गई तो कुछ स्थानों में राजपथ तथा रेलवे लाइनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाला है ? अतः स्थिति का सामना करने के लिए क्या केन्द्र उन्हें तुरन्त आवश्यक सहायता देगा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह कार्यवाही के लिये सुझाव है।

सम्पूर्णानन्द समिति

+

*६०६. **श्री भागवत झा आजाद** :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री वारियर :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री घुलेश्वर मीना :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति के सम्बन्ध में सम्पूर्णानन्द समिति की सिफारिशों पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का अन्तिम निर्णय क्या है ?

†**शिक्षा मंत्रालय के भारसाधक मंत्री (श्री हुमायून कबिर)** : (क) और (ख). सिफारिशों पर केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा मई, १९६३ में पचमढ़ी में हुई उसकी पिछली बैठक में विचार किया गया है और मामला सरकार के विचाराधीन है।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या मैं जान सकता हूं कि यह प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया गया था और विगत समय में विभिन्न समितियों द्वारा दिये गये प्रतिवेदनों के अलावा इस प्रतिवेदन पर विचार करने में सरकार को और कितना समय लगेगा ?

†**श्री हुमायून कबिर** : सिफारिशें बहुत सामान्य प्रकार की थीं। मैंने उन्हें देखा है। वास्तव में वे सिफारिशें ऐसी हैं जो पहले ही बहुत समय से कार्य रूप में रही हैं।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या इसका मतलब यह है कि इस समिति की सभी सिफारिशों को सम्पूर्णानन्द समिति की स्थापना से भी पहले क्रियान्वित किया जा रहा है ? यदि हां, तो इस समिति को किस विशिष्ट प्रयोजन के लिये बनाया गया था ?

†**श्री हुमायून कबिर** : समय समय पर स्थिति का पुनर्विलोकन करना सदा ही वांछनीय होता है ; परन्तु मैं उनमें से एक सिफारिश को पढ़ देता हूं : "विभिन्न मंत्रियों तथा राज्य सरकारों द्वारा विचार कर लिये जाने के बाद ही निर्णय करना चाहिये और जब एक बार निर्णय हो जाये तो यह एक अखिल भारतीय नीति बन जानी चाहिये।" यह स्पष्ट है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री वासुदेवन नायर :** माननीय मंत्री जी ने कहा है कि सभी सिफारिशों को पहले ही क्रियान्वित किया जा रहा था। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस समिति के प्रतिवेदन में कोई नई बात है ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** मुझे अफसोस है कि मुझे कोई नई बात नहीं मिली है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** सम्पूर्णानन्द समिति द्वारा कुछ बहुत ही विशिष्ट सुझाव दिये गये थे, विशेषतः तीन प्रावस्थाओं में शिक्षा की पद्धति के बारे में। मैं जानना चाहती हूं कि सरकार का प्रस्ताव क्या है। क्या सरकार पहले केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की विभिन्न समितियों के प्रतिवेदनों की प्रतीक्षा करेगी और फिर निर्णय करेगी अथवा वह उन विशिष्ट प्रस्तावों पर, जो सामान्य रीति के नहीं हैं, स्वयं विचार करेगी ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** जैसा कि मैंने अभी अभी कहा है सिफारिशें सामान्य रूप की थीं और बहुत विशिष्ट नहीं थीं। जहां तक शिक्षा का सम्बन्ध है, कार्यक्रमों का लगातार सर्वेक्षण किया जाता है तथा शिक्षा पद्धति में कोई क्रान्तिकारी परिवर्तन नहीं हो सकता।

†**श्री रामचन्द्र उलाका :** क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सभी राज्य सरकारें इन सिफारिशों के पक्ष में हैं ; यदि नहीं, तो किन राज्यों ने इन सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया है तथा क्यों ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** किसी भी राज्य सरकार ने इन में से किसी सिफारिश के विरुद्ध मत व्यक्त नहीं किया है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा है, वे ऐसी चीजें हैं जो सिद्धान्त रूप में काफी लम्बे समय से कार्यरूप में रही हैं। वास्तविक क्रियान्विति के बारे में राज्यों में मतभेद है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** वह गलत बात कह रहे हैं।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** यह समिति शिक्षा के सम्बन्ध में एक राष्ट्रीय नीति बनाने के लिये नियुक्त की गई थी और मंत्री महोदय ने जो कुछ कहा है उससे लगता है कि यह समिति अनावश्यक थी परन्तु फिर भी इसे बनाया गया। क्या मैं जान सकता हूं कि जहां तक राष्ट्रीय नीति विश्वविद्यालय शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा तथा प्राथमिक शिक्षा से सम्बन्धित है इस समिति की सिफारिशें क्या हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह तो एक लम्बी चीज हो जायेगी।

†**श्री हुमायून कबिर :** यह तो लगभग सारा प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देने के बराबर होगा।

†**श्रीमती सावित्री निगम:** क्या मैं जान सकती हूं कि क्या इस समिति द्वारा बच्चों को नैतिक तथा धार्मिक शिक्षा देने की संभावना की कोई जांच की गई है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या माननीय सदस्य उस प्रतिवेदन को देख सकते हैं ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** जी हां।

†**श्री वाजी :** माननाय मंत्री ने कहा है कि प्रतिवेदन पर शिक्षा बोर्ड द्वारा विचार किया गया था और अब सरकार के विचाराधीन है। तब उन्होंने कहा कि कोई नये सुझाव नहीं हैं। इसलिये मैं साफ साफ जानना चहता हूं कि यदि कोई नये सुझाव नहीं हैं तो कौन सी बातें सरकार के विचाराधीन हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हुमायून् कबिर** : शिक्षा में नीति का पुनर्विलोकन होता रहता है और जैसा कि मैंने कहा है, उनका लगातार पुनर्विलोकन होता रहना चाहिये। जो कार्यक्रम चल रहे हैं उन पर विचार करने के लिये केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की प्रत्येक वर्ष बैठक होती है।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न। श्री वारियर।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या सरकार की नीतियां जारी रहने वाली नहीं हैं ?

अध्यक्ष महोदय : श्री वासुदेवन नायर।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या एक एक पल के बाद परिवर्तन होते हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मैंने अगला प्रश्न ले लिया है।

महिला शिक्षा कार्यक्रम

†*६०७. **श्री वासुदेवन नायर** :
श्री वारियर :
श्री म० ना० स्वामी :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद् ने राष्ट्रीय आपात के कारण महिला शिक्षा कार्यक्रम में की गई कटौती को पुनः स्थापित करने के लिये सरकार पर ज़ोर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

†**शिक्षा मंत्रालय के भार-साधक मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) जी हां।

(ख) कार्यक्रम क्योंकि मुख्यतया राज्यक्षेत्र में हैं, इसलिये सिफारिश उपयुक्त कार्यवाही के लिये राज्य सरकारों के ध्यान में ले आई गई है।

†**श्री वासुदेवन नायर** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार से विशेषतः महिला शिक्षा के प्रसार के लिये योजना में किये गये आवंटनों के अतिरिक्त और आवंटन करने की प्रार्थना की गई थी और यदि हां, तो सरकार का रवैया क्या है ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : जी हां, ऐसी सिफारिशें की गई थीं और सरकार उनके प्रति बड़ी सहानुभूति रखती है। तथ्य यह है कि हम ने राज्य सरकारों के साथ इस मामले को उठाया है और प्रार्थना की है कि जहां कहीं कोई कटौती की गई है उसे पुनः स्थापित किया जाना चाहिये। मुझे यह कहते हुए खुशी होती है कि केवल कुछ ही राज्वों ने कटौती की थी।

†**श्री वासुदेवन नायर** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार समय समय पर महिला शिक्षा में होने वाली प्रगति की जांच कर रही है और यदि हां, तो क्या सरकार प्रगति से सन्तुष्ट है ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : हम प्रगति से सन्तुष्ट नहीं हैं और हम जांच कर रहे हैं। यही कारण है कि एक विशेष प्रयास आवश्यक है। मुझे आशा है कि तीसरी योजना के पूर्ण होने से पहले हम कुछ न कुछ कमी को पूरा कर लेंगे, परन्तु कमी बहुत ज्यादा है जिसे कि हमें पूरा करना है और तीन या चार वर्षों में इसे मिटाया नहीं जा सकता।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० सरोजिनी महिषी** : क्या मैं जान सकती हूं कि क्या सरकार राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर की गई सिफारिशों को क्रियान्वित करने का प्रयत्न कर रही है तथा उन विभिन्न मंत्रालयों में, जो महिला शिक्षा के इस कार्यक्रम को चला रहे हैं, समन्वय लाने के लिये भी प्रयत्नशील है ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : जी हां, जैसा कि मैंने कहा है, हम इस आशय के लिये यथासंभव विशेष प्रयास करना चाहते हैं कि तीसरी योजना के दौरान महिलाओं तथा लड़कियों की शिक्षा में प्रगति हो ।

†**श्री मान सिंह पू० पटेल** : इस बात को देखते हुए कि माध्यमिक शिक्षा का प्रबन्ध गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है , क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार महिलाओं के लिये इन माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं के संचालन के लिये अतिरिक्त अनुदान देने पर विचार करती है ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : यह इस प्रश्न से तो उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : क्या मैं जान सकती हूं कि किन राज्यों ने कटौतियां की है और क्या उन राज्यों में महिला शिक्षा में कोई प्रगति हुई है ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : जिन राज्यों ने कटौतियां की थीं वे हैं उड़ीसा, पंजाब,उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, देहली और मनीपुर । इन में से बिहार तथा मनीपुर राज्यों ने कहा है कि वे कटौतियों को पुर:स्थापित कर देंगे और हम दूसरों को कटौतियां पुर:स्थापित करने के लिये प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : मेरे केवल आधे प्रश्न का उत्तर दिया गया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : दो सवाल क्योंकि जोड़ दिये गये थे इसलिये एक का जबाब दे दिया गया है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती**: क्या मैं जान सकती हूं कि क्या सरकार ने राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद् की इस मांग पर विचार किया है कि जिन केन्द्रीय उत्प्रेरक कार्यक्रमों को तीसरी योजना में सीमित कर दिया गया था उन्हें पुर:स्थापित किया जाना चाहिये और इसे राज्यों की उच्चतम सीमा में रखने की बजाय, जिस के परिणामस्वरूप यह जानना बड़ा कठिन है कि धन का कितना भाग महिला शिक्षा के लिये इस्तेमाल किया जा रहा है और कितना इस प्रयोजन के लिये इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, राज्यों की उच्चतम सीमा के बाहर आवंटन होना चाहिये ।

†**श्री हुमायून् कबिर** : यह कार्यवाही के लिये सुझाव है जिसे मैं ध्यान में रखूंगा ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : नहीं, नहीं, यह तो सिफारिशों में से एक है मैं जानना चाहती हूं कि इस पर उनकी प्रतिक्रिया क्या है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि यह एक सुझाव नहीं है, तो कुछ तर्क दिये गये गये।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : तर्कों को छोड़ दीजिये । मैं जानना चाहती हूं कि महिला शिक्षा के लिये केन्द्रीय उत्प्रेरक कार्यक्रमों को, जिन्हें तीसरी योजना में सीमित कर दिया गया था, पुन: चलाने के बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है

†**श्री हुमायून् कबिर** : जैसा कि मैंने कहा है, हम इस आशय के लिये विशेष प्रयास कर रहे हैं कि अतिरिक्त धन दिया जाय।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती शारदा मुकर्जी :** क्या मैं जान सकती हूं कि कितने राज्य महिला माध्यमिक स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं ?

†**श्री हुमायून कबिर :** मुझे सूचना चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय :** अगला प्रश्न ।

†**श्रीमती शारदा मुकर्जी :** मेरा तो सीधा-सादा प्रश्न था ।

†**अध्यक्ष महोदय :** सदस्य के लिये सीधा-सादा प्रश्न हो सकता है परन्तु हो सकता है कि मंत्री के लिये यह सीधा-सादा न हो । अगला प्रश्न ।

सड़कों के निर्माण की लागत

\+

†*६०८. **श्रीसुबोध हंसदा :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सड़क अनुसन्धान संस्था सड़कों तथा इमारतों के निर्माण की लागत कम कर पाई है ;

(ख) यदि हां, तो लागत किस तरीके से कम की गई है; और

(ग) सड़क निर्माण में प्रति मील कितनी राशि बचाई गई है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर) :** (क) जी हां, सड़कों के बारे में है ।

(ख) सस्ती निर्माण-सामग्री तथा उत्तम ढंगों का प्रयोग कर के ।

(ग) अनुमान है कि प्रयुक्त सामग्री तथा ढंगों एवं अन्य स्थानीय स्थितियों के आधार पर ५,००० रु० से १५,००० रु० प्रति मील तक की बचत हो सकती है ।

†**श्री सुबोध हंसदा :** क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने नये कार्य विवरण मान लिये हैं और उन्हें अन्य व्यक्तिगत ठेकेदारों ने भी मान लिया है ?

†**श्री हुमायून कबिर :** जी हां । इस पर भारतीय सड़क संगठन ने विचार किया है और हमने भी राज्य सरकारों के साथ विचार विमर्श किया है । अब ये कुछ सुधार किये जा रहे हैं ।

†**श्री सुबोध हंसदा :** संस्था ने जिन नये विवरणों का पता लगाया है क्या उनका प्रदर्शन करने के लिये अनुसन्धान संस्था ने कोई अग्रिम योजना तैयार की थी ?

†**श्री हुमायून कबिर :** जी हां सड़क के निर्माण में स्थिरीकृत मिट्टी के प्रयोग में काफी प्रगति हुई है । कलकत्ता में किये गये अनुभवों के परिणाम स्वरूप यह पाया गया है कि सड़क की निचली परत में पत्थरों के स्थान पर स्थिरीकृत मिट्टी का प्रयोग करना पूर्णतया सन्तोष-

---

†मूल अंग्रेजी में

जनक रहता है पंजाब में भी एसे ही प्रयोगों से पता लगा है कि सड़कों की ऊपरी परत में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है ।

†**श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :** श्रीमन्, यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि सड़कों के निर्माण की लागत में कमी की गई है । लेकिन क्या इस बात की जांच की गई है कि इसका सड़कों की मजबूती पर क्या असर पड़ेगा ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** संक्षेप में सड़कों में सुधार करने के लिए ये सुधार किये जा रहे हैं ।

†**श्रीमती सावित्री निगम :** यह कहां तक सच है कि इसके बावजूद कि ये नये विवरण भारतीय सड़क कांग्रेस ने स्वीकार कर लिये हैं और अन्य सभी प्राधिकार भी स्वीकार कर चुके हैं । अब दिल्ली तथा अन्य स्थानों पर भी सड़कें पुराने विवरणों के अनुसार बन रही हैं । इस के क्या कारण हैं ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** वास्तव में, निश्चय किया गया है कि समूचे निर्माण में से लगभग ४२ से ५० प्रतिशत नये विवरणों के अनुसार होगा और हम इसे धीरे-धीरे बढ़ायेंगे ।

श्री विभूति मिश्र : अभी मंत्री जी ने बताया कि सामानों के हेरफेर से १५,००० रुपया प्रति मील खर्च में कमी हो जाएगी । मैं जानना चाहता हूं कि कौन सा सामान पहले लगाया जाता था और अब उसके बदले में कौन सा सामान लगाया जाएगा जिस से इतना खर्चा घट जाएगा से बतलाने की कृपा कीजिए ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** यह उत्तम ढंगों का प्रश्न है । पांच-छः ढंगों का प्रयोग हो रहा है और यदि मैं उन सबका वर्णन करूं तो इस में सभा का काफी समय लग जायेगा । अतः मैं केवल एक उदाहरण दूंगा । भूतकाल में किसी भी अधिक यातायात वाली सड़क के आधार के रूप में पत्थरों तथा रोड़ियों का प्रयोग किया जाता था । परन्तु प्रयोग के फसल-स्वरूप देखा गया है कि इसके लिए तैयार की गई मिट्टी और विशेषरूप से मिलाई गयी मिट्टी का प्रयोग हो सकता है । तत्काल इस से व्यय में पर्याप्त बचत हो गई है ।

श्री काशी राम गुप्त : यह जो सेविंग होगी, यह क्या हर एक प्रदेश में हो सकेगी और क्य राजस्थान भी इस में शामिल है ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** यह स्थानीय हालतों पर निर्भर होगा । उदाहरणार्थ, यदि सड़क एसे क्षेत्र में बनाई जाती है जहां काली कपास उपजाऊ मिट्टी है, तो स्पष्ट है कि बचत काफी न होगी । परन्तु यदि आप किसी अन्य क्षेत्र में बनाते हैं, तो स्थानीय उपलब्ध सामान और उपयुक्त ढंग के आधार पर बचत ५००० रु० से १५,००० रु० या २०,००० रु० प्रति मील हो सकती है ।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** क्या पहाड़ी प्रदेशों में सड़क निर्माण के ये ढंग लागू हैं और यदि हां, तो पहाड़ी क्षत्रों तथा रेगिस्तानी क्षेत्रों में सड़कें बनाने में कितनी बचत होगी ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** मैं भारत में प्रत्येक क्षेत्र संबंधी ब्यौरा नहीं दे सकता । मैं ने मोटी सी बात बता दी है और प्रत्येक राज्य को वास्तविक बचत की गणना स्वयं करनी होगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी : क्या ये नये तरीके पहाड़ी तथा रेगिस्तानी प्रदेश में भी लागू हैं या नहीं ?

प्रतियोगी परीक्षाओं में हिन्दी

*६०९. **श्री भक्त दर्शन** :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री प० ला० बारूपाल :
श्री कछवाय :
श्री रामेश्वरानन्द :

क्या गृह-कार्य मंत्री २७ मार्च, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ६०६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रपति के आदेश के अनुसरण में संघ लोक सेवा आयोग की उच्च परीक्षाओं में हिन्दी एक वैकल्पिक माध्यम के रूप में किस तिथि से लागू की जायेगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस) : हिन्दी को वैकल्पिक रूप में माध्यम बनाने के संबंध में कुछ सवाल अभी भी विचाराधीन हैं। इसलिये शासन कोई निश्चित तिथि बताने में समर्थ नहीं है। तिथि की सूचना उचित समय पर दी जावेगी।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, स्वर्गीय पंत जी की अध्यक्षता में राजभाषा समिति ने जो सिफारिश की थी उस को हुए कई वर्ष हो गये। उस के बाद राष्ट्रपति जी का आदेश निकले भी काफ़ी समय हो गया, मैं निश्चित रूप से यह जानना चाहता हूं कि आखिर गाड़ी कहां पर अटकी हुई है और किस वजह से इतनी देरी हो रही है ?

श्री हजरनवीस : यह एक जटिल प्रश्न है और इस में बहुत से अन्य प्रश्न उठते हैं और उनके ऊपर विचार चल रहा है। संघ लोक सेवा आयोग के साथ भी परामर्श हो रहा है। विशेष कर इस में एक जटिल प्रश्न यह उठता है कि अगर हिन्दी में प्रश्नपत्रिका लिखी जाय और अंग्रजी में लिखी जाय तो उनका आपस का अर्थात् परस्पर सम्बन्ध कैसा हो, इस जटिल प्रश्न के बारे में सोचा जा रहा है।

श्री भक्त दर्शन : क्या गृह मंत्री महोदय ने जैसा कि व्यक्तित्व परीक्षा यानी पर्सनालिटी टैस्ट के बारे में आश्वासन दिया था, क्या व इस स्थिति में है कि यह एलान कर सकें कि देर से देर अगले अधिवेशन तक इस के बारे में भी निर्णय किया जा सकेगा ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : वह तो मैं कह ही चुका हूं।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या मैं यह जान सकता हूं कि राजभाषा विधेयक में संघ लोक सेवा आयोग के लिये हिन्दी को वैकल्पिक माध्यम बनाने सम्बन्धी धारा को केवल इसलिये नहीं रक्खा गया था कि भूतपूर्व गृह-मंत्री स्वर्गीय पंत जी के समय मंत्रिमंडल ने सर्वसम्मति से यह निश्चय कर लिया गया था कि संघ लोक सेवा आयोग में हिन्दी को शीघ्र ही माध्यम बनाया जाय।

और अब तक देर करने से विश्वविद्यालयों में भी हिन्दी को माध्यम बनाने के सम्बन्ध में कुछ कठिनाई उत्पन्न हो रही है, यदि हां, तो इस को देखते हुए सरकार कब तक इस

†मूल अंग्रेजी में

इस पर अन्तिम निर्णय ले सकेगी ? और क्या गृह मंत्री जी इस सम्बन्ध में कुछ निर्देश देंगे ?

श्री हजरनवीस : इस बारे में निर्णय शीघ्र से शीघ्र होगा लेकिन जैसा मैंने कहा यह एक जटिल प्रश्न है। अब: एक विषय उच्च गणित हो सकता है, विज्ञानशास्त्र हो सकता है, और रसायनशास्त्र हो सकता है, अब अगर उन विषयों की प्रश्नपत्रिकाएं हिन्दी में लिखी जायें तो उन के लिये जो पुस्तकें चाहियें वे पुस्तकें आज उपलब्ध नहीं है। हिन्दी में किस तरह से उनको अच्छी तरह से लिखा जाय इसमें भी उनको अड़चन होने की सम्भावना है तो इन सब बातों पर विचार चल रहा है और जल्द से जल्द उस बारे में निर्णय किया जायेगा।

†**श्री कपूर सिंह :** क्या भारत की अन्य बड़ी भाषाओं को भी साथ ही साथ ऐसी ही वैकल्पिक मान्यता दी जायेगी ?

†**श्री हजरनवीस :** हां, यह सुझाव रखा गया है, परन्तु इससे हिन्दी लागू करने की अपेक्षा और अधिक कठिनाइयां उत्पन्न हो जायेंगी।

श्री रामसेवक यादव : अभी मंत्री जी ने कहा कि हिन्दी में अच्छी पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं तो इस दिशा में सरकार की ओर से क्या किया गया या अभी क्या किया जा रहा है ?

श्री हजरनवीस : हिन्दी में अच्छी से अच्छी किताब जल्द से जल्द तैयार करने के लिये कोशिश हो रही है।

श्री भगवत झा आजाद : चूंकि हिन्दी का माध्यम एच्छिक होगा इसलिये हिन्दी में अच्छी पाठ्यक्रम सम्बन्धी पुस्तकों के अनउपलब्ध रहने से एग्ज़ामिनीज़ को कठिनाई नहीं होनी चाहिये इसलिये मंत्री महोदय ने उस तरह का उत्तर कैसे दिया ?

†**श्री हजरनवीस :** परन्तु यह बहुत संभव है कि परीक्षार्थी स्वयं इस बात के सर्वोत्तम निर्णयकर्ता न हों कि उनके लिये क्या अच्छी है।

उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा

†*६१०. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री सरजू पाण्डेय :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय शिक्षा मंत्रणा बोर्ड की स्थायी समिति ने यह अनुमान लगाया है कि तृतीय योजना काल के अन्त में उत्तर प्रदेश में ६ से ११ वर्ष तक की आयु के ४५ लाख बच्चे स्कूलों में नहीं जा रहे होंगे।

(ख) इस अत्यन्त दुखद समस्या को हल करने में उत्तर प्रदेश सरकार की सहायता करने के लिये संघ सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ;

(ग) क्या इस मामले में अन्य राज्यों से भी समाचार प्राप्त हुए हैं; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) यदि हां, तो क्या उनसे यह आशा है कि प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में वे अपनी समस्याओं को हल कर लेंगे ?

†**शिक्षा मंत्रालय के भारसाधक मंत्री (श्री हुमायूं कबिर)** : (क) केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थायी समिति की रिपोर्ट अभी सरकार को पेश नहीं की गई।

(ख) से (घ) स्कूल न जाने वाले बच्चों का नाम लिखना बढ़ाने के लिये अपेक्षित अधिक अध्यापकों की संख्या के बारे में सभी राज्य सरकारों से जानकारी एकत्रित की गई है। उत्तर प्रदेश सहित राज्यों को प्रारम्भिक शिक्षा का विस्तार करने के लिये तेज़ी से वित्तीय सहायता देने का प्रश्न विचाराधीन है।

†**श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** : क्या सरकार के ध्यान में यह बात रहती है कि संविधान में प्राथमिक शिक्षा के सम्बन्ध में कुछ स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं, यह प्रश्न केवल उत्तर प्रदेश का नहीं है सारे देश का है तो ऐसी स्थिति में इस प्रश्न के खंड (ख) को ध्यान में रखते हुए सरकार ने क्या स्पष्ट क़दम उठाया है।

†**श्री हुमायून् कबिर** : हम अनेक कार्यवाही कर रहे हैं। उदाहरणार्थ, राज्य योजनाओं के बारे में हमने कहा है कि प्रारम्भिक शिक्षा का विकास करने के लिये अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए शतप्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जायगी, स्त्री शिक्षा की विशेष योजनाओं के लिए १०० प्रतिशत केन्द्रीय शिक्षा दी जायेगी; प्राइमरी स्कूलों में और अध्यापकों की नियुक्ति के लिए ५० प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जायेगी; प्राइमरी स्कूलों के विद्यार्थियों को छात्रवृति देने के लिए ७५ प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जायेगी ; अध्यापकों के वेतन बढ़ाने की योजनाओं के लिए ५० प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जायेगी।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : माननीय मंत्री ने जो क़दम उठाने का प्रमाण दिया उसका नतीजा यह हुआ है कि १९४७ के बाद १९६३ में इस देश में निरक्षरों की संख्या बढ़ गई है, तो इस गम्भीर स्थिति को देखते हुए सरकार द्वारा क्या विशेष क़दम उठाये जायेंगे ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : हम भरसक प्रयत्न करेंगे। मुझे खेद है कि वास्तव में उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां स्थिति सर्वाधिक गम्भीर है। जिन राज्यों को शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ा हुआ कहा जाता है, उनमें ७ या ८ वर्ष पहिले उत्तर प्रदेश प्रथम था। परन्तु आज यह राज्य एक दम नीचे है।

श्री सरजू पाण्डेय : मंत्री जी ने बतलाया कि उत्तर प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ है तो मैं जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या केन्द्र से कोई ख़ास धनराशि मांगी है जिससे वहां पर प्राइमरी शिक्षा का विस्तार हो सके ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : मैंने बताया कि दुर्भाग्यवश उत्तर प्रदेश पीछे रह गया है और हम इस स्थिति के बदलनेके लिये विशेष कार्यवाही कर रहे हैं। हम किसी भी मांग पर सहृदयता-पूर्ण विचार करेंगे। इसके अतिरिक्त यदि उत्तर प्रदेश निरक्षता समाप्त करने के लिये कोई

†मूल अंग्रेजी में

विशेष प्रयत्न करता है और आरम्भ में स्कूल जाने वाले बच्चों को सुविधा देता है तो हम उनकी मांग पूरी करने का भरसक प्रयास करेंगे।

†**श्री त्यागी** : धन्यवाद

श्री सरजू पाण्डेय : मैं यह जानना चाहता हूं कि ऐफर्टस उन्होंने क्या कीं ?

अध्यक्ष महोदय : इसके लिये जो कुछ वे रिक्वैस्ट करेंगे, यहां से वे उसमें मदद करेंगे।

श्री ओंकार लाल बेरवा : गांवों के अन्दर स्कूलों और मास्टरों की व्यवस्था कम होने के कारण गांवों के अन्दर बहुत ज्यादा तादाद में लड़के अनपढ़ होते हैं, मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इसके लिये क्या कोशिश कर रही है ?

श्री हुमायूं कबिर : मैंने जवाब दिया कि अगर वे इसके लिये और अधिक टीचर्स नियुक्त करना चाहेंगे तो उस के लिये हम मदद करेंगे। अगर वे टीचर्स की तनख्वाहें बढ़ाना चाहेंगे तो उसमें भी हम मदद करेंगे। यह सब हम करेंगे ?

श्री यशपाल सिंह : क्या अब तक कोई ऐसी स्टेट्स हैं जहां कि प्राइमरी एजुकेशन कम्पलसरी नहीं की गई है और वे प्राइमरी एजुकेशन में लैग बिहांइड कर रही हैं ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : छः राज्यों में प्रारम्भिक शिक्षा का अभाव है। अनिवार्यता का प्रश्न इतना महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि जहां सुविधायें हैं, अधिकतर अन्य राज्यों में, वास्तव में हम मांग पूर्ति नहीं कर सकते। यदि राज्य आगे बढ़ते हैं तो केन्द्र सहायता देगा।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : क्या मैं यह जान सकता हूं कि मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर गया है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों के सम्बन्ध में यह निर्णय किया गया था कि उन का वेतन ४५ रुपये मासिक से बढ़ा कर ५० रुपये मासिक कर दिया जायगा, इतने कम वेतन पर अध्यापक उपलब्ध नहीं हैं इसीलिये विद्यार्थियों को शिक्षा देने में भी कुछ कठिनाई अनुभव हो रही है ?

श्री हुमायून् कबिर : मैं समझता हूं कि श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने जो मैंने अभी जवाब में कहा था उसको सुना नहीं। मैंने बतलाया कि अगर वह तनख्वाह बढ़ायेंगे तो उसके लिये हम ५० परसैंट ग्रांट देने को तैयार हैं। मैं मानता हूं कि टीचर्स की तनख्वाह बढ़नी चाहिए।

श्री राम सहाय पाण्डेय : उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त, तृतीय पंचवर्षीय योजना में जो संख्या निर्धारित की गई है ६ से ११ वर्ष की उम्र के लिये मैं जानना चाहता हूं कि क्या शिक्षा मंत्री महोदय इस ओर कदम उठायेंगे कि तमाम राज्यों से यह सूचना मंगाये कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्दर जो संख्या निर्धारित की गई थी उसमें कितनी कमी पड़ेगी और उनकी सहायता के लिये क्या उपाय होगा ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : सहायता के बारे में मैं पहिले ही कह चुका हूं कि हम क्या करेंगे। हम प्रति वर्ष जानकारी एकत्रित कर रहे हैं। मैं सहमत हूं कि यह निश्चित करने का विशेष प्रयत्न किया जाना चाहिये कि तीसरी योजना के अन्त से पहिले स्कूल जाने वाले बच्चों में से अधिकतर बच्चे स्कूल जाने लगें।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दाजी** : क्या सरकार को ज्ञात है कि ६ से ११ वर्ष तक आयु के बच्चे कितने हैं जिन्हें शिक्षा नहीं मिलती, और उनके लिये कितने अधिक अध्यापकों की जरूरत होगी ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : हां, इसके हमारे पास मोटे आंकड़े हैं।

†**श्री दाजी** : कृपया यह बताइये। यह उत्तर नहीं है।

†**श्री हुमायून् कबिर** : इसकी गणना आसानी से की जा सकती है क्योंकि मोटे तौर पर आरम्भिक विद्यालयों के विद्यार्थियों की संख्या कुल संख्या की १२½ प्रतिशत है। मेरे पास निश्चित आंकड़े इस समय तो हैं नहीं, मुझे इसकी गणना करनी होगी।

श्री द्वारकानाथ तिवारी : अभी मंत्री जी ने बयान दिया कि किसी स्कीम को १०० परसेंट, किसी को ७५ परसेंट और किसी को ५० परसेंट सैंट्रल एड दी जायेगी। मैं यह जानना चाहता हूं कि वह १०० परसेंट, ७५ परसेंट और ५० परसेंट फिक्स करने में क्या क्राइटेरियन रखा गया है ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : यदि माननीय सदस्य मेरी उल्लिखित बातों को देखें तो उससे स्पष्ट हो जायेगा कि विभिन्न दर क्यों रखी गई है। प्रत्यक्ष है कि अध्यापक प्रशिक्षण मूल बात है। यदि हमें प्रशिक्षित अध्यापक पर्याप्त संख्या में मिल जाते हैं, तो निरक्षरता की समस्या का समाधान हो जायेगा। अतः हम वहां १०० प्रतिशत सहायता दे रहे हैं। इसी प्रकार, क्योंकि लड़कियां पर्याप्त संख्या में शिक्षा नहीं पाती हैं, इसलिये हम स्त्री शिक्षा के लिये १०० प्रतिशत सहायता दे रहे हैं। अतः यह अनुपात निर्धारित करने का हमारा निश्चित सिद्धान्त है।

†**श्री त्यागी** : क्या मैं यह समझूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी तक राज्य में शिक्षा के विस्तार के लिये किसी सहायता अनुदान की केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना नहीं की है ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : जी नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार के लिए वह अनुचित होगा। हम यह चाहते हैं कि अधिक विशेष योजनायें बनायें।

†**श्री त्यागी** : क्या उन्हें उत्तर प्रदेश से कोई प्रार्थना नहीं मिली ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : मुझे इसकी जांच करनी होगी।

मिर्जापुर जिले में कोयले के निक्षेप

*६११. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में कोयले के बड़े निक्षेप हैं; और

(ख) यदि हां, तो उक्त कोयला निक्षेपों का विदोहन करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

†**खान और ईंधन मंत्री के सभा सचिव (श्री तिम्मय्या)** : (क) जी हां।

(ख) केन्द्रीय सरकार ने कोयला क्षेत्र में २०.६५ वर्ग मील (५८.५० वर्ग किलोमीटर) का क्षेत्र अधिसूचित किया है और खोज कार्य आरम्भ हो गया है। राष्ट्रीय कोयला

---

†मूल अंग्रेजी में

विकास निगम का इस क्षेत्र में खानें खोदने और विकास करने का प्रोग्राम है जो खोज-कार्य पूरा होने के बाद आरम्भ होगा।

†**श्री विभूति मिश्र** : यहां कितना कोयला-निक्षेप होने का अनुमान है ?

†**श्री तिम्मय्या** : मिर्जापुर जिले में १,७४० लाख मीट्रिक टन है।

†**श्री विभूति मिश्र** : वहां किस किस्म का कोयला पाया जायेगा ?

†**श्री तिम्मय्या** : चार या पांच भाग हैं। "पुरेवा टाप" और 'पुरेवा नाटम' में निम्न श्रेणी के खाने हैं। तुरा क्षेत्र में खान की श्रेणी गिर कर दूसरी श्रेणी की हो गई है, क्योंकि यह मध्य प्रदेश क्षेत्र में प्रथम श्रेणी की है। कोटा में यह प्रथम श्रेणी की है। पुरेवा टाप सीवन पर दो सीवनें हैं जिनमें तीसरी श्रेणी का कोयला है।

†**श्री विभूति मिश्र** : सरकार को अब तक कोयला खोदकर निकालने की आशा है ?

†**श्री तिम्मय्या** : खोज-कार्य पूरा होने पर इसे राष्ट्रीय कोयला विकास निगम आरम्भ करेगा।

†**श्री ब्रज बिहारी मेहरोत्रा** : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इन क्षेत्रों से कोयला लाने के लिये रेलवे लाइन और सड़कें बनाने का इन्तजाम हो गया है ?

†**श्री तिम्मय्या** : मैं समझता हूं कि यह काम सिंगरौली खानों से कोयला निकालने का अंग है। रेलवे लाइन बनाने सम्बन्धी जानकारी मेरे पास नहीं है।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या सरकार ने अन्तिम निश्चय कर लिया है कि उस क्षेत्र में खान खोदना वाणिज्यिक दृष्टि से लाभदायक है ?

†**श्री तिम्मय्या** : खोज-कार्य समाप्त होने पर और निक्षेप सिद्ध होने पर यह समझा जा सकता है।

†**श्री काशी राम गुप्त** : खोज-कार्य को निगम के लिये खनन पट्टा बनाने में कितना समय और लगेगा ?

†**श्री तिम्मय्या** : यथा शीघ्र, जैसे ही खोज-कार्य पूरा होता है।

†**श्री काशी राम गुप्त** : कितना समय लगने की आशा है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री अलगेशन)** : तीसरी योजना में २५ लाख टन निकालने का प्रोग्राम है और चौथी योजना में इससे भी अधिक निकाला जायेगा। अतः हम इसे यथा-शीघ्र करेंगे

†**श्री रा० स० तिवारी** : सिंगरौली इलाके में इतना अधिक कोयला पैदा हुआ है, लेकिन उसको ढोने के लिए कोई सड़क या कोई और इन्तजाम नहीं हुआ है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इसके लिए जल्दी से जल्दी कोई कार्यवाही की जायेगी।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या यह भी मिर्जापुर में है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : नहीं, यह मध्य प्रदेश में है।

प्राथमिक पाठशालाओं के अध्यापकों का प्रशिक्षण

+

†*६१२. **श्री दे० जी० नायक :**
श्री प० कुन्हन :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तृतीय योजना काल के दौरान प्राथमिक पाठशालाओं के अध्यापकों के लिये प्रशिक्षण सुविधाओं का सुधार करने और उनका विस्तार करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं; और

(ख) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा कितना रुपया व्यय किया जाना है?

†**शिक्षा मंत्रालय में भारसाधक मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) और (ख) एक विवरण पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) (१) प्रारम्भिक स्कूलों के अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं में सुधार करना तथा उनका विस्तार करने के बहुत सी योजनायें, जिन पर केन्द्रीय सरकार का कुल लगभग २१.५ करोड़ रु० व्यय होगा, तीसरी पंच वर्षीय योजना में केन्द्र तथा राज्यों के प्रोग्रामों में शामिल हैं।

(२) अध्यापकों के प्रशिक्षण के प्रश्न की जांच करने के लिए अखिल भारतीय प्रारम्भिक शिक्षा परिषद् के रहने पर १९६२ में एक अध्ययन दल बनाया गया था। अध्ययन दल की मुख्य सिफारिशें थीं कि अध्यापकों के प्रशिक्षण को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिये और अप्रशिक्षित अध्यापकों के स्थान पर प्रशिक्षित अध्यापकों को रखने के लिए विशेष कार्यवाही की जानी चाहिये। अन्य सिफारिशें प्रारम्भिक प्रशिक्षण संस्थाओं के विस्तार तथा सुधार के बारे में हैं। अध्ययन दल की सिफारिशें राज्य सरकारों तथा संघ प्रशासित राज्य क्षेत्रों को लागू करने के लिए भेज दी गई हैं।

(३) मंत्रालय नें भी निम्न योजनायें आरम्भ की हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण संस्था ने चुनी हुई संस्थाओं में विस्तार सेवा विभागों की स्थापना की योजना आरम्भ की है। ऐसे ३० विभागों ने कार्य करना आरम्भ कर दिया है।

(दो) प्रत्येक राज्य में एक शिक्षा संस्था की स्थापना के लिए केन्द्र ने शत प्रतिशत सहायता देकर एक योजना चलाई है। ये संस्थायें प्रारम्भिक स्कूलों तथा प्रशिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की सेवा में प्रशिक्षण देने, विस्तार सेवाओं, संगठन प्रशिक्षण की व्यवस्था करने, और प्रारम्भिक शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन तथा जांच पड़ताल करने और यथोचित साहित्य तैयार करने के लिए है। इन संस्थाओं को टेक्निकल गाइडेन्स देने के लिए राष्ट्रीय परिषद में एक अध्यापक विभाग खोला जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) आशा है कि विस्तार सेवा विभागों तथा राज्य शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की योजनाओं पर केन्द्र को तीसरी योजनाकाल में १०८ लाख रु० व्यय करने होंगे। इसके अतिरिक्त, राज्य क्षेत्र में सम्मिलित प्रारम्भिक अध्यापकों के प्रशिक्षण तथा विस्तार की सभी योजनाओं के लिए केन्द्र १०० प्रतिशत सहायता अनुदान देगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में इस प्रोग्राम पर केन्द्र का कुल लगभग २१.५० करोड़ रु० व्यय होने की आशा है।

†**श्री दे० जी० नायक** : अध्ययन दल की सिफारिशों को लागू करने के लिए राज्य सरकारों ने क्या कार्यवाही की है और अप्रशिक्षित अध्यापकों के स्थान पर प्रशिक्षित अध्यापक रखने के लिए क्या कार्यवाही की है?

†**श्री हुमायून् कबिर** : जैसा कि मैंने पहिले एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि हमें काफी अप्रशिक्षित अध्यापकों का स्थानापन्न करना है, परन्तु कुछ कार्यवाही की गई है। देश की चुनी हुई प्रशिक्षण संस्थाओं में ३० विस्तार सेवा विभाग पहिले ही खुल गये हैं। १०० प्रतिशत केन्द्रीय सहायता वाली एक केन्द्रीय योजना प्रत्येक राज्य में एक शिक्षण संस्था खोलने के लिए आरम्भ की गई है और इसे तैयार किया जा रहा है। ये कुछ कार्यवाही है।

†**श्री दे० जी० नायक** : सभी अप्रशिक्षित अध्यापकों को प्रशिक्षण देने के लिए कितना समय निर्धारित है?

†**श्री हुमायून् कबिर** : ऐसी कोई समय सीमा नहीं हो सकती। यह निरन्तर कार्य होगा।

†**श्री मानसिंह पृ० पटेल** : क्या प्रशिक्षित प्राथमिक अध्यापकों का प्रतिशत तीसरी पंचवर्षीय योजना की अपेक्षा दूसरी पंचवर्षीय योजना में काफी कम है?

†**श्री हुमायून् कबिर** : मैं नहीं जानता कि मेरे माननीय मित्र ने यह संख्या कैसे प्राप्त की। मुझे यह देखनी पड़ेगी।

†**डा० गायतोंडे** : आजकल अध्यापकों का कितना अभाव है और आजकल कितने अप्रशिक्षित अध्यापक सेवा में है?

†**श्री हुमायून् कबिर** : आज भी अधिकतर अध्यापक अप्रशिक्षित है और हम प्रयत्न कर रहे हैं कि प्रशिक्षण-कार्य यथाशीघ्र हो। इसमें १०—१५ वर्ष लगेंगे।

†**डा० सरोजिनी महिषी** : सम्पूरानन्द समिति ने सिफारिश की थी कि स्त्रियों को प्राथमिक शिक्षा का काम करने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिये। क्या दाखिला योग्यता में कोई छूट दी गई है या गांवों में सेवा करने वाली स्त्रियों को कोई प्रोत्साहन दिया जाता है?

†**श्री हुमायून् कबिर** : महिला अध्यापक नियुक्त करने का प्रयास किया जा रहा है। मेरे माननीय ने शायद देखा होगा कि हाल में एक राज्य ने विज्ञापित किया है कि वह प्राथमिक शिक्षा के लिए केवल महिला अध्यापकों को नियुक्त करेगी।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : विवरण में उल्लेख है कि तीसरी योजना में १०८ लाख रु० व्यय होंगे। अब तक कितना धन व्यय हो चुका है।

†**श्री हुमायून् कबिर** : मैं पूर्व सूचना चाहता हूं

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्रीमती रेणुका राय : विवरण में कहा गया है कि तीसरी योजना में अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए १०० प्रतिशत सहायता दी जाती है । कितने राज्यों ने यह योजना अपनाई है और इस आधार पर कार्य आरम्भ कर दिया है ?

†श्री हुमायून् कबिर : विभिन्न राज्यों में ऐसे तीस विभाग स्थापित हो चुके हैं । मैं एकदम नहीं कह सकता परन्तु मैं आशा करता हूं कि प्रत्येक राज्य कम से कम एक केन्द्र खोले ।

†श्रीमती रेणुका राय : नहीं यह प्रारम्भिक स्कूलों के अध्यापकों के प्रशिक्षण योजना नहीं है ।

†श्री हेडा : देशभर में अनेक राज्य सरकारों द्वारा आरम्भ की गई प्रारम्भिक स्कूलों के अध्यापकों के प्रशिक्षण के प्रोग्रामों के अनुसार क्या सरकार को आशा है कि कोई समय होगा जब कि प्रारम्भिक स्कूलों के अध्यापक प्रशिक्षित हो जायेंगे ?

†श्री हुमायून् कबिर : मैंने कहा था कि इस में १०–१५ वर्ष लगेंगे ।

†श्री यलमन्दा रेड्डी : अनेक प्रशिक्षित अध्यापक हैं जिन्हें रोजगार नहीं मिलता । वे उच्च श्रेणी के या माध्यमिक श्रेणी के अध्यापक हैं । क्या इस ओर सरकार का ध्यान गया है ?

†श्री हुमायून् कबिर : हो सकता है । परन्तु अन्त में प्रारम्भिक स्कूलों के अध्यापकों का संबंध राज्य सरकारों से है और हम केवल सलाहकार दे सकते हैं ।

†श्री यलमन्दा रेड्डी : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया । मंत्रालय अधिकाधिक अध्यापकों को प्रशिक्षण देना चाहता है । परन्तु सैंकड़ों प्रशिक्षित व्यक्ति हैं जिन्हें रोजगार नहीं मिलता । अधिकाधिक व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने का क्या अभिप्राय है ?

†श्री हुमायून कबिर : अध्यापकों की कमी होनी पर प्रशिक्षित अध्यापक बेकार हैं मुझे आश्चर्य है । मैं जांच करूंगा ।

†श्री यलमन्दा रेड्डी : सैंकड़ों हैं । मैं उन्हें जानता हूं ।

†श्री रंगा : क्या मंत्री महोदय राज्य सरकारों से यह नहीं जान सकते कि उनके पास कितने ऐसे प्रशिक्षित व्यक्तियों के नाम हैं जो रोजगार चाहते हैं ?

†श्री हुमायून् कबिर : मैं इसकी जांच करूंगा ।

†डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी : विवरण में उल्लिखित संस्थायें अब किन राज्यों में हैं ?

†श्री हुमायून् कबिर : हम उपबन्ध कर रहे हैं कि प्रत्येक राज्य में एक शिक्षा संस्था होगी जिसके लिए हम १०० प्रतिशत सहायता दे रहे हैं । मैं एक दम नहीं कह सकता कि ऐसी कितनी संस्थायें स्थापित हो गई है ।

†श्री दी० चं० शर्मा : सरकार ने इस कार्य के लिए १०८ लाख रु० नियत किये हैं । सरकार ने यह गणना कैसे की है और तीसरी पंच वर्षीय योजना-काल में यह राशि आवश्यकताओं के लिए कैसे पर्याप्त होगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हुमायून् कबिर :** मैं समझता हूं कि मेरे माननीय मित्र केवल एक मद का उल्लेख कर रहे हैं। यदि वह विवरण देखें तो उन्हें ज्ञात होगा कि अध्यापक प्रशिक्षण के कुछ प्रोग्रामों पर ही केन्द्रीय व्यय २१.५० करोड़ रु० होगा ।

जम्मू और कश्मीर में कोयला खानें

+

†*६१२. { **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री ब० कु० दास :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और कश्मीर राज्य में कोयला खानों के विकास में राष्ट्रीय कोयला विकास निगम ने कहां तक प्रगति की है ;

(ख) क्या जम्मू और कश्मीर राज्य में कालाकोट और जंगलीगली में किसी समय भूछिद्रण कराया था ;

(ग) यदि हां तो उसका क्या परिणाम निकला ; और

(घ) राष्ट्रीय कोयला विकास निगम इस मामले में कब से दिलचस्पी ले रहा है ?

†**खान और इंधन मंत्री के सभा-सचिव श्री (तिम्मैया):** (क) और (घ) : जम्मू तथा काश्मीर में कोयला खानों के विकास के बारे में राष्ट्रीय कोयला विकास निगम का इस समय कोई विचार नहीं ।

(ख) और (ग) : जम्मू व काश्मीर राज्य सरकार के छिद्रण संगठन ने केवल कालाकोट में छिद्रण कार्य किया है और अनुमान लगाया है कि वहां सिद्ध निक्षेप ६९ लाख ४० हजार टन के लगभग हो सकते हैं और 'निर्दिष्ट' अतिरिक्त निक्षेप १४ लाख टन होंगे ।

†**श्री स० चं० सामन्त :** क्या जम्मू व काश्मीर राज्य में कोई भूतत्वीय सर्वेक्षण किया गया था और यदि हां तो वहां कितना तथा कैसा कोयला है ?

†**श्री तिम्मैया :** कालाकोट क्षेत्र में जम्मू व काश्मीर के छिद्रण संगठन ने सीमित मात्रा तक सर्वेक्षण किया और ६९ लाख ४० हजार टन सिद्ध निक्षेप तथा १४ लाख टन निर्दिष्ट निक्षेप का अनुमान लगाया । छिद्रण संगठन द्वारा किये गये अनुमान का परीक्षण करने के लिये भूतत्व सर्वेक्षण के विशेषज्ञ तथा हमारे मंत्रालय के अफसर अप्रैल १९६३ में उस राज्य में गये और परीक्षण करके उन्होंने कहा कि छिद्रण संगठन का प्रारंभिक अनुमान ठीक नहीं है क्योंकि उसने उस क्षेत्र की प्राकृतिक गड़बड़ी वाली अवस्थाओं तथा वहां की कोयला सन्धि-रेखाओं की व्यवस्थित स्थिति के कुछ पहलुओं को ध्यान में नहीं रखा । अतः उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि अनुमानित निक्षेप ३४ लाख टन के लगभग होंगे और इसमें से केवल ६० प्रतिशत प्राप्त किया जा सकता है ।

†**श्री स० चं० सामन्त :** वह कोयला किस प्रकार का होगा और क्या वह वहां के लिये बहुत लाभदायक होगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री तिम्मय्या** : यह बहुत बढ़िया किस्म का नहीं ।

†**श्री इकबाल सिंह** : क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार की सहायता से कालाकोट खानों में छिद्रण की लागत के संबंध में कोई कार्रवाई की है, क्योंकि पंजाब सरकार ने केन्द्र को बताया है कि पश्चिम बंगाल और बिहार की तुलना में व्यय दुगुना है ?

†**श्री तिम्मय्या** : जम्मू तथा काश्मीर के प्रधान मंत्री ने सुझाव दिया कि राष्ट्रीय कोयला विकास निगम कोयला खानों को अपने हाथ में ले कर उसी तरीके से चला सकती है जिस तरह वह अन्य राज्यों की कोयला खानों को चलाता है । उन्होंने कहा कि बिजली सहायता नहीं दे सकते । परन्तु वे अन्य सभी सुविधायें प्रदान करेंगे । इस प्रस्ताव पर वित्त मंत्रालय ने विचार किया और कहा कि इन को केवल मर्मगता के आधार पर चलाया जाना चाहिय भूतपूर्व खान तथा ईंधन मंत्री श्री केशव देव मालवीय ने इसके बारे में जम्मू व काश्मीर के प्रधान मंत्री से बात चीत की और सुझाव दिया कि खाने मर्मगता के आधार पर चलाई जानी चाहियें. जो उन्हें स्वीकार्य नहीं था । उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि काला कोट क्षेत्र में सड़कें बनाई जानी चाहिये

†**श्री दी० चं० शर्मा** : सभा सचिव का यह सब कुछ कहने का क्या अभिप्राय है ? **(अन्तर्बाधा)** ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि सभा सचिव इतनी सब बातें एक अनुपूरक के उत्तर में बतायेंगे तो अन्य अनुपूरकों के लिय समय कम रह जाएगा

†**श्री ब० कु० दास** : क्या परिवहन के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री अलगेशन)** : यह बड़ी कठिन पहाड़ी है और परिवहन की कठिनाइयां वहां हैं । परन्तु जम्मू तथा कश्मीर खनिज सीमित संगठन इस समय कार्य कर रहा है और कार्य आगे बढ़ रहा है ।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ** : क्या सरकार को पता है कि पहले कोयला निकालने का काम मनुष्य श्रमिकों द्वारा किया जाता था और बाद में केन्द्रीय सरकार की सहायता से वही काम मशीनों द्वारा किया जाने लगा, और जब मशीनों वाली ड्रिल आयात की गई हैं, कितनी प्रगति हुई है ? क्या प्रगति कम है या उस समय निर्धारित मानक भी है ?

†**श्री अलगेशन** : मैं इस समय वास्तविक प्रगति बताने में असमर्थ हूं । यदि पूर्व सूचना मिले तो मैं उत्तर दे सकता हूं ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या उत्पादन लागत के विविध पहलुओं का परीक्षण लागत को घटाने की दृष्टि से किया गया है, जिसकी शिकायत पंजाब सरकार ने की है कि वह बिहार और पश्चिम बंगाल की तुलना में दुगुनी है ?

†**श्री अलगेशन** : यह बड़ा संगत प्रश्न है । पहाड़ी की स्थिति भी लागत को बढ़ाती है । मैं समझता हूं कि इस पर जम्मू व काश्मीर संगठन विचार करेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली के कुंओं में निम्न स्तर का पानी

†*६१४. श्री बड़े :
श्री विश्राम प्रसाद :

क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी अनुसंधान संस्था द्वारा किये गये सर्वेक्षण से यह निष्कर्ष निकला कि दिल्ली के देहाती इलाकों में ८० प्रतिशत कुओं में पानी पीने के प्रयोजन के लिय निर्धारित अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के मुकाबले निम्न स्तर का है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ; और

(ग) ऐसा सर्वेक्षण कितने राज्यों में किया गया है और उसके क्या परिणाम निकले ?

†वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) संस्था द्वारा किये गये नमूने के सर्वेक्षणों ने इसका संकेत दिया है । परन्तु परिणाम अभी निर्णयायक नहीं ।

(ख) निष्कर्ष, अध्ययन पूरा होने के पश्चात्, स्वास्थ्य मंत्रालय को बता दिये जायेंगे।

(ग) कुंओं के नमूना सर्वेक्षण गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब और आन्ध्र प्रदेश में किये गये हैं। इन सर्वेक्षणों के परिणामों पर अभी कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाला गया ।

श्री बड़े : दिल्ली के आस पास के अस्सी परसेंट कुओं में पानी पीने के लायक नहीं है । क्या पब्लिक हैल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इस प्रकार का निर्णय लिया है कि इसकी वजह से डिज़ीज़िज़ बढ़ती हैं और जांडिस और कालरा जैसी बीमारियां फैलती हैं ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : यह बहुत दूरी की बात है । यह नमूना सर्वेक्षण हैं ६४ गावों में १०० कुओं का सर्वेक्षण हो गया है और यह संकेत मिलता है कि अमरीकी पब्लिक स्वास्थ्य सेवा मानकों तथा पेय जल के अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार, ८० प्रतिशत कुंएं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर से नीचे हैं इसका यह अर्थ नहीं है कि उनको उन से हमेशा अनिवार्यता बीमारी ही फैलेगी ।

श्री बड़े : यदि यह बिलो इंटरनैशनल स्टैंडर्ड है तो मैं जानना चाहता हूं कि गवर्नमेंट क्या स्टेप्स लेना चाहती है जिस से यह इंटरनैशनल स्टैंडर्ड के बराबर आ जाए।

†**श्री हुमायून् कबिर** : पहले यह सर्वेक्षण पूरा होना चाहिय और हमें न्यूनताएं मालूम होनी चाहियें। तब हम स्वास्थ्य मंत्रालय को सूचना देंगे, जो आवश्यक कार्यवाही करेगा।

†**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी** : क्या सरकार देश के अन्य भागों में कूंओं का नमूने का सर्वेक्षण करने का विचार करती है जहां का जल खारा या नमकीन पाया जाता है और यदि हां, तो क्या सरकार से यह प्रार्थना की गई है कि इस समय देश के सभी भागों में खारे और नमकीन जल की समस्या का कुछ हल उपलब्ध है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हुमायून् कबिर** : जी हां । एसे सर्वेक्षण करने का विचार है ?

†**श्री कपूर सिंह** : क्या इस क्षेत्र का वर्तमान भूमिगत जल सूचकांक का रसायन शास्त्र अभी हाल ही में बना है या भूतत्वीय युग का है । और यदि भूतत्वीय यूगा का है तो संबंद्ध जनता के जलगम स्वास्थ्य को इस से क्या हानि पहुंची है ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : लोग जोवित रहे हैं और बढ़ रहे हैं अतः हानि इतनी नहीं हो सकती है जितनीं मा० मित्र समझते हैं । संकेत यह मिला है कि लगभग २४ प्रतिशत नमूनों में प्रति १० लाख में ५०० भागों की अनुमदेय सीमा से अधिक सख्ती के मूल्य के हैं ।

†**श्री कपूर सिंह** : मेरे प्रश्न के पहले भाग का उत्तर नहीं दिया गया ।

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने कहा है कि उस के बावजूद लोग जीवित रहे हैं और उन पर इसका बहुत कम असर होता है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : इस बात की दृष्टि से कि हैजा तथा जल से ऐसी संसर्गीय बीमारियां पश्चिम बंगाल में अधिक प्रतिशतता में हैं । विशेषकर कलकत्ता नगर के ईर्दगिर्द, केन्द्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरी अनुसंधान संस्था ने इस क्षेत्र के इर्दगिर्द के जल का परीक्षण क्यों नहीं किया ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : यह संस्था निश्चय ही करेगी परन्तु जहां तक हैजे का संबंध है, संभवतः सदस्य जानती हैं कि एसी एक संस्था है जो इसका विशेष अध्ययन करती है और इस ने महत्वपूर्ण कार्य किया जिसे समस्त संसार ने सराहा है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या यह संस्था पश्चिम बंगाल में जल संभरण के बारे में कोई अनुसंधान नहीं करती ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : मैं ने कहा है कि देश भर में सर्वेक्षण किय जायेंगे और कलकत्ता में भी ।

†**डा० गायतोडे** : क्या अन्तर्राष्ट्रीय मानक जीव-कीटाणु संबंधी मानक है या रसायनिक मानक है ?

श्री हुमायून् कबिर : हम शायद बहुत अधिक गहराई में जा रहे हैं ।

श्री राम सेवक यादव : मंत्री महोदय ने अभी बतलाया कि अन्तरष्ट्रीय माप दंड से २० प्रतिशत नीचे हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि २० प्रतिशत में किन किन बातों की कमी है । वह बतलाने की कृपा करें ।

श्री हुमायून् कबिर : मैं ने एक बात अभी कही है और वह कड़वे पन की के नमूने के बारे में है । दूसरी क्लोराइड एंवं सल्फेट के बारे में है जो प्रति १० लाख में २२० भागों की अत्युतम ही सीमा से लगभग १३ से ३० प्रतिशत तक बढ़ती है ।

हिन्दी में पाठ्य पुस्तकें

†६१५. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय के अधीक्षण में हिन्दी में पाठ्य पुस्तकों का अनुवाद कराने के लिये कुछ विश्वविद्यालयों को चुना गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो वे विश्वविद्यालय कौन-कौन हैं और किन विषयों की पाठ्य पुस्तकों का वे अनुवाद करेंगे ;

(ग) क्या इसके अतिरिक्त भी निदेशालय की अनुवाद की कोई योजना है ; और

(घ) क्या उच्च स्तर की मौलिक पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशतन की संभावना का भी विचार किया गया है ?

†**शिक्षा मंत्रालय में भारसाधक मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) जी हां ।

(ख) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० १६९७ / ६३]**

(ग) जी हां ।

(घ) जी हां ।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : यह कार्य किसी उद्देश्य से हाथ में लिया गया है । इसलियें क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि इस कार्य की सफलता के लिये यह भी आवश्यक है कि सन्दर्भ ग्रन्थ तैयार कराये जायें ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या योजना है ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : जैसा मैंने उत्तर में बताया, अनुवाद कार्य बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, परन्तु मौलिक कार्य को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा ।

†**श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** : मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया गया । मैंने रिफरेन्स बुक्स के बारे में पूछा था कि कोई योजना है या नहीं ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : निस्संदेह, जब पाठ्य पुस्तकों का अनुबाद किया जा रहा है उनमें संदर्भ ग्रन्थ भी होंगे ।

डा० गोविन्द दास : क्या माननीय मंत्री जी को यह बात मालूम है कि अनुवाद के द्वारा साहित्य की तैयारी में जो बिलम्ब हो रहा है उसका कारण यह है कि जिन को यह काम सौंपा गया है ये फुर्सत के वक्त में यह काम करते हैं । क्या सरकार इस सुझाव पर, जोकि कई बार सरकार को दिया गया, विचार कर रही है कि साहित्य तैयार करने में कुछ लोगों और विद्वानों को उधार लिया जाय और कुछ समय तक उन से यह काम कराया जाय ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : जी हां, हमारे पास कुछ पूर्णकालिक अनुवाद होने चाहियें । परन्तु मा० सदस्य अनुभव करेंगे कि जब मानक पाठ्य पुस्तकों का अनुवाद किया जाता है, जो व्यक्ति भौतिक शास्त्र को पाठ्य पुस्तक का अनुवाद करने के योग्य होता है, वह अर्थ शास्त्र की पाठ्य-पुस्तक का अनुवाद करने के लिये योग्य नहीं होता । अतः केवल पूर्णकालिक अनुवाद रखने से काम नहीं चलता । हमें विश्वविद्यालयों के अध्यापकों और अन्य विद्वानों की अंश-कालिक सहायता का उपयोग करना होगा । हमने वास्तव में लोगों से आगे आने और हमारी सहायता करने की अपील की है ।

†**डा० सरोजिनी महिषी** : क्या दक्षिण भारत की पाठ्य-क्रम अनुसंधान संस्थाएं और विश्वविद्यालयों ने इन पाठ्य-पुस्तकों के हिन्दी अनुवाद को अनुमोदित किया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हुमायून् कबिर :** ये मानक पाठ्य पुस्तकें हैं, अतः किसी पाठ्यक्रम समिति द्वारा किसी अनुमोदन का प्रश्न नहीं उठता ।

†**श्रीमती सावित्री निगम :** यह कहां तक सच है कि इस अनुवाद कार्य के लिये पर्याप्त धन नहीं दिया जाता और इसी कारण अधिक लोग इस काम को करने के लिये आगे नहीं आ रहे ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** मुझे बताया गया है कि भुगतान पर्याप्त है, परन्तु यदि मा० सदस्य इसे पर्याप्त नहीं समझते तो हम पुनः इस पर विचार कर लेंगे ।

श्री भागवत झा आजाद : क्या यह बात सच नहीं है कि इस योजना को कार्यान्वित करने के लिये सरकार ने जो राशि निश्चित की है वह इस बात की द्योतक है कि सरकार इसे कार्यान्वित करना नहीं चाहती है ? अगर इसका जवाब "नहीं" है तो मैं यह जानना चाहूंगा कि इस काम को करने वालों को क्या यथेष्ट राशि सरकार दे रही है ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** हम धन खर्च कर रहे हैं और धन हमेशा पूरा खर्च नहीं होता।

†**श्री भागवत झा आजाद :** यह बड़ा आपत्तिजनक उत्तर है ।

†**श्री कृ० चं० पन्त :** क्या सरकार की दृष्टि में, आज हिन्दी में प्राइमरी से लेकर विवश्व-विद्यालय स्तर तक शिक्षा देने के लिये पर्याप्त उच्च किस्म की पाठ्य पुस्तकें पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं, यदि नहीं, तो कब तक यह स्थिति आ जाने की संभावना है ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** यह प्रश्न मुख्यतः विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा से सम्बन्धित है । मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि हमारे पास इस समय पाठ्य पुस्तकें पर्याप्त संख्या में नहीं हैं ।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : जैसा अभी गृह मंत्री जी ने संघीय लोक सेवा आयोग का वैकल्पिक माध्मम हिन्दी बनाने के सम्बन्ध में कहा था कि इस विषय की पुस्तकों का अभाव है । तो आपने जिन विश्वविद्यालयों को चुना है, हिन्दी की पाठ्य पुस्तकों के सम्बन्ध में मैं जानना चाहता हूं कि उन विश्वविद्यालयों को एक एक विषय बांट दिया गया है या सभी विश्वविद्यालयों को सब विषय दिये गये हैं ।

अध्यक्ष महोदय : यह सब स्टेटमेंट में लिखा हुआ है । एक एक यूनिवर्सिटी को जो जो सब्जेक्ट्स दिये गये हैं वे सब लिखे हुए हैं ।

†**श्री राजा राम :** क्या सरकार ने किसी अन्य राष्ट्रीय भाषा में सभी पुस्तकों का अनुवाद करवाने का विचार किया है ।

†**श्री हुमायून् कबिर :** हमारी योजना सभी भारतीय भाषाओं में पुस्तकों का अनुवाद करवाने की है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** विवरण से पता चलता है कि बहुत से विश्वविद्यालय प्रत्येक भारतीय भाषा में पुस्तकों का अनुवाद कर रहे हैं, परन्तु प्रत्येक में वही विषय आते हैं । क्या

---

†मूल अंग्रेजी में

अखिल भारतीय प्रयत्न किया जा रहा है कि प्रयत्न अतिच्छादन न हो और विषयों का पूर्ण अध्ययन करने के लिये विविध पुस्तकों का विविध विश्वविद्यालयों द्वारा अनुवाद किया जा रहा है और कोई अनावश्यक अतिच्छादन नहीं है ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** मा० मित्र को विश्वस्त रहना चाहिये कि एक ही पुस्तक का अनुवाद दो विश्वविद्यालयों द्वारा नहीं किया जाऐगा । परन्तु प्रत्येक विषय पर बहुत सी मानक पाठ्य पुस्तकें हैं और वे भी पर्याप्त नहीं ।

†**श्री कपूर सिंह :** क्या अब या निकट भविष्य , अनुवाद परियोजनाओं में मानक शास्त्र भी शामिल करने का इरादा है ? यदि उत्तर "हां" है, तो सरकार इस के लिये क्या कार्रवाई करने का विचार करती है कि ऐसी पाठ्य-पुस्तकों में किसी अकेली संस्कृति के प्रभाव की कोई प्रबलता न होने पाये ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** मैं सभा पटल पर रखे गये विवरण की ओर मा० सदस्य का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

†**श्री यु० सिं० चौधरी :** क्या इस कार्य के लिये कोई अवधि निश्चित की गई है ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** ऐसे कार्यक्रम की कोई सीमा नहीं हो सकती । या लगातार चलने वाला कार्यक्रम है ।

श्री राम सहाय पाण्डेय : पाठ्य पुस्तकों के अनुवाद के सन्दर्भ में मैं यह जानना चाहता हूं कि विश्वविद्यालयों की यह कार्य देने के अतिरिक्त क्या किसी दूसरी एजेन्सी को भी यह कार्य दिया जा सकता है ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** जी हां । हम सभी उपलब्ध साधनों का उपयोग करेंगे ।

श्री रामसेवक यादव : जैसा मंत्री महोदय ने बतलाया, चूंकि अनुवादकों की कमी है इसलिये कार्य में देरी हो रही है । क्या मंत्रालय के सामने ऐसा प्रश्न विचाराधीन है कि जितने आर्ट्स कालेज हैं उनके जो विद्यार्थी और अध्यापक हैं उन के जिम्मे यह सारा अनुवाद का काम सुपुर्द कर दिया जाय ताकि काम जल्दी हो जाय ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** आर्टस् कालेजों और स्कूलों में काम करने वाले विद्यार्थियों को यह काम सौंपना खतरनाक होगा ।

†**श्री भागवत झा आजाद :** अध्यापक !

श्री हुमायून् कबिर : जाहिर है कि अध्यापक तो सहायता करेंगे ही ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कोयला खानों का खनन पट्टा

†*६१६. **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :** क्या **क्या खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय कोयला विकास निगम को अछूते कोयला क्षेत्रों के खनन पट्टे देने का निश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या मध्य प्रदेश सरकार इस नीति पर चल रही है; और

(ग) क्या इस समाचार में कोई सचाई है कि मध्य प्रदेश के शाहडोल जिले में कुछ अछूते कोयला क्षेत्रों के खनन पट्टे मेसर्स पेच वैली कोल कम्पनी लि० को देने का विचार है ?

†**खान और ईंधन मंत्री के सभा सचिव (श्री तिम्मय्या) :** (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) मध्य प्रदेश के शाहडोल जिले के अछूता क्षेत्र में पेंच वैली कोल कंपनी लिमिटेड को खनन पट्टा देने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :** अछूते कोयला क्षेत्रों से कोयला निकालने के सम्बन्ध में क्या नीति है ? क्या राष्ट्रीय कोयला विकास निगम इस कार्य को आरंभ करेगा या गैर-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को सौंप देगा ?

श्री तिम्मय्या : औद्योगिक नीति संकल्प में उद्योगों के वर्गीकरण की व्याख्या की गई है कि कौन से सरकारी क्षेत्र के लिये आरक्षित हैं और कौन से गैर-सरकारी क्षेत्र के लिये और यह विशेष रूप से कहा गया है कि कुछ मात्रा तक दोनों श्रेणियां अतिच्छादन कर सकती हैं और अधिक सख्ती या कड़ेपन से श्रेणियों को लागू करने से उद्देश्य पूरा नहीं होता, जो आर्थिक उन्नति की दर को बढ़ाना और उद्योगीकरण के कार्य को तेज करना है ।

अतः यह देखा जायेगा कि आर्थिक प्रगति और उद्योगीकरण की गति को बनाये रखना सरकार का काम है । इसलिये हमें गैर-सरकारी क्षेत्र का योगदान भी मांगना होगा ।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :** क्या सरकार ने कोई विशिष्ट कसौटी निर्धारित की है जिसके द्वारा वे यह फैसला करते हैं कि कौन से अछूते क्षेत्र गैर-सरकारी क्षेत्र को दिये जायेंगे और कौन से राष्ट्रीय कोयला विकास निगम को ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री अलगेशन) :** यदि गैर-सरकारी क्षेत्र की कोयला खान से कोई अर्जी प्राप्त होती है और यदि अछूता क्षेत्र उस क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ होता है जिसे वे चला रहे हों, तो उसके पक्ष में ही फैसला दिया जाता है । जब ऐसी स्थिति नहीं होती तो यह विचार किया जाता है कि क्या निगम खनन के लिये उस क्षेत्र को लेना चाहता है । यदि निगम लेना नहीं चाहता, तो हमें सोचना पड़ता है कि क्या गैर-सरकारी पक्ष उसे लाभदायक तरीके से चला सकते हैं ?

†मूल अंग्रेजी में

अल्प सूचना, प्रश्न और उत्तर

बोकारो इस्पात कारखाना

अल्पसूचना प्रश्न संख्या ५.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री कपूर सिंह :
श्री यशपाल सिंह :
श्री बूटा सिंह :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री वारियर :
श्री उमानाथ :
श्री इम्बीचिबावा :
श्री नम्बियार :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री नाथ पाई :
श्री हेम बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री ओंकारलाल बेरवा :
श्री माते :
श्री महेश्वर नायक :
श्री वी० चं० शर्मा :
श्री धवन :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :
श्री बड़े :
श्री ब्रज राज सिंह :
श्री अ० प्र० सिंह :
श्री कछवाय :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री बालकृष्ण वासनिक :
श्री भागवत झा आजाद :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि बोकारो कारखाने के लिए अमरींकी सहायता में हाल में कुछ सन्देह पैदा हो गया है; और

(ख) यदि हां,तो इस बदली हुई स्थिति में सरकार ने क्या करने का निर्णय किया है ?

†इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : सबसे पहले मैं अल्प-सूचना प्रश्न का उत्तर देने में देरी के लिए सदन से क्षमा चाहता हूं। लेकिन इसका और कोई चारा नहीं था।

(क) और (ख). जब तृतीय पंच वर्षीय योजना बनाई गई थी तो इसमें बोकारो में एक इस्पात कारखाना लगाने का प्रस्ताव रखा गया था जिसकी क्षमता करीब करीब सरकारी क्षेत्र के वर्तमान तीन इस्पात कारखानों के समान होनी थी। इस विषय का और अधिक अध्ययन करने से यह पता चला कि देश में इस्पात की मांग में संभावित वृद्धि बोकारो के संभाव्य स्थल तथा इस्पात टैक्नोलौजी में आधुनिकतम उन्नत प्रगति को ध्यान में रखते हुए इससे कहीं बड़ी क्षमतावली प्रायोजना जिसकी अन्तिम क्षमता ४ मिलियन टन हो तैयार करना लाभप्रद रहेगा। हमारी प्रार्थना पर अमरीका सरकार द्वारा भेजी गई अमरीकी विशेषज्ञ टीम ने भी इन निष्कर्षों की पुष्टि की और हमें यह जताया कि एक बड़ा कारखाना लगाना अन्त में लाभप्रद और मितव्ययी होगा। विशेषज्ञों ने इस बात पर बल दिया कि ४ मिलियन टन के कारखाने के लिए कच्चे माल की आवश्यकता की पूर्ति के बारे में हमें अपने आपको पुनः विश्वस्त कर लेना चाहिए।

इसके साथ ही साथ हम इस कारखाने के लिए आवश्यक विदेशी मुद्रा जुटाने की व्यवस्था पर भी विचार कर रहे थे जो कि कारखाने की क्षमता को बढ़ाने के कारण तीसरी पंच वर्षीय योजना में निर्धारित की गई विदेशी मुद्रा से अब कहीं अधिक मात्रा में आवश्यक थी। इसके लिए हमने अमरीका की सरकार से सहायता के लिए निवेदन किया। हमने देखा कि इस कारखाने के लिए वित्तीय सहायता देने में अमरीकी प्रशासन का रवैया सहानुभूतिपूर्ण था। यद्यपि कोई पक्का वचन नहीं दिया गया था फिर भी प्रशासन ने यह बात स्पष्ट कर दी थी कि बशर्ते कि अमरीकी कांग्रेस इसका अनुमोदन करदे इस परियोजना के लिए उनका पूरा सहयोग होगा। सदन को यह याद होगा कि इस वर्ष के आरम्भ में स्वयं राष्ट्रपति कैनेडी ने एक पत्रकार सम्मेलन में बोकारो परियोजना को सहायता देने के पक्ष में विचार प्रकट किये थे।

पिछले कुछ महीनों से हमने अमरीका के पत्रों में छपने वाले संवादों, वाशिंगटन में हमारे राजदूतावास से प्राप्त होने वाली जानकारी, विदेशों को सहायता देने के बारे में अमरीकी प्रशासन के प्रस्तावों विशेषकर बोकारो के लिए सहायता के प्रस्ताव पर अमरीका की कांग्रेस में हुई बहस से सम्पर्क रखा है। २२ अगस्त को कांग्रेस ने अपने विदेशी सहायता कानून में एक धारा लगा दी जिसे यदि बदला न गया तो इसका यह अर्थ होगा कि अमरीकी विदेशी सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत बोकारो के लिये एक वर्ष तक सहायता न मिल पायेगी। इस बात को तथा कांग्रेस में हुई बहस के रुख को देखते हुए और हमारे विचार से इस प्रायोजना की अनिवार्यता को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार ने इस प्रायोजना के लिए विदेशी सहायता की स्थिति पर पुनः विचार किया और हम इस नतीजे पर पहुंचे कि इस प्रायोजना को शीघ्रता से कार्यान्वित करने के लिए तथा हमारे देश और अमरीका में मूल मित्रता को बनाए रखने और उसे और अधिक बढ़ाने तथा सहानुभूतिपूर्ण वातावरण बनाए रखने की दृष्टि से समय आगया है कि बोकारो इस्पात कारखाने को अमरीका से प्राप्त होने वाली सहायता से बनने वाली प्रायोजनाओं की सूची से निकाल लिया जाए। ऐसा करते हुए मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि अमरीकी प्रशासन और वास्तव में स्वयम् राष्ट्रपति कैनेडी ने हमें सहायता देने में जो प्रयत्न किए वे सराहनीय है। मैं निस्सन्देह यह स्पष्ट

†मूल अंग्रेजी में

कर देना चाहता हूं कि इस प्रायोजना को वापस लेने में हमने दोनों देशों के प्रशासनों को और अधिक उलझनों में पड़ने से बचाने और दीर्घ काल तक भारत-अमरीकी मित्रता और सहयोग को बनाए रखने तथा हमारे लिए इस प्रायोजना की तात्कालिक अनिवार्यता को ध्यान में रखा है। तदनुसार हमने अमरीकी सरकार को सूचित कर दिया है और उन्होंने हमारे वापस लेने के प्रस्ताव के कारणों को पूरे तौर पर सराहा है।

जैसा कि सदन को विदित है अमरीका भारत को सहायता का सबसे बड़ा एकतम स्रोत है। १९५९–१९६३ की अवधि में अमरीका ने हमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के लिए कुल मिलाकर १·८० बिलियन डालर की सहायता दी है जिसका लगभग आधा सार्वजनिक क्षेत्र के लिए था जिसमें रेलें, ट्राम्बे का उर्वरक संयंत्र, और तारापुर का अणु-शक्ति संयंत्र भी सम्मिलित हैं। इतना ही नहीं, सदन को यह भी मालूम है कि बहुत से क्षेत्रों में दोनों देशों में गहरा सहयोग है। ऐसी परिस्थिति में अमरीका की सहायता से इस प्रयोजना को वापस लेने की हमारी कार्यवाही तथा बोकारो पर आमरीका की कांग्रेस में हुई बहस पर मेरे द्वारा दिए गए विवरण से अधिक महत्व देना उचित न होगा। बोकारो के लिए सहायता की प्रार्थना को वापस लेने का यह अर्थ नहीं लगाना चाहिए कि अमरीकी सरकार की भारत को सहायता देने में दिलचस्पी कम हो गई है। इसका स्पष्ट उदाहरण विश्व बैंक कन्सोर्टियम की बैठक में अमरीकी सरकार द्वारा अमरीकी सहायता के वचन से जाहिर है जो किसी अन्य राष्ट्र की अपेक्षा अधिक है।

मैं इस बात पर भी बल दूंगा कि विदेशी उपकरणों के लिए दिए जाने वाले आर्डरों के अतिरिक्त प्रायोजना की प्रगति के सब आवश्यक काम बड़ी तेजी के साथ किए गए हैं और किए जा रहे हैं। ऐसी विशाल प्रायोजना के लिए एक विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन बनाना अति आवश्यक है जिस पर उपकरणों की खरीद तथा अन्य काम आधारित हैं। इस प्रायोजना के लिए भारतीय परामर्शदाताओं की एक फर्म से विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है। तकनीकी विशेषज्ञों की एक टीम इस प्रतिवेदन की छानबीन कर रही है और आशा की जाती है कि यह काम अगले दो तीन महीनों में पूरा हो जायेगा। इसके अलावा भूमि प्राप्त की जा रही है और कच्चे माल के विकास एवं जल प्राप्ति के साधन के कार्य हस्तगत हैं। दूसरे शब्दों में, मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि इस प्रायोजना के लिए अमरीका से सहायता प्राप्त करने में लगभग १½ वर्ष का समय व्यर्थ नहीं गंवाया गया है परन्तु उसका दूसरे बहुत से काम करने में उपयोग किया गया है जो कि प्रायोजना की प्रगति में बहुत आवश्यक होते हैं और जिनको पूरा करने के लिए हल हालत में समय लगता ही है।

प्रायोजना के इंजीनियरी के विस्तृत कार्यों पर शीघ्रता से कार्यवाही करने का भी मेरा विचार है। हमारा यह इरादा है कि इस्पात कारखाने के लिए उपकरणों के उत्पादन में यथासम्भव भारतीय बुद्धि वैभव तथा विशेषज्ञता का सहयोग लिया जाए तथा भारत में उपलब्ध और स्थापित की जा रही क्षमता का पूरा पूरा उपयोग किया जाय। इसके आधार पर हम विश्व के विभिन्न देशों से जिनमें अमरीका भी शामिल है टेंडर आमंत्रित करने की स्थिति में हो जाएंगे। पूर्व से ही जिन कर्जे की रकमों के लिए वायदे मिल चुके हैं उनको दृष्टिगत रखते हुए तथा इस प्रायोजना के उपकरणों के लिए विशेष रूप से प्राप्त होने वाली रकमों को ध्यान में रखते हुए हम संयंत्र के लिए आर्डर देने का विचार करेंगे। इस समय और अधिक निश्चित रूप से यह कहना कठिन है कि किन-किन देशों से इस संयंत्र के लिए उपकरण प्राप्त हो सकेंगे।

मैं सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार बोकारो इस्पात कारखाने को सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित करने के इरादे से आगे बढ़ेगी और इस बात का भी प्रयत्न किया जायेगा कि उसमें यथासम्भव कम से कम देरी लगे।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : अभी मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि अमरीका कांग्रेस के प्रतिनिधियों की कुछ ऐसी राय है कि अगर इसमें कुछ परिवर्तन कर लिए जाएं तो यह सहायता हमें वहां से प्राप्त हो सकती है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने यह जानने का यत्न किया कि वह किन किन बातों में परिवर्तन चाहते थे और उसकी रूपरेखा क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : अब इसका सवाल कैसे पैदा होता है जबकि हमने उसे वापस ही ले लिया।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : यह वार्ता इतने लम्बे समय तक चली है। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि वे लाग किन किन विषयों में परिवर्तन चाहते थे जिनके कर लेने से हमको यह सहायता मिल सकती ?

अध्यक्ष महोदय : जब वह बात चल रही थी उस वक्त तो यह सवाल हो सकता था। लेकिन अब तो इस मंजिल पर आकर हमने उसको वापस ही ल लिया।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** हमें यह जानने का अधिकार है कि अमरीका से सहायता प्राप्त करने के बारे में बातचीत किन कारणों से असफल हुई। सदन यह जानने का हकदार है कि अमरीका और इस देश में मतभेद क्या था।

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम :** जहां तक अमरीकी प्रशासन का सम्बन्ध है, वे इस परियोजना के लिए मदद देना चाहते थे। कांग्रेस में चर्चा के बारे में माननीय सदस्य जानते हैं कि चर्चा का झुकाव किस ओर था और मैं उस विषय में कुछ और नहीं बता सकता क्योंकि मेरी जानकारी केवल समाचारपत्रों पर ही आधारित है। इसके अतिरिक्त मैं और कुछ नहीं कह सकता।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या मैं जान सकता हूं कि रूस अथवा किन्हीं अन्य देशों से भी सहायता प्राप्त करने के सम्बन्ध में भारत सरकार की कोई योजना है, अथवा उन देशों ने इस प्रकार की सहायता देने के लिए अपने को प्रस्तुत किया है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम :** मैं बता चुका हूं कि हम टेन्डर मंगाने की कोशिश करेंगे और तब उन देशों से साजसामान प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे जिन से ऋण मिल रहा है या जिनसे आगे चल कर ऋण प्राप्त हो सकता है। हम किन देशों से सहायता प्राप्त करेंगे इस संबंध में और अधिक स्पष्ट बताना संभव नहीं है।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** माननीय मंत्री ने बताया है कि वह दूसरे देशों से टेन्डर मंगायेंगे। मैं खास तौर से यह जानता चाहता हूं कि क्या वित्तीय सहयता के संबंध में अमरीका की इस अस्वीकृति के बाद सोवियत रूस ने कोई वित्तीय सहायतया देने का प्रस्ताव रखा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

अध्यक्ष महोदय: यही सवाल तो शास्त्री जी ने किया था ।

†**श्री स० मो० बनर्जी**: उन्होंने बताया कि टेन्डर मंगाये जायेंगे । मैं खास तौर से यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या सोवियत संघ ने हमें सहायता देने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम**: किसी देश की ओर से कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है।

†**श्री कपूर सिंह**: मैं इस प्रश्न को इस तरह पूछूंगा।

अध्यक्ष महोदय: मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि प्रश्न की भूमिका आवश्यक नहीं है ।

†**श्री कपूर सिंह**: क्या इस प्रचलित धारणा में कोई सार है कि हमारे सरकारी क्षेत्र के प्रबन्ध विषयक पहलू का अमरीकी अधिकारियों द्वारा प्रतिकूल अनुमान के कारण ही उन्होंने अपनी अनिच्छा व्यक्त की है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम**: जहां तक अमरीकी प्रशासन का संबंध है, अनिच्छा का कोई प्रश्न नहीं था । प्रश्न के दूसरे भाग के संबंध में मैं समझता हूं कि उनका अनुमान भारत के बिलकुल पक्ष में था ।

श्री यशपाल सिंह: जब कि गवर्नमेंट कंट्रोल के मातहत प्राइवेट सैक्टर इस काम को लेने के लिए तैयार हैं और ज्यादा आउट पुट औफ़र करता है तो सरकार को इस चीज़ को मानने में क्या दिक्कत है ?

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने एक पालिसी फैसला कर लिया है।

श्री यशपाल सिंह: सरकार यह बतलाये कि इसको मानने में आख़िर दिक्कत क्या है, हज़ारों बातें सरकार कहती है तो इस ज़रा सी बात को सरकार मानने के लिए क्यों तैयार नहीं है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम**: यह स्पष्ट किया जा चुका है कि गैर-सरकारी क्षेत्र में इस परियोजना को आरम्भ करना संभव नहीं होगा । इस संबंध में मैं श्री जे० आर० डी० टाटा के वक्तव्य की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं जिस में उन्होंने यह स्पष्ट कहा है कि भारत सरकार का कोई गैर-सरकारी क्षेत्र इस परियोजना को नहीं चला सकेगा ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती**: माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में बताया कि तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल परामर्षदाताओं की रिपोर्ट का अध्ययन करेगा और दो या तीन महीने में अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा । ये तकनीकी विशेषज्ञ भारतीय हैं या विदेशी और क्या हम लोग लगभग छ महीने के बाद अर्थात् रिपोर्ट प्रस्तुत करने के तीन महीने बाद अपना काम आरम्भ कर सकेंगे ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम**: हम भारत में उपलब्ध तकनीकी विशेषज्ञों का उपयोग कर रहे हैं।

†**श्री हेम बरुआ**: क्या यह सच है कि अमरीका ने बोकारो के लिए सहायता देने से इस कारण इनकार कर दिया है कि क्ले समिति की एक सिफारिश यह थी कि अमरीका

---

†मूल अंग्रेजी में

को सरकार द्वारा चलायी जाने वाली परियोजनाओं के लिए सहायता नहीं देनी चाहिये क्योंकि उससे विदेशों के गैर सरकारी उद्योगों के साथ प्रतियोगिता होगी जो कि अमरीका कनाडा को उसकी बिजली कंपनियों का एकीकरण करने के लिए काफी सहायता दे रहा है। और यदि हां, तो क्या इस दोहरी नीति के लिए सरकार ने अमरीकी सूत्रों से बुनियादी कारणों का पता लगाया है ?

†**श्री वि० सुब्रह्मण्यम** : अमरीकी प्रशासन ने यह स्पष्ट कर दिया है और हमें आश्वासन दिया है कि सरकारी क्षेत्र गैर-सरकारी क्षेत्र के विवाद का इससे कोई संबंध नहीं है ।

†**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी** : क्या इस सदन की प्राक्कलन समिति के उस सुझाव के अनुसार जिसमें उसने यह सिफारिश की है कि सरकारी उपक्रमों में भी सार्वजनिक पूंजी के विनियोजन के लिए अनुमति दी जानी चाहिये. । बोकारो इस्पात संयंत्र में भी किसी सीमा तक सार्वजनिक पूंजी लेने की अनुमति दी जाने वाली है ?

†**श्री वि० सुब्रह्मण्यम** : अभी ऐसा करने का कोई विचार नहीं है और उस दशा में भी यह स्पष्ट कर दिया गया था कि इस समय ऐसा करना उचित नहीं होगा ।

†**श्री नाथ पाई** : क्या यह सच है कि जब अमरीकी प्रशासन ने यह देखा कि वह मदद नहीं कर सकता तब उसने भारत सरकार को यह सूचित कर दिया था कि वह अमरीका के गैर-सरकारी उद्योगपतियों के साथ सीधे बातचीत कर सकती है और दूसरे यह कहां तक सच है. कि जैसा कि कुछ अवस्थाओं में अखबारों में कहा गया है कि सीनेट या हाउस आफ रिप्रेजेन्टेटिव्स का विरोधी दल इन बातों के साथ साथ कश्मीर की समस्या से प्रभावित हुआ था ।

†**श्री वि० सुब्रह्मण्यम** : मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता कि हमारी आम नीतियों का हाउस आफ रिप्रेजेन्टेटिव्स के ऊपर कहां तक असर पड़ा है. । लेकिन हमने वहां चर्चा के सुझाव की ओर ध्यान दिया है और हमने इस दशा में उसे वापस देने योग्य और आवश्यक समझा है ।

†**श्री दाजी** : क्या बोकारो के लिए एक अलग निगम स्थापित किया जाने वाला है ? यदि हां, तो क्या अमरीकी सहायता के वापिस ले लिये जाने के बाद भी वह निश्चय कायम रहेगा ? यदि हां. तो हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ही क्यों न रहे ?

†**श्री वि० सुब्रह्मण्यम** : वह निश्चय सर्वेक्षण समिति या उसकी रिपोर्ट को देखे बिना ही किया गया था । सर्वेक्षण समिति के यहां आने से बहुत पहले ही हम ने यह निश्चय किया था कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के नियंत्रण में इस्पात क्षेत्र का आकार देखते हुए एक अलग संस्था बनाना आवश्यक है । जब वह दल यहां आया था तब मैंने उसे सूचित कर दिया था कि वह निश्चय पहले ही किया जा चुका है।

†**श्री बड़े** : क्या समाचर पत्रों के इन समाचारों में कोई सचाई है कि राष्ट्रपति केनेडी के सहायता देने से इन्कार कर देने पर रूसी राजदूत प्रधान मंत्री से मिले थे और उन्होंने बोकारो कारखाना बनाने के लिए हमें सहायता देने का वचन दिया है ?

***अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने बताया है कि हमें किसी देश से सहायता का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री दी० चं० शर्मा : बोकारो संयंत्र का कितना प्रतिशत भाग हम अपने निजी संसाधनों से खड़ा करेंगे और कितने प्रतिशत भाग के लिए हमें दुनिया के दूसरे देशों से सहायता मांगनी पड़ेगी ?

†श्री वि० सुब्रह्मण्यम् : इस प्रश्न का उत्तर देना बहुत कठिन है। फिर भी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है कि कितनी मुद्रा विदेशी की जरूरत होगी। ४० लाख टन की दशा के लिए २२७.५ करोड़ रूपये के विदेशी साज सामान की आवश्यकता का अनुमान है। लेकिन मेरी अपनी धारणा यह है कि यदि हम देशी क्षमता का अनुमान लगायें और पूंजी विनियोजन से सीमांकित वृद्धि के द्वारा हद किसी तक क्षमता निर्माण भी करें तो हम वह संख्या काफी घटा सकेंगे ।

†श्री हरि विष्णु कामत : जब मंत्री महोदय कुछ महीने पहले अमरीका में थे तो क्या उनकी यह धारणा बनी थी या अन्य कारणों से यह समझा जा सकता है कि जहां तक वाशिंगटन में भारत का एक योग्य शासक राजदूत होने पर भी, जहां तक अमरीकी कांग्रेस और अमरीकी समाचार पत्रों का सम्बन्ध है, प्रचार कार्य तथा कार्यकुशलता जन सम्पर्क कार्य का बराबर ही अभाव रहा है ? यदि हां, तो क्या इस विशिष्ट परियोजना के बारे में अमरीकी कांग्रेस के इस रुख का वह भी एक कारण था ?

†श्री वि० सुब्रह्मण्यम : मैं हाल में अमरीका में नहीं था ।

†श्री हरि विष्णु कामत : वह कुछ महीने पहले गये थे। लेकिन मैंने तो अन्य कारणों से भी कहा था ।

†श्री हेम बरुआ : श्री टी० टी० कृष्णमाचारी गये थे ।

†अध्यक्ष महोदय : अगर वह हाल में वहां नहीं भी थे तो भी क्या वह बता सकते हैं कि जन अन्य बातों का माननीय सदस्य ने उल्लेख किया, क्या कांग्रेस के इस निर्णय के लिए जिम्मेदार थीं ?

†श्री वि० सुब्रह्मण्यम : वास्तव में मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता । मैं समझता हूं कि यह प्रश्न किसी और से पूछा जाना चाहिए ।

†श्री हरि विष्णु कामत : किसी और से तो फिर क्या प्रधान मंत्री इसका जवाब देंगे ।

†वित्त मंत्री (श्री त० त० कृष्णमाचारी) : क्या मैं इसका उत्तर दे दूं ?

†अध्यक्ष महोदय : यदि वह चाहें तो दे दें । वैसे मैंने उन्हें इजाजत नहीं दी है ।

†वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : मैं यह कहना चाहूंगा कि माननीय सदस्य ने जिस आधार पर अपने निष्कर्ष निकाले हैं वह गलत हैं । हमारे राजदूत वहां बहुत अच्छा काम कर रहे हैं । कोई भी उसे देख सकता है ।

†श्री हरि विष्णु कामत : औचित्य प्रश्न के हेतु । माननीय मंत्री ने गलत सुना है । उन्होंने ध्यान नहीं दिया । मैंने कहा कि वाशिंगटन में भारत का एक योग्य राजदूत है फिर भी जहां तक अमरीकी कांग्रेस और समाचारपत्रों का सम्बन्ध है हमारे प्रचार और जन सम्पर्क कार्य में काफी कमी रही है ।

†अध्यक्ष महोदय : उन्होंने पूछा था कि वह बात उस निश्चय के लिये कहां तक जिम्मेदार है और मंत्री महोदय ने बता दिया है कि वह नहीं बता सकते । वह और क्या चाहते हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री हरि विष्णु कामत : लेकिन उत्तर क्या है ?

†अध्यक्ष महोदय : उत्तर यह है कि मंत्री महोदय यह नहीं बता सकते कि यह निश्चय उस बात के कारण भी हुआ है या नहीं।

†श्री हरि विष्णु कामत : दूसरे मंत्री उस प्रश्न का उत्तर क्यों देते हैं ? वह संगत नहीं है। उसे कार्यवाही से निकाल दिया जाना चाहिये या उसका क्या होगा ?

†अध्यक्ष महोदय : वह उसी प्रकार रहेगा।

श्री ओंकार लाल बेरवा : मैं यह जानना चाहता हूं कि और देशों की ओर से बोकारो के लिए जो सहायता देने का आश्वासन दिया गया है, क्या वह अमरीका के बराबर दी जायगी ; यदि नहीं, तो क्या फिर भी अमरीका से सहायता मांगी जायगी।

अध्यक्ष महोदय : इसका जवाब स्टेटमेंट में दे दिया गया है।

श्री ओंकार लाल बेरवा : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वह सहायता अमरीका के बराबर दी जायेगी या नहीं।

अध्यक्ष महोदय : बराबर का कौन कह सकता है ?

प्रश्नों के लिखित उत्तर

आन्ध्र प्रदेश में मिले सोने के निक्षेप

†*६१७. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री सेझियान :

क्या खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग ने आंध्र प्रदेश के चित्तूर तथा अनन्तपुर जिलों में सोने के निक्षेपों का पता लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो जिन निक्षेपों का पता लगा है उनका ब्योरा क्या है, और यदि उनकी किस्म तथा मात्रा का कोई विश्लेषण किया गया है तो वह क्या है ?

†खान और ईंधन मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां। जिला चित्तूर में विसानत्तम् और कालाहट्टी और जिला अन्नन्तपुर में रामगिरि में सोने के निक्षेपों के मिलने का समाचार मिला है।

(ख) जिला चित्तूर में विसानत्तम् और कालाहट्टी क्षेत्रों में सोने की किस्म बहुत खराब है और निक्षेप न तो दूर तक फैले हुए हैं और न ही अन्यथा लाभदायक हैं।

अनन्तपुर जिले में रामगिरि सोना खान १५२ मीटर चौड़ी है और दक्षिण में जिबूतिल खान से उत्तर में कनपुरम् तक १८,२८८ मीटर की लंबाई तक फैली हुई है। इस खान की विस्तृत जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है और उसकी वास्तविक किस्म तथा मात्रा का अनुमान जांच पड़ताल पूरी हो जाने के बाद ही लगाया जा सकता है।

---

†मूल अंग्रजी में

पहाड़ी विकास बोर्ड

†*६१८. श्री प्र० वं० बरुग्रा : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समूचे देश में पहाड़ी प्रदेश के मिले-जुले विकास के लिये एक उच्च अधिकार-प्राप्त पहाड़ी विकास बोर्ड बनाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो संक्षेप में बोर्ड का गठन और कृत्य क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

विश्व विद्यालय तथा कालिज के अध्यापकों का बीमा

†*६१९. { **श्री अ० व० राघवन :**
श्री पोट्टेकाट्ट :
श्री प० कुन्हन :
श्री कोया : }

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय तथा कालिज के अध्यापकों के लिये वार्षिकी अथवा **बीमा** योजना लागू करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) क्या योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है ; **और**

(ग) योजना के कब तक लागू हो जाने की आशा है ?

†**शिक्षा मंत्रालय के भारसाधक मंत्री (श्री हुमायून कबिर)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). यह योजना अभी अंतिम रूप से निर्धारित नहीं की गई है ।

विद्यार्थियों को निशुल्क पुस्तकें तथा वस्त्र

†*६२०. **श्री सुरेन्द्र पाल सिंह** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी में प्राइमरी स्कूल के विद्यार्थियों के लिये निःशुल्क पुस्तकें तथा वस्त्र वितरण करने की कोई नई योजना बनाई गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना का संक्षिप्त विवरण क्या है तथा इस पर कितनी **रकम** व्यय होगी ?

†**शिक्षा मंत्रालय के भारसाधक मंत्री (श्री हुमायून कबिर** : (क) ऐसी योजनाओं को दिल्ली प्रशासन और दिल्ली नगर निगम कार्यान्वित कर रहा है ।

(ख) विवरण संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० १६९८ । ६३]** ।

---

†मूल अंग्रेजी में

रायल यूनाइटेड सर्विसइंस्टीट्यूशन म्यूजियम, लन्दन

†६२१. **श्री कपूर सिंह :** क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाइटहाल, लन्दन के हनिगो जोन्स बैंक्वैटिंग हाल में स्थित रायल यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन म्यूजियम को खत्म करके उसकी वस्तुयें इधर उधर भेजी जा रही हैं।

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसी सभी वस्तुयें, जो भारत के मतलब की हैं, लेने के लिये आवश्यक कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो यह सुनिश्चित करने के लिये क्या विशेष कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है कि सिखों के इतिहास तथा उनकी सैनिक कार्यवाहियों से संबंधित प्रदर्शित वस्तुयें विभाजनोत्तर भारत को मिल जायें ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायूं कबीर)** : (क) जी हां।

(ख) और (ग) उस संग्रालय (म्यूजियम) ने भारत के लिय दिलचस्पी की लगभग एक दर्जन चीजें लन्दन स्थिति भारतीय हाई कमीशन को दी हैं। हाई कमीशन और अधिक वस्तुयें प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा है।

तेल की खोज का कार्य

†*६२२. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने तेल की खोज का काम तेज करने के लिये अपनी प्रशासनिक व्यवस्था का पुनर्गठन किया है; और

(ख) यदि हां, तो पुनर्गठन की मुख्य बातें क्या हैं ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) और (ख) मार्च, १९६३ में तेलग और प्राकृतिक गैस आयोग ने निम्नलिखित कार्य करने का निश्चय किया है :—

(क) प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना और मुख्य कार्यालयों तथा निदेशालयों को और अधिक शक्तियां प्रदान करना ;

(ख) मुख्य कार्यालयों से कुछ तकनीकी तथा दूसरे कर्मचारियों को परियोजनाओं पर भेजना।

(ग) अधिक कार्यकुशल बनाने के लिये प्रादेशिक तथा परियोजना कार्यालयों को और अधिक अधिकार प्रदान करना।

ये निश्चयग अब कार्यान्वित किये जा रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

भ्रष्टाचार निरोध मंत्रणा समिति

†*६२३. श्री भक्त दर्शन :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री यशपाल सिंह :
श्री मुरारका :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री विभूति मिश्र :
श्री बड़े :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री कोया ।

क्या गृह-कार्य मंत्री २० फरवरी, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ३९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भ्रष्टाचार निरोध मंत्रणा समिति ने अब तक क्या सिफारिशें की हैं ;

(ख) उन सिफारिशों पर सरकार ने क्या निश्चय किये हैं; और

(ग) इन निश्चयों को कार्यान्वित करने में क्या प्रगति हुई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरतवीस) : (क) से (ग) तक एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० १६९९ । ६३] ।

प्रवासी भारतीयों के लिये दिल्ली विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम

†६२४. **श्री विभूति मिश्र** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा चलाई गई डाक द्वारा शिक्षा की सयोजना प्रवासी भारतीयों पर भी लागू की जायगी; और

(ख) यदि हां, तो कबसे ?

शिक्षा मंत्रालय के भारसाधक मंत्री (श्री हुमायूं कबिर) : (क) और (ख), यह विषय दिल्ली विश्वविद्यालय के विचाराधीन है ।

स्कूलों में गणित में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी

†*६२५. श्री वारियर :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री बीरेन्द्र भट्टाचार्य :
श्री यशपाल सिंह :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि हाई स्कूल परीक्षाओं में गणित में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशतता बहुत अधिक है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसके कारणों को जानने का प्रयत्न किया है ; और

(ग) स्कूलों में गणित पढ़ाने का स्तर सुधारने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

†शिक्षा मंत्रालय के भारसाधक मंत्री (श्री हुमायून कबिर) : (क) जी, हां।

(ख) जी हां, माध्यमिक शिक्षा के राजकीय बोर्डों और संबंधित राज्य सरकारों के सहयोग से ।

(ग) गोष्ठियों का आयोजन कर तथा अधिक अच्छे शिक्षकों की भरती करके शिक्षकों की किस्म में सुधार और केन्द्रीय पाठ्यपुस्तक अनुसन्धान कार्यालय द्वारा अनुसंधान के जरिये पाठ्य-पुस्तकों में सुधार।

गैस ग्रिड

†*६२६. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्था, जो घनी आबादी वाले तथा औद्योगिक विकास वाले क्षेत्रों में गैस ग्रिड बनाने के प्रश्न का जांच कर रही है, ने इस बीच कोई निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो योजना के अधीन देश को कितने खंडों में विभाजित किया जायेगा; और

(ग) गैस का उत्पादन किस प्रकार होगा ?

वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायूंन कबिर) : (क) अभी नहीं।

(ख) और (ग) . प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

आनरेरी मजिस्ट्रेट

†*६२७. श्री यशपाल सिंह : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के मुख्य न्यायाधिपति के इस सुझाव की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है कि छोटे छोटे मुकदमों का फैसला करने के लिये आनरेरी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए जायें;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या सुझाव क्रियान्विति के लिये राज्य सरकारों को भेज दिया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरतवीस) : (क) सरकार ने भारत के मुख्य न्यायाधिपति के भाषण के समाचार देखे हैं।

(ख) और (ग) . आनरेरी मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति संबंधी प्रश्नों पर विचार राज्य सरकारें करेंगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दशहरा तथा दीवाली की छुट्टियां

*१२८. श्री भक्त दर्शन :
श्री कपूर सिंह :
श्री च० का० भट्टाचार्य :

क्या गृह-कार्य मंत्री १४ अगस्त, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या १५७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में १९६३ में दशहरा तथा दीवाली की छुट्टियां किन किन तारीखों को मनाने का अन्तिम निश्चय किया गया है?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस) : दशहरा और दीवाली की छुट्टियां दिल्ली में स्थित केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों में क्रमशः २५ व २६ अक्तूबर तथा १४ व १५ नवम्बर, १९६३ को मनाई जायेंगी।

भगवान बुद्ध की मूर्ति

१७४८. श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि गत मार्च महीने में नालन्दा संग्रहालय से भगवान बुद्ध की जो मूर्त्ति चोरी हुई थी, वह कलकत्ते में एक व्यवसायी के गोदाम से पुलिस के द्वारा बरामद की गई है,

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में छानबीन करने से क्या बातें पता चलीं,

(ग) क्या उक्त मूर्त्ति को पुनः नालन्दा संग्रहालय में भिजवा दिया गया है; और

(घ) भविष्य में संग्रहालयों से इस प्रकार की बहुमूल्य मूर्त्तियां चोरी न जायें, इसके लिए क्या कदम उठाने गये हैं?

वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० म० मो० दास) :

(क) जी, हां।

(ख) छानबीन जारी है

(ग) नहीं, वह अभी भी पुलिस की हिरासत में हैं

(घ) सुरक्षा बढ़ाने के लिए कई और चीजें की गई हैं जैसे और कड़े पहरे का इंतजाम, अच्छी रोशनी, क्यूरेटर द्वारा अचानक जांच पड़ताल, झरोखों और खिड़कियों में स्टील की सलाखें लगाना वगैरह।

उड़ीसा में सांयकालीन कालिज

†१७४९. श्री रामचन्द्र मलिक :
श्री अ० त्रि० शर्मा :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्य में सायंकालीन कालिजों को विकास के लिए उत्कल विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान उद्योग ने कितना अनुदान अथवा ऋण दिया है; और

---

†मूल अंग्रजी में

(ख) यह किन किन कालिजों को मिलेगा तथा अनुदान अथवा ऋण का क्या व्योरा है ?

†शिक्षा मंत्रालय में भारसाधक मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) सायंकालीन कालिजों के विकास के लिए उत्कल विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कोई रकम नहीं दी है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

उड़ीसा उच्च न्यायालय

†१७५०. श्री रामचन्द्र उलाका : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ३० जून, १९६३ को कटक में उड़ीसा उच्च न्यायालय में कितने मामले लम्बित थे; और

(ख) उड़ीसा के उच्च न्यायालय में लम्बित मामलों को निबटाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) १८६१।

(ख) (१) उच्च न्यायालय के कार्य के घंटे १९५९ में ५ से बढ़ाकर ५½ कर दिए गए हैं।

(२) १९६१ में काम के दिन बढ़ाकर २०० से २१० कर दिए गए हैं।

(३) उच्च न्यायालय में लम्बित मामलों की संख्या घटाने के बारे में भारत सरकार प्रशासनिक कार्यवाही कर रही है।

उड़ीसा से भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी

†१७५१. श्री रामचन्द्र उलाका: क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२-६३ में उड़ीसा में क्रमश: सीधी भरती तथा पदोन्नति से भारतीय प्रशासन सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी नियुक्त किए गए हैं; और

(ख) उनमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कितने हैं ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस): (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—१७०० / ६३।]

महिलाओं के लिए पालिटैक्नीक

†१७५२. { श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यवार, देश में इस समय महिलाओं के कितने पालिटैकनिक है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) राज्यवार तीसरी पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में ऐसे कितने पालिटैकनिक स्थापित करने का विचार है, और

(ग) तीसरी योजनावधि में इस कार्य के लिए कितनी रकम आवंटित की गई है ?

†वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर) (क) देश में निम्नलिखित नौ पालिटैकनिक महिलाओं के है :—

आन्ध्र प्रदेश . . .	२
केरल	२
मद्रास . . .	१
मैसूर . .	२
दिल्ली . . .	१
पंजाब . . .	१ ।

(ख) तीसरी योजनावधि में नीचे बताये अनुसार महिलाओं के १५ और पालिटैकनिक खोलने का विचार है :

आन्ध्र प्रदेश . . .	२
आसाम	१
बिहार . . .	२
गुजरात	२
केरल	१
मध्य प्रदेश	१
मद्रास . . .	२
उत्तर प्रदेश . . .	१
पश्चिम बंगाल	३ ।

(ग) २४४·७१० लाख रुपये ।

पाकिस्तानियों का अनधिकृत प्रवेश

†१७५३. श्री घुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में अनधिकृत प्रवेश में कितने पाकिस्तानी अप्रैल, १९६३ को गिरफ्तार किए गए ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस) : आसाम, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मनीपुर तथा अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह के अतिरिक्त, जिनसे अभी जानकारी प्राप्त होनी है, शेष भारत में अप्रैल, १९६३ तक ८०४ पाकिस्तानी गिरफ्तार किए गए थे।

---

†मूल अंग्रेजी में

राष्ट्रीय बुनियादी शिक्षा बोर्ड

†१७५४. श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या शिक्षा मंत्री १४ अगस्त, १९६३ को तारांकित प्रश्न संख्या ४४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय बुनियादी शिक्षा बोर्ड के सभापति तथा सदस्यों के क्या नाम हैं ; और

(ख) क्या बोर्ड में कोई संसद् सदस्य भी है ?

†शिक्षा मंत्रालय के भारसाधक मंत्री (श्री हुमायून कबिर) : (क) और (ख) गठन इस प्रकार है :

१. संघ शिक्षा मंत्री (सभापति)
२. डा० (श्रीमती) सौंदरम रामचंद्रन संघ शिक्षा उपमंत्री
३. प्रो० एम० एस० थैकर
४. श्री यू० एन० ढेबर
५. श्री श्रीमननारायण
६. शिक्षा में नये शिक्षा सलाहकार तथा शिक्षा सचिव
७. श्री सी० सुब्रह्मण्यम, संघ इस्पात और भारी उद्योग मंत्री
८. डा० शंकरपाल शर्मा
९. श्री अमरनाथ विद्यालंकार संसद् सदस्य
१०. श्री जी० रामचन्द्रन
११. श्री ई० डब्ल्यू आपीनापाकम
१२. श्री अन्नासाहेब सह सुबुदे
१३. श्री ए० के० करणभाई
१४. श्री के० अरुणाचलम
१५. श्री राघाकृष्ण
१६. कुमारी मारजोरी साइक्स
१७. श्री एल० आर० देसाई
१८. श्री पी० वी० जी० राजू
१९. श्री एस० एन० सिन्हा
२०. कुमारी इन्द्रमती चिमन लाल

---

†मूल अंग्रेजी में

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कृषक

†१७५५. { श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२-६३ में राजस्थान में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कृषकों पर कितना धन व्यय किया गया है ; और

(ख) इसी अवधि में ऐसे कितने किसानों को लाभ होगा ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) और (ख) राज्य सरकार से जानकारी मंगाई गई है। जानकारी मिल जाने पर अपेक्षित जानकारी का एक विवरण सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

राजस्थान के विद्यार्थियों के शिक्षण भ्रमण

†१७५६. { श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६२–६३ में राजस्थान सरकार ने राज्य से बाहर तथा राज्य के अन्दर विद्यार्थियों के शिक्षण भ्रमणों के लिए कोई सहायता अथवा अनुदान दिया था ; और

(ख) क्या इस अवधि में राजस्थान सरकार ने इस धनराशि को पूरा पूरा व्यय कर दिया है ?

†शिक्षा मंत्रालय में भारसाधक मंत्री (श्री हुमायूं कबिर) : (क) और (ख) १९६२–६३ शिक्षण भ्रमणों के लिए राजस्थान सरकार को ६२०० रुपये आवंटित किए गए थे। इसको खर्च करने की रिपोर्ट अभी नहीं मिली है।

भुवनेश्वर के बहरे तथा गूंगे विद्यार्थियों का कल्याण

†१७५७. श्री रामचन्द्र मलिक : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२-६३ में भुवनेश्वर के बहरे तथा गूंगे विद्यार्थियों के कल्याण के लिए उड़ीसा सरकार को कितनी धनराशि अनुदान अथवा ऋण के रूप में दी गई थी ; और

(ख) इस समय उस स्कूल में कितने विद्यार्थी दाखिल हैं ?

†शिक्षा मंत्रालय में भार-साधक मंत्री (श्री हुमायूं कबिर) : (क) कोई नहीं।

(ख) १००।

भुवनेश्वर में बहरे तथा गूंगे विद्यार्थियों के स्कूल का भवन

†१७५८. श्री रामचन्द्र मलिक : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत पांच वर्षों में बहरे तथा गूंगे विद्यार्थियों के लिए भुवनेश्वर में स्कूल के भवन का निर्माण करने के लिए उड़ीसा सरकार को कोई धनराशि अनुदान अथवा ऋण के रूप में दी गई थी ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के लिए कितनी धनराशि दी गई है ?

†शिक्षा मंत्रालय के भार-साधक मंत्री (श्री हुमायूं कबिर) : (क) और (ख) १९६०-६१ में उड़ीसा सरकार को उड़ीसा राज्य बाल कल्याण परिषद् को भुगतान के लिए १,२०,००० रुपये दिये गये थे जिससे भुवनेश्वर में बहरों के लिए स्कूल तथा होस्टल बनाया जाना था। अकेले स्कूल भवन के निर्माण, के आकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

भुवनेश्वर में बहरे तथा गूंगे विद्यार्थियों के लिये होस्टल

†१७५९. **श्री रामचन्द्र मलिक** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत पांच वर्षों में भुवनेश्वर में बहरे तथा गूंगे विद्यार्थियों के लिये होस्टल बनाने के लिये उड़ीसा सरकार को कितना अनुदान अथवा ऋण दिया गया है ?

†शिक्षा मंत्रालय के भार-साधक मंत्री (श्री हुमायूं कबिर) : १९६०-६१ में उड़ीसा सरकार को उड़ीसा राज्य बाल कल्याण परिषद् को भुगतान के लिए १,२०,००० रुपये दिए गए थे जिससे भुवनेश्वर में बहरों के लिए स्कूल तथा होस्टल बनाया जाना था। अकेले होस्टल बनाने के आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

बहरे तथा गूंगे विद्यार्थियों के लिये स्कूल तथा कालेज

†१७६०. **श्री रामचन्द्र मलिक** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र अथवा केन्द्रीय सहायता से देश में बहरों तथा गूंगे विद्यार्थियों के लिए कितने स्कूल तथा कालिज स्थापित किए गए हैं ; और

(ख) इस समय इन संस्थाओं में कितने विद्यार्थी दाखिल हैं ?

†शिक्षा मंत्रालय के भार-साधक मंत्री (श्री हुमायूं कबिर) : (क) और (ख) भारत सरकार ने बहरों तथा गूंगे विद्यार्थियों के लिए कोई स्कूल अथवा कालिज स्थापित नहीं किया है। केन्द्रीय सहायता से स्थापित स्कूल तथा कालिजों की संख्या तथा उनके दाखिल विद्यार्थियों की संख्या इकट्ठी की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ?

उत्तर प्रदेश में खेतिहरों का कल्याण

१७६१. **श्री सरजू पाण्डेय** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६२-६३ में कुल कितनी धनराशि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के खेतिहरों तथा पिछड़ी जाति वालों के कल्याण पर वास्तव में खर्च की गई ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : १९६२-६३ के दौरान उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों, 'अन्य पिछड़े वर्गों' तथा अनुसूचित आदिम जातियों के खेतिहरों के कल्याण पर २३,०५२ लाख रुपये की राशि खर्च की गई।

उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों का शिक्षण-भ्रमण

१७६२. **श्री सरजू पाण्डेय** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२–६३ में कुल कितनी धनराशि उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों के लिये प्रदेश के भीतर अथवा बाहर शिक्षण-भ्रमण के लिये दी गई ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या दी गई धनराशि का पूरा इस्तेमाल किया गया है?

शिक्षा मंत्रालय के भार-साधक मंत्री (श्री हुमायूं कबिर) : १६,५०० रुपये।

(ख) राष्ट्रीय संकट के कारण राशि का उपयोग नहीं किया गया।

महाराष्ट्र में अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियां

†१७६३. **श्री दे० शि० पाटिल** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि.

(क) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए आवास योजना के हेतु १९६३-६४ में महाराष्ट्र सरकार को कितनी रकम दी गई थी; और

(ख) महाराष्ट्र सरकार ने इस अवधि के लिए कितनी रकम मांगी थी?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है?

विवरण

(लाखों में रुपये)

	राज्य सरकार द्वारा मांगी गई रकम			राज्य सरकार को दी गई रकम		
	*राज्य क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	जोड़	*राज्य क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	जोड़
१. अनुसूचित आदिम जातियां	३·२०	—	३.२०	३.२०	—	३.२०
२. अनुसूचित जातियां	११.५०	१.६०	१३.१०	११.५०	३.०५	१४.५५
जोड़	१४.७०	१.६०	१६.३०	१४.७०	३.०५	१७.७५

*अनुसूचित आदिम जातियों तथा अनुसूचित जातियों की राज्य क्षेत्र की योजनाओं में ऋण भी शामिल है।

जैनेवा में अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन

१७६४. **श्री ई० मधुसूदन राव** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जैनेवा में हुए अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन में भाग लेने के लिये भारत को निमन्त्रण मिला था;

(ख) यदि हां, तो भारत से कितने प्रतिनिधि गये थे; और

(ग) उन्होंने उस सम्मेलन में क्या दृष्टिकोण रखे?

†मूल अंग्रेजी में

शिक्षा मंत्रालय के भार-साधक मंत्री (श्री हुमायूं कबिर) : (क) जी हां।

(ख) भारत से कोई नहीं, किन्तु श्री एन० के० सुन्दरम प्रथम सचिव, भारतीय दूतावास बौन, को सम्मेलन में भाग लेने के लिए भेजा गया था।

(ग) शिक्षा के विभिन्न पहलुओं से संबंधित सम्मेलन की एक विस्तृत कार्यसूची थी। सम्मेलन की रिपोर्ट प्रकाशित होने पर, उसकी एक प्रति सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

आन्ध्र प्रदेश में तेल की खोज

†१७६५. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के कड़पा ज़िले में कन्यातीर्थम में दिसम्बर १९६२ के अन्तिम सप्ताह में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग में तेल की संभावनाओं की खोज की थी ;

(ख) यदि हां, तो उसकी उपपत्तियां क्या है ;

(ग) क्या इस क्षेत्र में कोई और भी खोज की गई थी ; और

(घ) यदि हां, तो कब ?

†**खान तथा ईंधन मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी हां।

(ख) तेल मिलने के कथित स्थान पर आयल आक्साइड की फिल्में पाई गई थी। कच्चे तेल का कोई पता नहीं लगा।

(ग) और आगे जांच आवश्यक नहीं समझी गई क्योंकि भूतत्वीय सर्वेक्षणों में तेल होने की संभावनाओं का पता नहीं लगा है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

कन्यातीर्थम में भूतत्वीय सर्वेक्षण

†१७६६. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, १९६३ के अन्तिम सप्ताह में दक्षिण पूर्व परिमंडल अन्वेषण शाखा कुरनूल द्वारा कन्यातीर्थम, जिला कड़पा आन्ध्र प्रदेश, में कोई भूतत्वीय सर्वेक्षण-कार्य किया गया था।

(ख) यदि हां, तो उनकी विस्तृत खोज क्या है ; और

(ग) क्या उस क्षेत्र में अग्रेतर अन्वेषण कार्य करने का कोई प्रस्ताव है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री म० मो० दास)** : (क) हां। भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण संस्था के एक अन्वेषण सहायक ने नवम्बर, १९६२ में इस स्थान का केवल ऊपरी सर्वेक्षण किया था।

(ख) आरंभिक ऐतिहासिक काल में 'पैलियोलिथ', 'निरोलिथ', 'मेगालियं' तथा मिट्टी के बर्तन भी मिले थे, जिनमें अधिकतर काले और लाल रंग के बर्तन थे।

(ग) जी नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

मैसूर राज्य में राजस्व कार्यालय

†१७६७. **श्री सिद्धय्या** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य के राजपत्रित राजस्व अधिकारियों की अन्तर्राज्यीय वरिष्ठता सूची को अन्तिम रूप दिये जाने का मामला गृह-कार्य मंत्रालय के पास लम्बित पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो कब से ;

(ग) क्या इस मामले में संघ लोक सेवा आयोग से सलाह ली गई है ;

(घ) क्या यह सच है कि सूची को अन्तिम रूप दिये जाने में विलम्ब होने के कारण भारतीय प्रशासनिक सेवा के बहुत से वरिष्ठ अधिकारियों का संपुष्टिकरण रुका हुआ है ; और

(ङ) सूची को कब तक अन्तिम रूप दे दिये जाने की संभावना है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस)**: (क) से (घ). मैसूर राज्य के राजपत्रित राजस्व अधिकारियों के अभ्यावेदन अगस्त १९६२ से केन्द्रीय सलाहकार समिति के पास लम्बित पड़े हैं जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम, १९५६ के धारा ११५(५) के अधीन बनाई गई थी। इस मामले में संघ लोक सेवा आयोग से सलाह करने की आवश्यकता नहीं है। अन्तर्राज्यीय वरिष्ठता को अन्तिम रूप न देने से भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों के संपुष्टिकरण में विलम्ब नहीं हुआ परन्तु इससे राज्य असैनिक सेवा अधिकारियों की भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति में विलम्ब हो गया है।

(ङ) आशा है कि केन्द्रीय सलाहकार समिति की सिफारिशें शीघ्र ही मिल जायेंगी और उसके बाद सूची को अत्यधिक शीघ्रता से अन्तिम रूप दिया जायेगा।

नई दिल्ली के न्यायालय

†१७६८. **श्री यशपाल सिंह** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली के न्यायालयों के लिए एक नई इमारत बनाने की योजना छोड़ दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं ;

†**गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस)** :(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली के स्कूलों में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी

†१७६९. **श्री यशपाल सिंह** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में हाल में दी हुई नवीं तथा दसवीं कक्षाओं की परीक्षाओं में ४० प्रतिशत से अधिक विद्यार्थी फेल हो गये हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि विद्यार्थियों को इस आशा से इन्हीं कक्षाओं में रोक लिया जाता है कि हायर सैकेंडरी की अन्तिम परीक्षा में परीक्षाफल अच्छा रहे ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार माध्यमिक स्कूलों के मुख्याध्यापकों को ऐसे तरीके न अपनाने की सलाह देने का इरादा रखती है ?

---

†मूल अंग्रजी में

†शिक्षा मंत्रालय के भार साधक मंत्री (श्री हुमायूं कबिर : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

नागा विद्रोही

†१७७०. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २८ मई, १९६३ को पुरानी कचार रोड पर तौश्मंग के समीप नागा विद्रोहियों तथा मनीपुर राइफल्स के एक गश्ती दल के बीच गोली चली थी ;

(ख) यदि हां, तो दोनों पक्षों के कितने व्यक्ति हताहत हुए ;

(ग) मुठभेड़ का परिणाम क्या हुआ ; और

(घ) इस बारे में प्राधिकारियों द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) यह घटना २७ मई, १९६३ को तौसांग गांव के समीप हुई थी जो पुरानी कचार रोड पर नहीं है ।

(ख) दो मनीपुर राइफलधारियों तथा तीन नागा गुण्डों को गोलियों से घाव लगे ।

(ग) और (घ) नागा गुंडों से कुछ हथियार तथा गोला-बारूद बरामद हुआ था तथा ४ नागा गिरफ्तार किये गये थे । भारतीय दंड संहिता की धाराओं १४८, १४९, ३०७ तथा ३२६, पश्चिम बंगाल सुरक्षा अधिनियम, १९५० की धारा ११ और भारतीय शस्त्र अधिनियम की धारा २५ के अन्तर्गत मामला दर्ज कर लिया गया था । मामले की जांच हो रही है । सुरक्षा उपायों को कड़ा कर दिया गया है ।

वैज्ञानिक अनुसन्धान में प्रशिक्षण

†१७७१. श्री प्र० र० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०, १९६१ तथा १९६२ में छात्रवृत्तिधारियों के रूप में इंग्लैंड में वैज्ञानिक अनुसंधान में प्रशिक्षण पाने वाले विद्यार्थियों तथा अन्य व्यक्तियों की संख्या क्या है ;

(ख) इन तीन वर्षों में जिन विद्यार्थियों तथा अन्य व्यक्तियों ने विज्ञान, कृषि तथा इंजीनियरी में उच्चतर अध्ययन के लिये विदेश जाने की आज्ञा मांगी थी उनकी संख्या क्या है तथा उनमें से कितनों को आज्ञा दी गई थी ;

(ग) क्या संघ सरकार ने ब्रिटिश सरकार को अमरीका की फुलब्राइट योजना जैसे किसी कार्यक्रम को चालू करने की संभावना की जांच करने के लिए कोई सुझाव दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर ब्रिटिश सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायूं कबिर)** : (क) वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के अधीन इंग्लैंड में वैज्ञानिक अनुसंधान में प्रशिक्षण पाने वाले विद्यार्थियों तथा अन्य व्यक्तियों की संख्या निम्नलिखित है :–

	विद्यार्थी	अन्य	कुल
१९६०	१	४५	४६
१९६१	१	४४	४५
१९६२	२	४६	४९

(ख) अपेक्षित जानकारी तत्काल ही उपलब्ध नहीं है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अध्यापक

†१७७२. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में अध्यापकों के कक्षाओं में पढ़ाने की बजाये निजी ट्यूशन करने के प्रश्न की जांच की है ;

(ख) क्या अध्यापक तइस गन्दे तरीके को मुख्यतः इसीलिए अपनाते हैं कि उन्हें वेतन बहुत कम मिलता है ;

(ग) सरकार किस प्रकार इस कुरीति को बन्द करने तथा अध्यापकों को कर्मनिष्ठ सेवा द्वारा नये समाज के निर्माण की उत्तरदायी भूमिका स्वीकार करने के लिए प्रेरित करने का विचार रखती है ; और

(घ) शिक्षा प्राधिकार द्वारा अध्यापकों का आर्थिक तथा सामाजिक स्तर बढ़ाने की आवश्यकता को कहां तक समझा गया है ?

†**शिक्षा मंत्रालय के भार-साधक मंत्री (श्री हुमायूं कबिर)** : (क) से (घ) यद्यपि इस समस्या का कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किया गया है, फिर भी सरकार जानती है कि कभी कभी अध्यापक अपर्याप्त वेतन तथा अन्य चीजों के कारण निजी ट्यूशन का सहारा लेते हैं । सरकार अध्यापकों के आर्थिक तथा सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाने तथा उनकी सेवा की शर्तों में सुधार करने की आवश्यकता के प्रति पूरी तरह से सजग है और इस प्रयोजन के लिए उपाय किये गये हैं तथा किये जा रहे हैं ।

ईंट के भट्टों के लिये कोयला

†१७७३. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या ईंट के भट्टों को कोयले के नियमित संभरण को सुनिश्चित करने के लिये कोई ठोस कदम उठाये गये हैं ताकि भवन-निर्माण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खान और इंधन मंत्री (श्री अलगेशन)** : सितम्बर १९६१ से ईंट पकाने वाले कोयले का संभरण यथासंभव 'ब्लाक रेकों' में किया जा रहा है । पूरे रेकों में इस आयोजित वहन से ईंट पकाने वाले कोयले के संभरण में काफी सुधार आ गया है । १९६३ के पूर्वार्द्ध में इस प्रकार के कोयले के ५३,७०० वैगन भेजे गये हैं जिस का अर्थ यह है कि १९६२ में लगभग ८१,००० वैगनों के वास्तविक संभरण के मुकाबले में वार्षिक संभरण १०७,४०० वैगन रहा है ।

उत्तर प्रदेश में राजनीतिक पीड़ित

†**१७७४. श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ से अब तक उत्तर प्रदेश में राजनीतिक पीड़ितों में बांटी गई राशि कितनी है ;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश से आये कोई आवेदन-पत्र लम्बित पड़े हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : (क) १ जनवरी, १९५८ से ३१ अगस्त, १९६३ तक १,०५,४४० रुपये ।

(ख) और (ग). जी हां, ८ ।

उत्तर प्रदेश में भूतत्वीय सर्वेक्षण

†**१७७५. श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राचीन मन्दिरों तथा अन्य ऐतिहासिक संस्थानों के संबंध में १९६२ में उत्तर प्रदेश राज्य में कोई भूतत्वीय सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों के क्या नाम हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) विशेषत: प्राचीन मन्दिरों ही के बारे में १९६२ में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया था परन्तु पुरातन वस्तुओं के लिये गांव-गांव का अन्वेषी सर्वेक्षण तीसरी पंचवर्षीय योजना के अधीन जारी रखा गया था ।

(ख) गाज़ीपुर, मिर्जापुर, देवरिया, कानपुर, लखनऊ, सीतापुर, बुलन्दशहर, मेरठ और मुजफ्फरनगर ज़िलों में २८६ गांवों का सर्वेक्षण किया गया था ।

उत्तर प्रदेश में विद्यार्थियों को योग्यता छात्रवृत्तियां

†**१७७६. श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अपनी विश्वविद्यालय शिक्षा जारी रखने के लिये निर्धन विद्यार्थियों को योग्यता छात्रवृत्तियां देने के लिये राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के अधीन १९६१-६२ तथा १९६२-६३ में उत्तर प्रदेश सरकार को दी गई सहायता की राशि क्या है ; और

(ख) इसमें से राज्य सरकार द्वारा कितना रुपया खर्च किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†शिक्षा मंत्रालय के भार साधक मंत्री (श्री हुमायूं कबिर) : (क)

	१९६१–६२ .	३,१३,५०० रुपये
	१९६२–६३ .	५,९९,७४० रुपये
(ख)	१९६१–६२ .	१,६५,६१० रुपये
	१९६२–६३ .	५,९९,७४० रुपये

क्षेत्रीय परिषदें

१७७७. **श्री प्रकाश वीर शास्त्री** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत दो वर्षों में क्षेत्रीय परिषदों के कार्य में क्या प्रगति हुई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस) : जैसा कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम, १९५६ की धारा २१ में निर्दिष्ट है, क्षेत्रीय परिषदें सलाहकार संगठन हैं तथा उन्हें दो या अधिक राज्यों या केन्द्र और एक या अधिक राज्यों, जिनके प्रतिनिधि उस परिषद् में हों, के समान हित के मामलों पर विचार-विमर्श करने तथा ऐसे किसी मामले पर की जाने वाली कार्यवाही के लिये केन्द्रीय सरकार तथा सम्बन्धित राज्य सरकारों को सलाह देने का अधिकार है। क्षेत्रीय परिषदें विशेषत: निम्नलिखित मामलों पर विचार-विमर्श कर सकती हैं, और सलाह दे सकती हैं :—

(१) आर्थिक और सामाजिक आयोजना के क्षेत्र में समान हित के मामले;

(२) सीमा सम्बन्धी मतभेद, भाषायी अल्प संख्यकों या अन्तर्राज्य परिवहन के मामले; तथा

(३) राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अधीन राज्यों के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप उठे या उनसे सम्बन्धित मामले ।

प्रथम जुलाई, १९६१ से उत्तरी क्षेत्रीय परिषद् की एक बैठक हुई है, दक्षिण क्षेत्रीय परिषद् की तीन बैठकें तथा पूर्वीय, केन्द्रीय और पश्चिमी क्षेत्रीय परिषदों में से प्रत्येक की दो-दो बैठकें हुई हैं ।

पिछले दो वर्ष की अवधि में हुई क्षेत्रीय परिषदों की बैठकों में विस्तृत विषयों पर विचार-विमर्श किया गया । इस अवधि में क्षेत्रीय परिषदों के समक्ष आये मुख्य-मुख्य मामले निम्नांकित हैं :—

(१) पानी और बिजली का वितरण तथा इससे सम्बन्धित मामले ।

(२) बिजली के साधनों का विकास ।

(३) जन-शक्ति का आयोजन ।

(४) मेडीकल तथा तकनीकी व्यक्तियों को, जिन राज्यों में वे अधिक हों, वहां से ऐसे राज्य में प्रतिनियुक्त करना, जहां पर (ऐसे व्यक्ति) कम हों ।

(५) क्षेत्रीय स्तर पर प्रशिक्षण की सुविधाएं ।

(६) अन्तर्राज्य सड़कों और पुलों का निर्माण तथा रख-रखाव ।

(७) परिवहन व संचार के साधनों का विकास ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(८) विभिन्न क्षेत्रों के लिये कामन पुलिस रिज़र्व फोर्स की स्थापना ।

(९) राज्यों के बीच सीमाओं का समायोजन ।

(१०) राज्यों के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप उठ खड़े मामलों को सुलझाना, जैसेकि सम्पत्तियों और देयताओं को बांटना ।

(११) भाषायी अल्प संख्यकों के लिये रखे गये संरक्षणों को तथा देश के भावनात्मक तथा राष्ट्रीय एकीकरण के लिये अन्य साधनों को कार्यान्वित करना ।

(१२) राष्ट्रीय आपातकाल के परिणामस्वरूप पैदा हुई स्थिति का पुनरीक्षण ।

केन्द्रीय क्षेत्रीय परिषद् की जुलाई, १९६३ में हुई छठी बैठक के अतिरिक्त अब तक हुई सारी बैठकों की कार्यवाहियों की प्रतिलिपियां, जिनमें सम्बन्धित क्षेत्रीय परिषदों के निर्णय तथा उनकी सिफारिशें समाविष्ट थीं, संसद् के पुस्तकालय में पहले ही रखी जा चुकी हैं । केन्द्रीय क्षेत्रीय परिषद् की छठी बैठक की कार्यवाहियों की प्रतिलिपियां भी उन्हें अन्तिम रूप देते ही संसद् के पुस्तकालय में रख दी जायेंगी ।

ऐशियाई खेलों में गूंगे और बहरों का प्रशिक्षण

†१७७८. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न एशियाई खेलों में गूंगों और बहरों के प्रशिक्षण की व्यवस्था के बारे में क्या उपाय किये गये थे; और

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिए किसी संगठन को कोई अनुदान दिया गया है ?

†**शिक्षा मंत्रालय के भार साधक मंत्री (श्री हुमायूं कबिर)** : (क) कोई नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी

†१७७९. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के विरुद्ध लम्बित जांचों की संख्या क्या है;

(ख) ऐसी जांचों की संख्या क्या है जो एक वर्ष से लम्बित हैं, अपराध किस तरह के हैं तथा इन मामलों को निपटाने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या शीघ्रता से उनका निपटारा करने के लिये कोई उपाय किये गये हैं अथवा करने का विचार है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री हजारनवीस)** : (क) से (ग). किसी राज्य सरकार के कामों से सम्बन्धित सेवा करने वाले अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों के विरुद्ध जांचाधीन मामलों की संख्या के बारे में जानकारी तत्काल ही उपलब्ध नहीं है क्योंकि ऐसे मामलों की सूचना केन्द्रीय सरकार को देना अपेक्षित नहीं है । अखिल भारतीय सेवाओं के ३५ सदस्यों के विरुद्ध विभागीय जांच लम्बित है जिनमें से २९ मामले एक वर्ष से अधिक पुराने हैं । लम्बित विभागीय जांच नेकनियती की कमी, कर्त्तव्यनिष्ठ रहने में असफलता तथा एक सरकारी कर्मचारी को शोभा

†मूल अंग्रेजी में

न देने वाले आचरण के आरोपों से सम्बन्धित है । अधिकतर कार्यवाही राज्य सरकारों के पास लम्बित पड़ी है । जो मामले केन्द्रीय सरकार के पास हैं उनके बारे में प्रयत्न किया जा रहा है कि उन्हें यथासम्भव शीघ्र निपटा दिया जाये ।

पाकिस्तानी जासूसी जाल

†१७८०. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री यशपाल सिंह :
श्री श्याम लाल सर्राफ़ :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, १९६३ में कलकत्ता में बिछे पाकिस्तानी जासूसी जाल का पता चला था;

(ख) यदि हां, तो इनका जासूसी करने का ढंग क्या था; और

(ग) इस सम्बन्ध में कितने व्यक्तियों को दंड दिया गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). इस सम्बन्ध में कुल आठ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं । मामला अभी क्योंकि न्यायाधीन है, इसलिये इनकी कार्य-विधि के बारे में जानकारी देना उचित नहीं होगा ।

अन्दमान में अध्यापक

†१७८१. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी सेवा में अध्यापकों की नियुक्ति, पदोन्नति तथा सेवा की शर्तों के नियमों तथा विनियमों को अन्दमान में लागू नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं ?

†**शिक्षा मंत्रालय के भारसाधक मंत्री (श्री हुमायूं कबिर)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विज्ञान मन्दिर

†१७८२. **श्री राम सहाय पाण्डेय** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने विज्ञान मन्दिरों का भार राज्य सरकारों को सौंप दिया है; और

(ख) यदि हां, तो राज्यों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता का स्वीकृत प्रतिरूप क्या है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) (१) राज्य सरकारों को हस्तान्तरित किये गये वर्तमान विज्ञान मन्दिरों के बारे में सारा आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जायेगा ।

(२) उन नये विज्ञान मन्दिरों के बारे में जो राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति से खोले जायें, सारा आवर्ती व्यय केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जायेगा परन्तु अनावर्ती व्यय केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों में ३ : १ के अनुपात में बांटा जायेगा । भूमि तथा इमारत राज्य सरकारों द्वारा ही दिये जाते रहेंगे जैसा कि अब तक होता आया है ।

(३) उपरोक्त प्रबन्ध तीसरी योजना के लिये है । चौथी योजना के दौरान केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच व्यय के आवंटन पर यथासमय सोचा जायेगा ।

नागरिक प्रतिरक्षा

†१७८३. **श्री गो० महन्ती :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६३-६४ के लिये नागरिक प्रतिरक्षा पर प्राक्कलित व्यय क्या है; और

(ख) यह व्यय केन्द्र तथा राज्यों के बीच कैसे बांटे जाने का विचार है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री हजरनवीस) :** (क) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) विशिष्ट नागरिक प्रतिरक्षा उपायों पर होने वाला व्यय संचित किया जायेगा तथा खंड पद्धति के अनुसार केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों में बांटा जायेगा ।

केरल में तेल शोधक कारखाना

†१७८४. **श्री गो० महन्ती :** क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अम्बलमुकुल, केरल में एक तेल शोधक कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) क्या इस क्षेत्र में अशोधित तेल के उत्पादन की व्यापक सम्भावनायें हैं ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री अलगेशन) :** (क) तेल शोधक कारखाने का वास्तविक स्थान अभी निश्चित नहीं किया गया है यद्यपि अम्बलमुकुल का नाम विचाराधीन है

(ख) इस क्षेत्र में अशोधित तेल के निक्षेपों के होने के बारे में अभी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है

अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों का निलम्बन

†१७८५. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्री आर० पी० कपूर, आई० सी० एस और श्री ग्रेवाल, आई० पी० एस० कब से निलम्बित हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उनमें से प्रत्येक के विरुद्ध कौन-कौन से आरोप हैं और किस किस प्रकार की जांच की जा रही है ;

(ग) क्या उन्होंने केन्द्रीय सरकार से कोई अभ्यावेदन किया है ; और

(घ) यदि हां, तो अभ्यावेदन किस प्रकार का है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) श्री आर० पी० कपूर और श्री डी० एस० ग्रेवाल क्रमशः दिनांक १८ जुलाई, १९५९ और ३० अप्रैल, १९५८ से निलम्बित हैं।

(ख) श्री कपूर पर दो मामलों में भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं ४२०, १२०-ख और ४०९, १२०-ख के अधीन कथित अपराधों के लिये मुकदमे चलाये गये थे। पंजाब सरकार ने सरकारी कर्मचारी (जांच) अधिनियम के अधीन श्री कपूर के विरुद्ध सच्चरिता की कमी और शासकीय पद के दुरुपयोग के आठ आरोपों के सम्बन्ध में जांच आरम्भ कर दी है।

करनाल के तीन खून वाले मामले के नाम से विख्यात मामले में श्री ग्रेवाल के विरुद्ध खून के मामले के लिये मुकदमा चलाया गया था। सच्चरित्रता की कमी के बारह मामलों के सम्बन्ध में भी पंजाब सरकार ने उनके विरुद्ध वैभागिक कार्यवाहियां आरम्भ कर दी हैं।

(ग) और (घ). जी, हां श्री कपूर द्वारा उनके अभ्यावेदन में उठाई गई बातों के सम्बन्ध में निर्णय करने के लिये पहले पहल पंजाब सरकार ही सक्षम है।

श्री ग्रेवाल का कोई भी अभ्यावेदन केन्द्रीय सरकार के पास लम्बित नहीं है। अनुशासनिक कार्यवाहियां की जा रही हैं।

औद्योगिक प्रबन्ध "पूल"

†**१७८६. श्री वारियर** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय औद्योगिक प्रबन्ध पूल में कितने अधिकारी हैं ; और

(ख) उन प्रारम्भिक अधिकारियों की संख्या कितनी है जिन्होंने पूल के बनने के समय से लेकर अब तक त्यागपत्र दे दिये हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) एक सौ ग्यारह।

(ख) दस

लद्दाखी बौद्ध बिहार, दिल्ली

†**१७८७. श्री प्र० के० देव** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के लद्दाखी बौद्ध बिहार में बौद्ध दर्शन, साहित्य तथा संस्कृति के अध्ययन के लिये कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या ब्यौरे हैं ; और

(ग) इस अध्ययन के लिये कितना व्यय किया जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**शिक्षा मंत्रालय के भारसाधक मंत्री (श्री हुमायूं कबिर)** : (क) जी, नहीं तथापि, सीमावर्ती क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिये दिल्ली में उच्चतर शिक्षा की एक संस्था स्थापित करने का प्रस्ताव है। संस्था में, अन्य अध्ययन के साथ साथ, बौद्ध दर्शन का उसके विभिन्न पहलुओं में अध्ययन किया जायेगा।

(ख) और (ग) पाठ्यक्रमों और प्रस्तावित संस्था को स्थापित करने में होने वाले व्यय के ब्यौरे विशेषज्ञों की एक समिति के द्वारा तैयार किये जा रहे हैं।

योग का चिकित्सा-विषयक महत्व

†**१७८८. श्री हेम राज** : क्या शिक्षा मन्त्री २१ अगस्त, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या १३६५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योग के चिकित्सा-विषय महत्व पर चिकित्सा विशेषज्ञों का प्रतिवेदन प्रकाशित हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन की कौन-कौन सी सिफारिशें स्वीकृत कर ली गई हैं ; और

(ग) उन्हें क्रियान्वित करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

†**शिक्षा मंत्रालय के भारसाधक मंत्री (श्री हुमायूं कबिर)** : (क) जी हां

(ख) और (ग) भारत सरकार ने यह निश्चय किया है कि योग के स्नायु-विज्ञान-विषयक[1], मनोवैज्ञानिक तथा चिकित्सा-विषयक-पहलुओं के सम्बन्ध में वैज्ञानिक अनुसन्धान किये जाने चाहियें। इस प्रकार के अनुसन्धान को करने के लिये संस्थाओं को सहायता देने के मामले में सरकार को सलाह देने के लिये, स्वास्थ्य मन्त्रालय में "योग अनुसन्धान मन्त्रणादाता समिति" नाम्नी एक समिति स्थापित की गई है और उसने कार्य करना आरम्भ कर दिया है

अंदमान के विद्यार्थियों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां

†**१७८९. श्रीमती सावित्री निगम** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शैक्षणिक वर्ष १९६२–६३ के दौरान अंदमान प्रशासन द्वारा मुख्य भूमि में मैट्रिकोत्तर अध्ययन के लिये कितनी छात्रवृत्तियां प्रदान की गई हैं ;

(ख) ऐसे विद्यार्थियों की संख्या कितनी है जिन्हें छात्रवृत्तियां मिलीं थीं और जो अपनी वार्षिक परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण रहे ; और

(ग) उस शैक्षणिक वर्ष में इस प्रकार के अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को कुल कितना रुपया दिया गया था ?

†**शिक्षा मंत्रालय के भारसाधक मंत्री (श्री हुमायूं कबिर)** : (क) ४३।

(ख) ६

(ग) केवल ४,६०० रुपये ९४ नये पैसे।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Newro-physiological.

अन्दमान में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय

†**१७९०. श्रीमती सावित्री निगम** : क्या शिक्षा मन्त्री १३ मार्च, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ३७५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, कलकत्ता से अंदमान द्वीप समूह के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को असम्बद्ध करने के लिये आवश्यक औपचारिकताएँ पूर्ण कर दी गई हैं ;

(ख) क्या पीछे एक अवसर पर (१९५३ अथवा १९५४ में) पश्चिम बंगाल बोर्ड ने सरकारी हाई स्कूल, पोर्ट ब्लेयर, के तत्कालीन अजमेर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के साथ सम्बद्ध होने के मामले में इस आधार पर आपत्ति उठाई थी कि उन्हें इस परिवर्तन के विषय में समुचित सूचना नहीं दी गई थी ?

†**शिक्षा मंत्रालय के भारसाधक मंत्री (श्री हुमायूं कबिर)** : (क) अभी तक नहीं ।

(ख) जी, हां ।

अन्दमान द्वीप समूह में सहकारी स्टोर

†**१७९१. श्रीमती सावित्री निगम** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंदमान द्वीप समूह में आम तौर पर और विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जिनमें कि नई बस्तियां बसाई गई हैं जो उपभोक्ता सहकारी स्टोर खोले गये हैं उनकी संख्या कितनी है ; और

(ख) क्या यह सच है कि, उत्तर तथा मध्य अंदमान द्वीपसमूह के नई बस्तियों वाले क्षेत्रों में इस प्रकार के सहकारी स्टोरों के अभाव के कारण, खाद्य पदार्थों और प्रति दिन के उपभोग की अन्य उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य बहुत अधिक हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) अन्दमान द्वीपसमूह में, इस समय १६ उपभोक्ता सहकारी स्टोर चल रहे हैं, जिनमें से १२ उत्तर तथा मध्य अन्दमान द्वीप समूह के नई बस्तियों वाले क्षेत्रों में हैं ।

(ख) भाड़े के व्यय आदि के कारण इन क्षेत्रों में वस्तुओं के मूल्य पोर्ट ब्लेयर के बाजार भावों से अधिक हैं ।

चतुर्थ योजना के दौरान सामान्य शिक्षा

†**१७९२. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चतुर्थ योजना काल के दौरान सामान्य शिक्षा के ब्यौरों को तैयार करने के लिये एक बोर्ड स्थापित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका गठन तथा उसके निर्देश-पद क्या हैं ?

†**शिक्षा मंत्रालय के भारसाधक मंत्री (श्री हुमायूं कबिर)** : (क) जी, हां । इस प्रयोजन के लिये एक कार्यकारी दल स्थापित किया गया है

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) कार्यकारी दल का गठन तथा उसके निर्देश-पद निम्नलिखित हैं :—

गठन :

शिक्षा मंत्रालय

१. श्री पी० एन० कृपाल, शिक्षा सचिव । . . . (सभापति)

२. श्री आर० पी० नायक, संयुक्त सचिव ।

३. श्री आर० आर० सिंह, संयुक्त सचिव ।

४. श्री एच० ओ० जोशी,* संयुक्त सचिव ।

५. श्री आर० के ० कपूर संयुक्त शिक्षा मन्त्रणादाता ।

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थायी समितियों के सचिव

६. श्री जे० पी० नायक . . . . . (प्रारंभिक शिक्षा)

७. श्री आर० एस० चितकारा . . . (विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा)

८. श्री ए० आर० देशपांडे . . (सामाजिक शिक्षा)

महिला शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय परिषद्

९. श्रीमती रक्षा सरन

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

१०. डा० पी० जे० फिलिप

११. डा० वी० एस० पाटनकर

योजना आयोग

१२. डा० डी० के० मलहोत्रा

१३. श्री के० एल० जोशी

१४. श्री पीतम्बर पन्त

१५. श्री डी० पी० नायर

१६. श्री एस० एन० सर्राफ

वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय

१७. श्री जी० के० चन्दीरमानी

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय

१८. श्री एम० सी० नानावती

---

†मूल अंग्रेजी में

*माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थायी समिति के भी सचिव ।]

श्रम और रोजगार मंत्रालय

१९. श्री एस० अब्दुल कादिर

उद्योग मंत्रालय

२०. श्री वी० के० रामस्वामी

राज्यों के शिक्षाविद्

२१. डा० डी० एम० सेन, सचिव, शिक्षा विभाग, पश्चिम बंगाल ।

२२. श्री एन० डी० सुन्दरावादिवेलु, लोक शिक्षा निदेशक, मद्रास ।

२३. श्री सी० एन० चाक, शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश ।

२४. श्री जे० डी० शर्मा, लोक शिक्षा निदेशक, पंजाब ।

२५. श्री ए० सी० देव, गाउडा

२६. श्री के० कुरुविला जैकब

२७. कुमारी एस० पाननयिकर

२८. श्री एस० नटराजन

२९. कुमारी के० नायर, सहायक शिक्षा सलाहकार, शिक्षा मंत्रालय (सचिव)

निर्देश पद

(१) तृतीय योजना काल के कार्यक्रमों और योजनाओं की प्रगति का आलोचनात्मक पुन-विलोकन करना ;

(२) वर्तमान घटना-प्रवाह और अन्य उपलब्ध सामग्री को दृष्टिगत रखते हुए उस स्थिति का अनुमान लगाना जिस पर कि तृतीय योजना काल के अन्त में पहुंचने की सम्भावना है ; और

(३) चतुर्थ योजना के लिये, जहां कहीं भी सम्भव हो, १५-वर्षीय दृश्यमान क्षेत्र, १९६६–८१, में प्रस्तावों का तैयार करना ।

दिल्ली में शराब का उपभोग

†१७९३. श्री वी० चं० शर्मा : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९५७–५८ से दिल्ली में शराब का उपभोग दुगना हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरतवीस) : (क) जी, नहीं । यह लगभग ४२ प्रतिशत बढ़ा है ।

(ख) इसके अनेक कारण हो सकते हैं, उदाहरणार्थ,

(१) जनसंख्या में वृद्धि;

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) शराब के अवैध विक्रय को रोकने के लिये दिल्ली प्रशासन द्वारा अपनाये गये अनेक उपायों के कारण वैध शराब के विक्रय में हुई वृद्धि;

(३) या तो अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों आदि के प्रतिनिधियों के रूप में अथवा पर्यटकों के रूप में दिल्ली को आने वाले विदेशियों की संख्या, और राजधानी को आने वाले भारतीय लोगों, जिनमें से अधिकांश उन राज्यों से आते हैं जहां 'मद्य निषेध' लागू हैं, की संख्या में वृद्धि।

पैट्रोलियम उत्पादों का निर्यात

†१७९४. **श्री राम रतन गुप्त** : क्या **खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एसो स्टैण्डर्ड ने १९६२-६३ में किन्हीं पैट्रोलियम उत्पादों का निर्यात किया है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी विदेशी मुद्रा उपार्जित की गई है?

†**खान और इंधन मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी, हां

(ख) १९६२-६३ में लगभग १७३.६५ लाख रुपये उपार्जित किये गये थे

मनीपुर राइफलस

†१७९५. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर राइफलस के जवानों और अधिकारियों को वेतन और भत्तों के कौन कौन से क्रम देय हैं; और

(ख) क्या उनके वेतन-क्रमों को सुधारने का सरकार का विचार है?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजारनवीस)** : (क) मनीपुर राइफल्स के सैनिक कर्मचारियों को देय वेतन और भत्तों के क्रम संलग्न विवरण में दिखाये गये हैं

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० १७०२/६३।]

(ख) इस समय कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है

तेल की खोज के लिये प्रशिक्षण

†१७९६. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या खान और इंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल के खोज कार्य में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए कुछ व्यक्तियों को रूस भेजा गया है;

(ख) यदि हां, तो उनके प्रशिक्षण में कितना समय लगेगा;

(ग) इनका खर्चा भारत सरकार देगी या रूस की सरकार; और

(घ) यह व्यक्ति किन-किन प्रान्तों से लिये गये हैं?

†**खान और इंधन मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) तेल तकनीकी के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षण पाने के लिए तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने ३६ तकनीकी रूस को भेजे हैं। एक और तकनीकी का शीघ्र ही जाने का कार्यक्रम है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) प्रशिक्षण की अवधि ६ महीनों से लेकर १२ महीनों तक है।

(ग) इस का खर्चा तेल प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा दिया जायेगा।

(घ) निर्वाचित उम्मीदवार निम्नलिखित राज्यों में से हैं:—

गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब, आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, मैसूर, राजस्थान, महाराष्ट्र, मद्रास और पश्चिमी-बंगाल ।

दिल्ली पुलिस

१७९७. { श्री कछवाय :
श्री बड़े :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली पुलिस में इन्स्पैक्टरों, सब-इन्स्पैक्टरों, असिस्टेन्ट सब-इन्स्पैक्टरों तथा हेड कान्सटेबलों के कितने पद हैं ;

(ख) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए कितने पद रक्षित हैं ; और

(ग) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कितन व्यक्ति वास्तव में उन पर काम कर रहे हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस) :

(क) इन्स्पैक्टर	१२३
सब-इन्स्पैक्टर	७७०
असिस्टैन्ट सब-इन्स्पैक्टर	७१०
हेड कान्सटेबल	२३४६

(ख) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये रक्षण केवल उन्हीं पदों में रखा जाता है, जिनके लिये सीधी भरती की जाती हैं अर्थात् सब-इन्स्पैक्टर (अभियोजन), असिस्टैन्ट सब-इन्स्पैक्टर तथा कान्स्टेबल रक्षण की प्रतिशत मात्रा निम्न प्रकार है :

(१) अनुसूचित जातियां	सीधी भरती किये जाने वाले रिक्त पदों का १६२/३ प्रतिशत ।
(२) अनुसूचित आदिम जातियां	सीधी भरती किये जाने वाले रिक्त पदों का ५ प्रतिशत ।

अब तक उपलब्ध पदों की संख्या से सम्बंधित सूचना एकत्रित की जा रही है, और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायगी ।

(ग)

	इन्स्पैक्टर	सब-इन्स्पैक्टर	असिस्टैन्ट सब-इन्स्पैक्टर	हेड कान्स्टैबल
अनुसूचित जातियां	—	३	२१	३५
अनुसूचित आदिम जातियां	—	—	२	१४

हिन्दी में नोटिंग

१७९८ श्री प्रकाश वीर शास्त्री :
श्री प० ला० बारूपाल :
श्री कछवाय :
श्री रामेश्वरानन्द :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न मंत्रालयों तथा उनके संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों में कितने ऐसे अनुभाग हैं जिनमें हिन्दी में नोट लिखने की अनुमति दे दी गई है ; और

(ख) इन अनुभागों में से कितने ऐसे हैं जिन्होंन हिन्दी में नोट लिखना वास्तव में प्रारम्भ कर दिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाजरनवीस) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

उड़ीसा में होमगार्ड

१७९९. **श्री मोहन नायक** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) उड़ीसा में होम गार्डों में कितनी महिलाए भर्ती की गई हैं ; और

(ख) उन्हें किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जा रहा है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाजरनवीस) : (क) उड़ीसा में अभी तक कोई महिला होम गार्डों में भर्ती नहीं की गई है ।

(ख) भर्ती के पश्चात् उन्हें दिये जाने वाले प्रशिक्षण के सम्बन्ध में राज्य सरकार विचार कर रही है ।

जंतर-मंतर वेधशाला, नई दिल्ली

†१८००. श्री राम चन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली स्थित जंतर मंतर वेधशाला के संधारण कार्य की पुरातत्वीय विभाग द्वारा बहुत उपेक्षा की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं , और

(ग) उस वेधशाला के संरक्षण के लिय सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) स्मारक के संरक्षण के लिये वार्षिक तथा विशेष मरम्मत कार्य भी किये जाते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पैट्रोलियम का उत्पादन

†१८०१. श्री राम चन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पैट्रोलियम का उत्पादन बहुत कम हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ?

†खान और ईंधन मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्राथमिक विद्यालयों में स्थान

†१८०२. श्री कोया : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रारम्भिक विद्यालय में स्थान की समस्या को हल करने के लिय केन्द्रीय सरकार राज्यों को क्या सहायता दे रही है ; और

(ख) क्या किसी राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में सहायता के लिये केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है ?

†शिक्षा मंत्रालय में भार साधक मंत्री (श्री हुमायूं कबीर) : (क) राज्य सरकारों को स्तरी योजना के लिये केन्द्रीय सहायता दी जाती है और प्रारम्भिक विद्यालयों के निर्माण के लिये सहायता की कोई विशेष प्रतिरूप नहीं है ।

(ख) इस प्रकार की विशिष्ट सहायता के लिये कुछ राज्य सरकारों ने हाल ही में मंत्रालय से प्रार्थना की है । मामला विचाराधीन है ।

उड़ीसा के लिये कोयला

†१८०३. श्री राम चन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा सरकार को दिये जाने वाले कोयले के अभ्यंश के आवंटन में भारी कटौती कर दी गई है ; और

(ख) क्या इस कटौती से उस राज्य के उद्योगों में एक संकट पैदा हो गया है ?

†खान और ईंधन मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख). जी, नहीं वास्तव में तो मार्च, १९६३ से उड़ीसा राज्य के लिये कोयला-कोक का मासिक कोटा ५१४ वैगनों से बढ़ाकर ५३३ वैगनों का कर दिया गया है, जनवरी से जून, १९६३ की अवधि के दौरान औसतन लदान, ६५९ वैगन प्रति माह की दर से, इससे और भी अधिक रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उत्तर प्रदेश में शिक्षा

१८०४. श्री सरजू पाण्डेय : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में शिक्षा प्रसार के लिये नये जिले लगाने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश मंत्रालय ने केन्द्र से कोई बातचीत की है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय मंत्रालय की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्रालय के भारसाधक मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

उड़ीसा के गैर-सरकारी कालेजों को अनुदान

†१८०५. श्री अ० त्रि० शर्मा : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य के उन गैर-सरकारी कालेजों के क्या क्या नाम हैं जिन्होंने गत तीन वर्षों में विज्ञान विभाग को सुधारने के हेतु और भवनों का निर्माण करने के हेतु आर्थिक सहायता के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास प्रार्थनापत्र भेजे हैं; और

(ख) उन को कितना कितना रुपया दिया गया है ?

†शिक्षा मंत्रालय के भारसाधक मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) १९६०-६१, १९६१-६२ और १९६२-६३ में विज्ञान विभागों का सुधार करने के हेतु और भवनों का निर्माण करने के हेतु अनुदानों के दिये जाने के लिये निम्नलिखित गैर-सरकारी कालेजों ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास प्रार्थनापत्र भेजे थे :—

(१) भद्रक कालेज, भद्रक;
(२) क्राइस्ट कालेज, कटक;
(३) स्टेवार्ट साइन्स कालेज, कटक;
(४) खल्लीकोट कालेज, बरहामपुर; और
(५) साइन्स कालेज, क्योंझर ।

(ख) पुस्तकालय भवन के लिये भद्रक कालेज, भद्रक को ४०,००० रुपये ।

जवानों के मनोरंजन के लिए दिल्ली के कलाकारों की यात्रा

१८०६. श्री हीरालाल बेरवा : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के कलाकारों का एक दल जवानों का मनोरंजन करने के लिए मोर्चे पर गया था;

(ख) इन्होंने कहां-कहां अपना प्रोग्राम किया;

(ग) इस दल में कितने कलाकार थे; और

(घ) उन पर कितना धन व्यय हुआ और वह किसने दिया ?

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) जी हां ।

(ख) सेंट्रल कमाण्ड के अग्रिम इलाके ।

(ग) १४ ।

(घ) २०८८ रुपये ४० नये पैसे, इस मंत्रालय ने खर्च किये ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों को रियायत

†१८०७. **श्री दे० जी० नायक :**
श्री पु० र० पटेल :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों और संघ सरकार द्वारा नियंत्रित सभी प्रविधिक और अन्य शिक्षण संस्थाये (१) स्थानों के आरक्षण, (२) आयु-सीमा के शिथिल करने और (३) अंकों की प्रतिशत संख्या के शिथिल करने के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों को रियायतें दे रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह रियायतें शिक्षा मंत्रालय के अनुदेशों के अनुसार ही दी जाती हैं ?

†**शिक्षा मंत्रालय के भारसाधक मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** :(क) और (ख). प्रविधिक शिक्षा की अखिल भारतीय परिषद् की सिफारिशों के अनुसार, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों को निम्नलिखित रियायतें दी जाती हैं :—

(१) २० प्रतिशत स्थान आरक्षित किये जाते हैं, बशर्ते कि विद्यार्थी उपलब्ध हों;

(२) योग्यता के आधार पर जो अन्तिम विद्यार्थी प्रवेश पा लेता है उसके अंकों की तुलना में १० प्रतिशत रियायत दी जाती है; और

(३) अधिकतम आयु सीमा लगभग तीन वर्ष तक शिथिल की जाती है ।

उच्च शिक्षा के केन्द्र

†१८०८. **श्री महेश्वर नायक :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तत्वावधान में उच्च शिक्षा के लिये अब तक कितने केन्द्र खोले गये हैं और इस वर्ष कितने केन्द्र खोलने का विचार है तथा उनके स्थानों के नाम और अध्ययन के विषय क्या हैं; और

(ख) इन केन्द्रों में से प्रत्येक पर कितना रुपया व्यय किया जायेगा ?

†**शिक्षा मंत्रालय के भारसाधक मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** :(क) और (ख).१९६२–६३ से उच्च शिक्षा के निम्नलिखित केन्द्रों ने कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है :—

विश्वविद्यालय का नाम	केन्द्र का नाम	अध्ययन का विषय	वि० अ० आ० द्वारा मंजूर किया गया कुल व्यय (लाखों में)
१	२	३	४
देहली	(१) भौतिक शास्त्र विभाग	सैद्धान्तिक भौतिक शास्त्र और खगोल भौतिकी	९.५५
	(२) रसायन शास्त्र विभाग	प्राकृतिक उत्पादों का रसायन-विज्ञान ।	९.२२

†मूल अंग्रेजी में ।

१	२	३	४
कलकत्ता	(३) रेडियो भौतिकी और ऋणायु-विज्ञान विभाग ।	रेडियो तरंग संचारण, ऊपरी वायुमंडल और रेडियो-खगोल विज्ञान ।	११.७७
बम्बई	(४) गणित विभाग	गणित	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा २०,००० रुपये के तदर्थ अनुदान की मंजूरी दे दी गई है। किये जाने वाले कुल व्यय का अभी हिसाब लगाया जाना है ।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, आयोग ने इस वर्ष निम्नलिखित १३ विश्वविद्यालय विभागों को उच्च शिक्षा के केन्द्रों के रूप में स्वीकृत कर लिया है :—

१	२	३	४
अन्नमलाई	(१) प्राणिशास्त्र विभाग	समुद्री प्राणिशास्त्र	८.४६
बम्बई	(२) अर्थशास्त्र विभाग	लोक वित्त और औद्योगिक अर्थशास्त्र ।	६.०५
	(३) व्यावहारिक रसायन शास्त्र विभाग	कपड़े बनाने के रेशों और रंगों का रसायनविज्ञान ।	जो कुल व्यय किया जायेगा उसका अभी हिसाब लगाया जाना है ।
कलकत्ता	(४) गणित विभाग	व्यावहारिक गणित	१०.०२
देहली	(५) बनस्पति विज्ञान विभाग	पौधों का आकृति-विज्ञान और भ्रूण-विज्ञान ।	६.६४
	(६) प्राणिशास्त्र विभाग	साइटोलोजी, साइटो-केमिस्ट्री, प्रोटोजूलोजी और एण्डो-क्रिनोलोजी सहित सैल बायोलोजी ।	६.५८
	(७) अर्थशास्त्र विभाग	आर्थिक इतिहास और विकास का अर्थशास्त्र ।	२.७५

१	२	३	४
मद्रास .	(८) भौतिक शास्त्र विभाग।	बायोफिजिक्स, क्रिस्टेलोग्राफ़ी।	९.८२
	(९) बनस्पति विज्ञान विभाग।	प्लांट फिज़ियोलोजी, माइकोलोजी और प्लांट पैथोलोजी।	९.०६
पूना . .	(१०) गोखले इंस्टीट्यूट आफ़ पालिटिक्स एण्ड इकानामिक्स।	कृषि अर्थशास्त्र	६.४४
	(११) डकन कालेज	एपलाइड लिंग्विस्टिक्स और फ़ोनेटिक्स।	८.८४
सागर . .	(१२) भू-भौतिकीय विभाग।	खनिज विज्ञान, पेट्रोलोजी, स्ट्रक्चुरल ज्योलोजी और ज्योमोरफ़ोलोजी।	९.५१
विश्वभारती	(१३) दर्शन विभाग	अध्यात्मविद्या	जो कुल व्यय किया जाना है उसका अभी हिसाब लगाया जायेगा।

आशा है कि यह चालू वर्ष के दौरान कार्य करना प्रारम्भ कर देंगे।

उद्योगों में प्रशिक्षण

†१८०९. **श्री याज्ञनिक : क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य योजना के अधीन १९६१ में कितने विद्यार्थी व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिये जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य को भेजे गये हैं;

(ख) कितने विद्यार्थियों ने विभिन्न उद्योगों में स्नातकोत्तर उपाधियों के स्तर का उच्च प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये अनुमति दिये जाने के लिये प्रार्थनापत्र दिये हैं;

(ग) क्या इन विद्यार्थियों को अनुमति नहीं दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)**: (क) १७।

(ख) ८।

†मूल अंग्रेजी में

(ग) और (घ). जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य के प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित की गई शर्तों के अधीन, केवल उद्योग में व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिये ही छात्रवृत्तियां प्रदान की गई हैं। इसलिये छात्रों की प्रार्थना स्वीकार नहीं की जा सकी।

सीनियर इकानामिक स्टेटिस्टिकल इन्वैस्टीगेटर

†१८१०. **श्री याज्ञनिक :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत जनवरी में संघ लोक सेवा आयोग ने सीनियर इकॉनामिक स्टेटिस्टिकल इनवेस्टीगेटर के ५० पदों के लिये प्रार्थनापत्र मंगाने के हेतु विज्ञापन दिया था; और इस वर्ष अप्रैल/मई में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ४०० अभ्यार्थियों का इन्टरव्यू लिया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस इन्टरव्यू के परिणामस्वरूप कितने स्थान भर दिये गये हैं ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज़रनवीस) : (क) और (ख). अगामी आयोजन और समन्वय की आम नीति के अनुसरण में, संघ लोक सेवा आयोग ने जनवरी, १९६३ में नियोजक मंत्रालयों/विभागों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर इकानोमिक/स्टेटिस्टिकल इनवैस्टी-गेटर्स के पदों के लिये एक साथ बहुत सी भरती करने के लिए एक समेकित विज्ञापन दिया था। रिक्त स्थानों की संख्या लगभग ६० बताई गई थी और यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि यह संख्या बदली भी जा सकती है। अप्रैल और मई, १९६३ में आयोग ने २८१ अभ्यार्थियों का इन्टरव्यू लिया था और परिणामस्वरूप उपयुक्त अभ्यार्थियों की एक तालिका तैयार कर ली है। जब कभी मंत्रालयों/विभागों से दृढ़ मांगें आती हैं तो इस तालिका में से नामों की सिफारिश की जाती है। अभी तक बारह स्थानों के लिए एक दृढ़ मांग आई है जिस के लिए तालिका से नामनिर्देशित कर दिये गये हैं। तालिका अभी चलाई जा रही है।

आसाम में बिना दावे के पाकिस्तानी पारपत्र

†१८११. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या गृह-कार्य मंत्री १४ अगस्त, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ३६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम पारपत्र कार्यलय में बिना दावे के कितने पाकिस्तानी पारपत्र इकट्ठे हो गये हैं ; और

(ख) ऐसे पाकिस्तानियों को देश से बाहर निकालने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं जोकि अपनी पारपत्रों को लेने की परवाह किये बिना ही भारत में निर्धारित समय से अधिक समय तक ठहरते हैं ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ज़रनवीस): (क) ऐसे पारपत्रों की संख्या १२७४ है जोकि पारपत्र धारियों के पूरे पतों के बिना ही डाक द्वारा अथवा अभिकर्ताओं के माध्यम से प्राप्त हुए हैं।

(ख) ऐसे पाकिस्तानियों की सूचियां छाप ली गई हैं और उन लोगों को खोज निकालने के लिये वे राज्य सरकार द्वारा सभी जिला पुलिस अधिकारियों और थानों को परिचालित कर दी गई हैं जिस से कि, उन के अनधिकृत रुप से ठहरने के लिये, विदेशी व्यक्ति अधिनियम के अधीन उन के विरुद्ध कार्यवाही की जा सके।

---

†मूल अंग्रेजी में

चुने हुए विश्वविद्यालयों में अमरीकी अध्ययन सम्बन्धी विभागों की स्थापना

†१८१२. **श्री अ० व० राघवन :**
श्री पोट्टेकाट्ट :
श्री प० कुन्हन :
श्री कोया :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चुने हुए विश्वविद्यालयों में अमरीकी अध्ययन सम्बन्धी विभाग खोलने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) इस प्रयोजन के लिये कौन कौन से विश्वविद्यालय चुने गये हैं ; और

(ग) इन विभागों में कितने अमरीकी प्रोफेसरों के नियुक्त किये जाने की सम्भावना है और इस प्रयोजन के लिये पी० एल० ४८० की निधियों से कितनी धनराशि उपलब्ध होगी ?

†**शिक्षा मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) जी, हां ।

(ख) बम्बई, जादवपुर और उस्मानिया विश्वविद्यालयों में उक्त विभाग खोलने का विचार है ।

(ग) तीन प्रोफ़ेसरों के (प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिए एक) नियुक्त किये जाने की संभावना है । इस प्रयोजन के लिये पी० एल० ४८० की निधियों से जो धनराशि उपलब्ध की जानी है वह ज्ञात नहीं है ।

पेट्रो-केमिकल उद्योग

†१८१३. **श्री दे० जी० नायक :**
श्री मानसिंह पु० पटेल :

क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात में पेट्रो-कैमीकल उद्योग प्रारम्भ करने के लिये गुजरात सरकार ने संघ सरकार से प्रार्थना की है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उद्योग गुजरात सरकार के साथ भागिता के आधार पर स्थापित किये जायेंगे ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) गुजरात सरकार ने यह इच्छा व्यक्त की है कि जितनी शीघ्र सम्भव हो सके गुजरात में पेट्रो-कैमिकल उद्योग स्थापित किया जाय ।

(ख) गुजरात में पेट्रो-कैमिकल उद्योग स्थापित करने के प्रश्न पर इस समय सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है । इस औद्योगिक स्थापना के स्वामित्व प्रतिरूप के सम्बन्ध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

बौक्साइट पर स्वामिस्व[1]

†१८१४. { श्री हरि विष्णु कामत :
श्री यशपाल सिंह :
श्री जसवन्त मेहता :

क्या खान और ईंधन मंत्री २८ अगस्त, १९६३ के बौक्साइट पर स्वामिस्व से सम्बन्धित तारांकित प्रश्न संख्या ३३४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कब प्रस्ताव किया गया था और उस प्रस्ताव के ब्यौरे क्या हैं ;

(ख) किन किन राज्य सरकारों और गैर-सरकारी दलों के साथ केन्द्रीय सरकार ने चर्चायें की थीं; और

(ग) किन निष्कर्षों पर पहुंचा गया ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) मध्य प्रदेश सरकार ने दिनांक १७ अक्टूबर, १९६२ के पत्र में यह प्रस्ताव किया है। उन्हों ने प्रस्ताव किया है कि बौक्साइट पर स्वामिस्व की दर को खनिज पदार्थ के खान के सुहाने पर के विक्रय मुल्य की ५ प्रतिशत से बढ़ा कर साढ़े सात प्रतिशत कर दिया जाय, परन्तु कम से कम यह ५० न० पै० प्रति टन हो।

(ख) केवल बौक्साइट के ही सम्बन्ध में नहीं अपितु सभी बड़े खनिज पदार्थों के सम्बन्ध में, स्वामिस्व की दरों को पुनरीक्षित करने के प्रश्न को केन्द्रीय सरकार ने जनवरी, १९६१ में उठाया था और सभी राज्य सरकारों से अपने अपने सुझाव देने की प्रार्थना की थी। बौक्साइट के सम्बन्ध में मध्य प्रदेश तथा बिहार की केवल दो राज्य सरकारों ने उत्तर दिया था। इस मंत्रालय ने उन के सुझावों की अन्य मंत्रालयों के परामर्श में जांच की थी। बौक्साइट पर स्वामिस्व की गणना की विधि तथा उस की मात्रा सम्बन्धी सामान्य प्रश्न पर मई १९६२ में श्रीनगर में हुई खनिज पदार्थ सलाहकार बोर्ड की बैठक में चर्चा की गई थी। खनिज पदार्थ सलाहकार बोर्ड में सभी राज्य सरकारों का तथा मुख्य मुख्य खनन संस्थाओं का प्रतिनिधित्व है ।

(ग) एक अधिसूचना जारी कर दी गई है जिस में बौक्साइट पर स्वामिस्व की विद्यमान दर को निम्न प्रकार से पुनरीक्षित किया गया है :—

१. केमीकल ग्रेड	. २ रुपये प्रति टन
२. मेटल ग्रेड	. १ रुपया प्रति टन

राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी

†१८१५. **श्री नि० रं० लास्कर** : क्या गृह-कार्य मंत्री १० अप्रैल, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ८०७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय प्रकाशन अकादमी को मसूरी से उठा कर किसी अन्य स्थान पर ले जाने के सम्म्बन्ध में सरकार ने कोई अन्तिम निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार का निर्णय लिया गया है ; और

(ग) क्या अकादमी के निदेशक ने अब उस संस्था में कार्य-भार संभाल लिया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Royalty.

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) और (ख). प्रश्न अभी तक विचाराधीन है ।

(ग) जी, हां ।

पन्ना खानें

†१८१६. श्री प० कुन्हन : क्या खान और इंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पन्ना खानों के मूल अनुमान को १ करोड़ रुपये से बढ़ा कर २ १/२ करोड़ रुपये का कर दिया गया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि वहां पर कार्य को बन्द कर देने का निर्णय किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं ?

†खान और इंधन मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी, हां । पन्ना खानों की मूल अनुमानित लागत जोकि सरकार ने मंजूर की थी वह १३६ लाख रुपये की है । तथापि, राष्ट्रीय खनिज पदार्थ विकास निगम समिति ने हाल ही में यह सूचना दी है कि कदाचित् परियोजना की लागत के प्राक्कलनों को पुनरीक्षित करना पड़े । पुनरीक्षित प्राक्कलनों के सम्बन्ध में अभी तक सरकार को कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं मिला है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

एडिनबरा अन्तर्राष्ट्रीय मेला

†१८१७. श्री कपूर सिंह :
श्री बूटा सिंह :
श्री गुलशन :

क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में एडिनबरा में हुए अन्तर्राष्ट्रीय मेले में अली अकबर, सब्बुलक्ष्मी और बालसरस्वती द्वारा किये गये कलाप्रदर्शनों के वास्तविक सांस्कृतिक महत्व को सरकार ने इस समय तक मान लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में वह सभा-पटल पर एक संक्षिप्त विवरण रखेंगे ;

(ग) क्या सरकार का इस पूर्व-पश्चिम सांस्कृतिक सहजीविता का अनुसरण करने का विचार है ;

(घ) यदि हां, तो उस के क्या विचार हैं ?

†वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायूं कबीर) : (क) और (ख). इन कलाकारों और अन्य उन सुविख्यात भारतीय कलाकारों के कला प्रदर्शन के सम्बन्ध में, जिन्हों ने कि उन के सांस्कृतिक कार्यक्रम के अधीन दिये गये अनुदान की सहायता से एडिनबरा मेले में भाग

†मूल अंग्रेजी में

लिया था, सरकार ने समाचारपत्रों में दिये गये प्रशंसात्मक सामाचार देखे हैं परन्तु अभी तक कोई भी औपचारिक समाचार प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ग) और (घ). अनेक देशों के साथ बढ़ते हुए सांस्कृतिक संपर्कों का सरकार का कार्यक्रम इसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये है ।

सभा के कार्य के बारे में

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : मुझे कल सचिवालय के एक अधिकारी ने यह बताया था कि मेरा एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान दिलाना प्रस्ताव आज के लिये स्वीकृत हो गया है । वह उच्चतम न्यायालय के सम्मुख मामले के संबंध में था ।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री कामत को सभा के कार्य में इस प्रकार बाधा नहीं पहुंचानी चाहिये । उन्हें यह ठीक जानकारी हुई है कि उनका ध्यान दिलाना प्रस्ताव स्वीकृत हो गया है । उसे शीघ्र ही लिया जायेगा ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मुझे उस अधिकारी ने यह बताया था कि वह आज के लिये ग्राह्य हुआ है । तब मैं ने यह प्रश्न उठाया । यह कहना कि मैंने सभा की कार्यवाही में बाधा पहुंचायी है, मुझ पर आक्षेप है । यदि मुझे ऐसा न बताया जाता तो मैं यह प्रश्न आज नहीं उठाता ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं आपको यह बता चुका हूं कि उस पर आज चर्चा की जानी थी तथापि बाद में ज्ञात हुआ कि ऐसा करना संभव नहीं होगा ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिलिप्याधिकार (चौथा संशोधन) आदेश, १९६३

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायन् कबिर)** : मैं प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, १९५७ की धारा ४३ के अन्तर्गत दिनांक २३ अगस्त, १९६३ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २४३९ में प्रकाशित अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिलिप्यधिकार (चौथा संशोधन) आदेश, १९६३ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० १९९५/६३]

त्रिपुरा भू-राज्य और भूमि सुधार संशोधन नियम, १९६३

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस)** : मैं त्रिपुरा लगान तथा भूमि सुधार अधिनियम, १९६० की धारा १९८ के अन्तर्गत, दिनांक २५ मई, १९६३ के त्रिपुरा गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एफ० ३९(१६)/राजस्व/६१ की एक प्रति, जिसमें त्रिपुरा लगान तथा भूमि सुधार (संशोधन) नियम, १९६३ दिये हुए हैं सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० १९९५/६३]

---

†मूल अंग्रेजी में

संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा अब श्री हजरनवीस द्वारा १० सितम्बर १९६३ को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करेगी :

"कि यह सभा १ अप्रैल, १९६१ से ३१ मार्च, १९६२ तक की अवधि के लिये संघ लोक सेवा आयोग के बारहवें प्रतिवेदन पर, उस पर सरकारी ज्ञापन सहित, जो २८ अगस्त, १९६३ को सभा पटल पर रखा गया था, विचार करती है।"

इस पर चर्चा के लिये अब केवल ३ घण्टे ४५ मिनट रह गये हैं।

†**श्री दाजी** (इन्दौर) : कल के आदेशपत्र से ज्ञात हुआ कि हम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पर चर्चा करेंगे तथापि आज उस पर से चर्चा हटा ली गयी है। ऐसा करने से पूर्व हमसे राय ली जानी चाहिये।

†**संसद कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिन्हा)** : ऐसा इस कारण हुआ है कि अन्य मदों के लिये समय बढ़ा देना पड़ा है। सभा ने पहिले कुछ मदों पर समय बढ़ाने की अनुमति दे दी है। अतः हमे इस पर से चर्चा हटा लेनी पड़ी। उसे आगामी सप्ताह में लिया जायेगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि कोई ऐसा परिवर्तन किया जाये तो उसकी जानकारी सदस्यों को दे दी जाये।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) : अध्यक्ष महोदय, नेफ़ा पराजय के ऊपर, जिस के बारे में रक्षा मंत्री ने जो वक्तव्य दिया था, चर्चा स्वीकार कर ली गई है। आप ने आश्वासन दिया था कि उस को शीघ्र से शीघ्र लेंगे। समाचारपत्रों में भी निकला था कि ११ सितम्बर को उस पर चर्चा होगी। मैं यह जानना चाहता हूं कि उस के बारे में अब क्या निर्णय लिया गया है।

श्री सत्य नारायण सिंह : उस को १८ सितम्बर को लिया जायगा।

---

†**श्री कृ० च० शर्मा** (सरघना) : भारतीय प्रशासन सेवा के पदों पर नियुक्ति तथा उनको एक वर्ष प्रशिक्षण देने की प्रणाली त्रुटिपूर्ण है। इससे बीसवीं सदी के समाजवादी दृष्टिकोण को देखते हुए अधिकारियों को कर्त्तव्यपरायणता की उचित शिक्षा नहीं मिलती है।

आजकल भावी प्रशासकों को ब्रिटिश इतिहास और विशुद्ध गणित इत्यादि जैसे विषयों को पढ़ाने का कोई लाभ नहीं। इन विषयों का प्रशासन से कोई संबंध नहीं रहता। वस्तुतः सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अधिकारी जनता से किस प्रकार का व्यवहार करता है, उनकी समस्यायें समझता है तथा अपने कार्य को किस प्रकार करता है।

वस्तुतः संघ लोक सेवा आयोग ने अपने कार्य को वांछनीय ढंग से नहीं किया है। सरकारी अधिकारियों ने जनता की भावना समझने की जरा भी कोशिश नहीं की है। वस्तुतः प्रशासकों की उपेक्षा तथा अरुचि कभी कभी अत्यधिक कष्टदायक हो जाती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

मेरा सुझाव है कि आयोग में एक सैनिक अधिकारी, एक मनोवैज्ञानिक तथा एक समाजशास्त्री होना चाहिये जिससे परीक्षार्थी की शारीरिक तथा मानसिक क्षमताओं के संबंध में भली प्रकार निर्णय किया जा सके। राज्य को यह अधिकार है कि वह सर्वोत्तम व्यक्ति का अपनी सर्वोत्तम क्षमता में चुनाव करे।

दुख की बात यह है कि विशुद्ध गणित, विशुद्ध भौतिकशास्त्र तथा नाभिकीय विज्ञान विषय वाले युवक पुलिस में लिये जाते हैं। जिसके लिये वे नितांत असमर्थ हैं। यह प्रशासन की महामूर्खता है। उपयुक्त कार्यों के लिये उपयुक्त युवकों को ही छांटा जाये।

श्री बूटा सिंह (मोगा) : अध्यक्ष महोदय, मैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन की १२वीं वार्षिक रिपोर्ट के सिलसिले में आप की मार्फत मंत्री महोदय से कुछ निवेदन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन जैसी संस्था का जो गौरवपूर्ण स्थान हमारे देश में है उस के बारे में जो दीर्घ दृष्टि वाले लोग हैं उन के विचार अभी तक साफ नहीं हो पाये क्योंकि पिछले बारह वर्षों में इस यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन का जो कर्तव्य था और उस का जो निश्चय था कि उस को अपने ही आदमियों की आवाज सुननी चाहिये, उस को वह नहीं कर पाया। इस सिलसिले में मैं इस देश के सब से पिछड़े लोगों के सिलसिले में, जिन की संख्या करोड़ों में है और जो आज भी हमारे देश के सुन्दर चेहरे के ऊपर एक काला धब्बा नजर आते हैं और जिन के लिये इस पब्लिक सर्विस कमिशन का कुछ कर्त्तव्य है, कुछ अर्ज करना चाहता हूं। मेरा मतलब उन अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्ग से है जिन की संख्या इस देश की आबादी का सब से बड़ा भाग है।

जब इस सदन के सामने अनुसूचित जातियों के कमिश्नर की रिपोर्ट के ऊपर चर्चा हो रही थी तो यह बात इस हाउस के मेम्बर साहबान ने बार बार दोहराई थी, और मैं आज फिर उसी बात की तरफ अपने मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं। इन जातियों के लोग, जो केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में हिस्सा लेने के लिये आते हैं, उन के बारे में यह कहा जाता है कि उन की सूझ बूझ, उन की जो काबिलियत है, वह इतनी ज्यादा नहीं कि उन को अच्छी अच्छी नौकरियों में लगाया जाय। इस के जवाब में अनुसूचित जातियों के कमिश्नर ने लिखा है :

> "अनुसूचित जातियों के सदस्य लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर लेते हैं किन्तु मौखिक परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त मार्कों के आधार पर उन्हें नहीं लिया जाता है अतः यह कहना कि उपयुक्त उम्मीदावर नहीं मिलते हर मामले में ठीक नहीं है"

यहीं खत्म नहीं होता . . . .

अध्यक्ष महोदय: क्या यह भी इसी पब्लिक सर्विस कमिशन के सम्बन्ध में उन्होंने लिखा है?

श्री बूटा सिंह : इसी सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट के पैरा १९.३ के ऊपर उन्होंने लिखा है।

अध्यक्ष महोदय : पब्लिक सर्विस कमिशन के बिना जो रिक्रूटमेंट होता है उस के सम्बन्ध में है या पब्लिक सर्विस कमिशन की रिक्रूटमट के सम्बन्ध में है?

श्री बूटा सिंह : पब्लिक सर्विस कमिशन ने भी अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि लोगों की काबिलियत उतनी नहीं होती इस लिये पीछे रह जाते हैं। इस से कुछ आगे चल कर हमारे शेड्यूल्ड एरियाज और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के कमिश्नर ने भी लिखा है। उन्होंने कहा है :

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री बूटा सिंह]

मौखिक परीक्षायें ऐसे व्यक्तियों द्वारा ली जाती है जिन्हें आदिम जातियों के रहन सहन का कोई पता नहीं है अतः वे उनकी कठिनाइयां नहीं समझ सकते ।"

यह बात एक अम्र सच्चाई है कि जिन हालात में अनुसूचित जातियों और पिछड़े हुए वर्ग के लोगों की तरबियत होती है, जैसा उनका पालन पोषण होता है जैसी वे एजुकेशन प्राप्त करते हैं, इन सब बातों का ध्यान रखते हुए, उनका जो पिछड़ापन है उसे मद्देनजर रखते हुए जो हमारी अप्वाइंटिंग अथारिटीज हैं, खासकर यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन, उनको सारे हालात का जायजा लेना चाहिये, उनको ध्यान में रखना चाहिये । जब यह लोग उनके सामने इंटरव्यू के लिये आते हैं तो उनके शरीर की तरफ नहीं देखना चाहिये, बल्कि उन हालात की तरफ देखना चाहिये जिनमें उन्होंने तरबियत और एजुकेशन प्राप्त की है । मुझे बहुत दुःख से कहना पड़ता है कि मेरे पास कुछ आंकड़े हैं जिनसे मैं साबित कर सकता हूं कि पिछले बारह वर्षों में यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन के जरिये जो अप्वाइंटमेंट्स हुए हैं, उनकी जो प्रगति है, उनकी जो तरक्की है वह बहुत आश्चर्यजनक है ।

सन् १९५७ में और उस के बाद से कुल रिप्रेजेन्टेशन आफ शेड्यूल्ड कास्ट्स ऐंड शेड्यूल्ड ट्राइब्ज इन आई० सी० एस०, आई० ए० एस० ऐंड आई० पी०, आई० पी० एस० जो था उस के फिगर्स इस प्रकार हैं :

वर्ष	कुल आसामियां	शेड्यूल्ड कास्ट्स	शेड्यूल्ड ट्राइब्स
१९५७ . .	१२५३	१८	३
१९५८	१५२१	२९	६
१९६०	१७००	३८	१०
१९६३ . . .	१९१८	६६	२३

इसी तरह से आप आई० पी० एस० के केडर को देखिये । इस सम्बन्ध में दिया हुआ है

वर्ष	कुल आसामियां	शेड्यूल्ड कास्ट्स	शेड्यूल्ड ट्राइब्ज
१९५७ .	७२९	१०	५
१९६० .	९४३	२०	६
१९६२ . . .	१०२०	२९	६

इन सारी फिगर्स को देखते हुए इस नतीजे पर पहुंचना होता है कि यह जो रवैया है शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज को भरती करने का यह बहुत निन्दनीय है । हमारे संविधान में लिखा हुआ है, फंडामेन्टल राइट्स में, कि उनको यह हक हासिल है और सुप्रीम कोर्ट ने एक बार नहीं बल्कि दो बार इसी बात को दोहराया है कि अनुसूचित जातियों का जो रिजर्वेशन है उसके सिलसिले में सरकार ने अभी तक जो प्रगति की है यह सन्तोषजनक नहीं है । मैं आप के जरिये से मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर ले जाना चाहता हूं कि यह जो थोड़े फिगर्स हैं यह बहुत थोड़ा रिप्रेजेन्टेशन है और उस को बढ़ाने के लिये जल्दी से जल्दी कदम उठाये जायें । इस

सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि जब से यह यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन कायम हुआ है बारह वर्ष पहले से लेकर आज तक उस का जो काम हुआ है, सारे के सारे का सर्वेक्षण किया जाय और जितनी डिफिशिएंसी रह गई हैं और जो रिजर्वेशन वाली पोस्ट्स फिल नहीं हुई हैं उनको पूरा करने के लिये स्पेशल एग्जामिनेशन रख दिया जाय जो कि एंटायरली शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के लिए हो और उनमें से इन सब आसामियों को पूरा किया जाए।

एक बात मैं आप के जरिए मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं और वह यह है कि जब कोई जगह खाली रहती है और उसके लिए इन जातियों या पिछड़े हुए वर्गों में से लोग नहीं मिलते, तो उसको भरने का एक अजीब तरीका होम मिनिस्ट्री ने अपनाया हुआ है। उस आसामी को आफिशिएट करने के लिए किसी दूसरे अफसर को बुला दिया जाता है और उस जगह को पूरा करने का जब मौका आता है और शिड्यूल्ड कास्ट या शिड्यूल्ड ट्राइब्स के किसी आदमी को उस जगह के लिए लेने का मौका आता है तो उसके लिए एक डिपार्टमेंटल बोर्ड बैठता है, उसका चेयरमैन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एक मेम्बर होता है। मेरे सामने ऐसे बहुत से केस आये हैं कि जिनमें उस जगह से शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को, जो कि उसके ऊपर आ सकते थ, दूर रखने के लिए बड़ी जद्दोजहद की गयी और जो आफिशिएट करता था उसको ही रखने की कोशिश की गयी। इस प्रकार जान बूझ कर हम को संविधान में जो आश्वासन मिले हुए हैं और जो आश्वासन हमको सरकार ने दिये हैं उन से महरूम रखा जाता है। उन आश्वासनों को तोड़ने के लिए यह सब कुछ होता है। मैं चाहता हूं कि इन रिजर्व्ड पोस्ट्स को भरने का यह तरीका हो कि जो उस अफसर से नैक्स्ट जूनियर शिड्यूल्ड कास्ट का अफसर हो उससे, उस अफसर की कानफीडेंशल रिपोर्ट देखने के बाद, भरी जाये। इन लोगों की कानफिडेंशियल रिपोर्ट के बारे में भी अफसरों द्वारा अच्छा रवैया नहीं अपनाया जाता है। उन को कहा जाता है कि तुम अपनी योग्यता से इस पद पर नहीं हो बल्कि अपनी जाति विशेष के कारण हो। यह बहुत बुरी बात है। उनको कहा जाता है कि तुम अपनी काबलियत से नहीं बैठे हो बल्कि अपने जन्म से बैठे हो।

बहुत से लोग कहते हैं कि सिलेक्शन मैरिट के आधार पर होना चाहिए क्योंकि यह एक सिक्यूलर स्टेट है। मैं भी मानता हूं कि मैरिट की कद्र होनी चाहिए। लेकिन जो लोग ऐसा कहते हैं, मालूम होता है कि उन्होंने हिन्दुस्तान का इतिहास नहीं पढ़ा। उनको यह नहीं मालूम कि किस प्रकार सदियों से ये लोग कुचले हुए चले आ रहे हैं। उनकी बेहतरी के लिए संविधान में बहुत कुछ लिखा गया है। हमारे संविधान के निर्माताओं के सामने उनका इतिहास था कि कितनी सदियों से इन लोगों को इन्सान का दरजा भी प्राप्त नहीं रहा। इसलिए उनकी बेहतरी करनी चाहिए। अगर सरकार आज अपने इस फर्ज में कोताही करती है तो वह संविधान के प्रति बड़ा पाप करती है।

मेरी यह दरखास्त है कि सरकार ने जो अभी तक रिजरवेशन के मामले में अपना वायदा पूरा नहीं किया है, इसकी जांच पड़ताल के लिए एक कमीशन बिठाया जाये जो कि सारे काम का सर्वेक्षण करे और उसके बाद उस कमीशन को अधिकार दिया जाये कि वह अपनी इंडिपेंडेंट रिपोर्ट इस सदन के सामने पेश करे और उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए सरकार कोई न कोई प्रबन्ध करे।

शिड्यूल्ड कास्ट कमिश्नर की रिपोर्ट की बहस के समय भी यह वाकया सदन के सामने लाया गया। उन्होंने भी यह महसूस किया कि उनके पास कोई ऐसी मैशिनरी नहीं है जिसके जरिए वह यह बात सरकार के सामने ला सकें, और जिस के जरिए सरकार पर जोर डाल सकें कि यह जो कोटा पूरा नहीं हो रहा है इसको पूरा किया जाना चाहिए।

[श्री बूटा सिंह]

इसी तरह सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसके बारे में भी राज्य सरकारों ने और केन्द्रीय सरकार ने जो रवैया अख्तियार किया है वह बहुत बुरा है। उस फैसले को लागू नहीं किया गया है और जहां भी किया गया है आधे दिल से किया गया है। मैं समझता हूं कि उस फैसले को लागू न करना भी हमारे संविधान की बेइज्जती है।

सब से ज्यादा बात जो मैं आपके जरिए मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं वह यह है कि यूनियन पब्लिक सरविस कमीशन के १२ वर्ष के इस काम से हमारे देश में हम लोगों के अन्दर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से विश्वास पैदा नहीं हो सका है। इस का कारण यह है कि हम लोगों को संविधान ने जो खास सुविधाएं दी हैं उन पर पूरा अमल नहीं किया गया है। जो रिपोर्ट इस सदन के सामने पेश है उससे पता चलता है कि जो रिजरवेशन इन जातियों को मिलना चाहिए वह नहीं मिला है। इसलिए मेरी दरखास्त है कि इस को पूरा करने के लिए सरकार जल्दी से जल्दी एक कमीशन बनाएं जो कि इस को पूरा करने की ओर ध्यान दे।

इतना कह कर मैं समाप्त करता हूं।

†**श्री हेडा** (निजामाबाद) : सब से पहिले मैं प्रतिवेदन के पैरा ७ के उपपैरा ३ की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं तथा श्री कृ० चं० शर्मा की बात का समर्थन करता हूं। प्रतिवेदन में कहा गया है कि १९६१ की परीक्षाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के परीक्षार्थियों ने काफी अच्छी सफलता प्राप्त की है। वस्तुतः उत्तरोत्तर वे लोग अधिकाधिक संख्या में भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में स्थान ग्रहण कर रहे हैं। इस वर्ष पिछड़ी जातियों तथा पर्वतीय वर्गों से अधिक परीक्षार्थी लिये गये। तथा कुल संरक्षित स्थान भर दिये गये।

तथापि यह स्पष्ट है कि कुछ जातियों और वर्गों का सरकारी नौकरियों में निहित स्वार्थ है। वे दूसरे वर्गों के लोगों का आना पसन्द नहीं करते हैं। ऐसे कई दृष्टांत हैं जब कि ऐसे परीक्षार्थी जिन्हें परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त हुए थे उन्हें थोड़े बहुत बहाने बना कर नहीं रखा गया। चुनाव करते समय जातिवाद का ध्यान उठाया गया। अतः इन स्थितियों को ध्यान में रख कर अनुसूचित जातियों, आदिम जातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिये स्थान रक्षित किये जायें।

ऐसे भी कई मामले हुए हैं जब कि अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के परीक्षार्थियों को रक्षित स्थानों के बावजूद भी नहीं चुना गया या उनकी पदोन्नति नहीं की गयी। प्रक्रिया यह होनी चाहिए कि सरकार विभिन्न परीक्षाओं के लिए न्यूनतम अंक निश्चित करे और यदि अनुसूचित जाति या आदिम जाति का सदस्य न्यूनतम अंक प्राप्त कर सके तो उन्हें उस पद में ले लिया जाये।

राज्य पुनर्गठन से आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में सेवाओं के एकीकरण सम्बन्धी कुछ समस्यायें पैदा हो गयी हैं। ये समस्यायें बहुत नाजुक हैं तथा इस में राजनैतिक प्रभाव इत्यादि का बहुत हाथ है। ऐसी समस्याओं को संघ लोक सेवा आयोग के अधीन लाना चाहिये तथा गृह मंत्रालय को इस सम्बन्ध में परेशान नहीं करना चाहिये। इस प्रकार के कार्यों से पीड़ित व्यक्तियों को अधिक सांत्वना प्राप्त हो सकेगी।

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद): यह प्रतिवेदन संविधान के अधीन सभा में प्रस्तुत किया जाता है तथा उस पर चर्चा की जाती है यद्यपि अब यह एक रस्म सी बन गयी है।

---

†मूल अंग्रेजी में

यह दुख की बात है कि कई मामलों में जहां सरकार ने आयोग की इच्छाओं के विपरीत अथवा उसके अनुसार कार्य नहीं किया ह कोई कारण नहीं दिया गया है। वे कारण सभा के सम्मुख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं केवल एक मामला जिसमें आयोग की राय नहीं मानी गयी है सभा-पटल पर रखा गया है। इस सम्बन्ध में ऐसा प्रतीत होता है कि संविधान के अनुच्छेद ३२३ की आड़ ली गयी है।

विचित्र बात यह है कि इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट, प्रतिवेदन से अधिक महत्वपूर्ण प्रतीत होते हैं। मैं इस सम्बन्ध में पहिले परिशिष्ट २ का उल्लेख करना चाहता हूं।

१९६१–६२ में जितने स्थानों के लिये विज्ञापन दिया गया था उससे कम परीक्षार्थियों का इन्टरव्यू किया गया। यह नहीं बताया गया कि उन पदों को तदन्तर किस प्रकार भरा गया। पिछले पांच वर्षों में प्राप्त होने वाले आवदन पत्रों तथा इन्टरव्यू किये जाने वाले परीक्षार्थियों की संख्या में उत्तरोत्तर कमी हुई।

अब मैं परिशिष्ट ४ को लेता हूं। उस में उन स्थानों का जिक्र है जो आयोग की सीमा से बाहर है। सरकारी आतिथ्य संगठन, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के सचिवालय के समस्त पद आयोग के क्षेत्र से बाहर रखे गये हैं। मेरे विचार से इसका कोई कारण नहीं है। राष्ट्रपति के सचिवालय के पदों को आयोग की सीमा से बाहर रखना समझ में आता है तथापि उपराष्ट्रपति के सचिवालय को भी इसके क्षेत्र से क्यों बाहर रखा जाये।

परिशिष्ट ६ में उन उम्मीदवारों के बारे में विवरण दिया गया है, जिन्हें आयोग की परीक्षाओं आदि से अनर्हित किया गया है। उनके विरुद्ध विभिन्न प्रकार के कदाचार के आरोप लगाये गये हैं। किन्तु उस विवरण से प्रकट होता है कि ऐसे उम्मीदवारों को जिन्होंने बेईमानी की है या जो अयोग्य पाये गये हैं, बहुत कम दंड दिया गया है। ऐसे मामलों में एक दो साल के लिए अनर्ह कर देना ही काफ़ी नहीं है। उन्हें कड़ा दंड देना चाहिये और यदि हो सके, तो न्यायालय में अभियोग भी चलाया जाना चाहिए।

सरकार को यह बताना चाहिये कि जिन पदों के लिए आयोग को उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिल सके, उनको बाद में कैसे भरा गया।

कुछ मामले ऐसे हैं जिन में विज्ञापन देने के बाद इन्टरव्यू से पूर्व मांग को वापस ले लिया गया था। प्रतिरक्षा मंत्रालय के एक पद के लिए बिना कोई कारण बताये मांग वापस ले ली थी। मैं जानना चाहूंगा कि क्या आयोग सरकार से ऐसे मामलों में स्पष्टीकरण नहीं मांग सकता। यदि ऐसा उपबन्ध नहीं है, तो संविधान में संशोधन करना चाहिए।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

परिशिष्ट १५ में ऐसे मामलों की सूची दी गयी है जिनमें नियुक्त के आमंत्रण में विलम्ब किया गया है। कई नियुक्तियों में दो दो वर्ष का विलम्ब किया गया है। माननीय मंत्री को इसके कारण बताने चाहिए। अस्थायी नियुक्तियों के बारे में देर से सूचना देने की कुप्रथा को समाप्त किया जाये। कुछ अस्थाई नियुक्तियां तदर्थ आधार पर कर दी जाती हैं और उन्हें आयोग को निर्दिष्ट नहीं किया जाता।

किसी उम्मीदवार के व्यक्तित्व की परीक्षा करने के लिए मौखिक परीक्षा आवश्यक है परन्तु इस परीक्षा के वर्तमान तरीके में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। यह परीक्षा लिखित परीक्षा

[श्री हरि विष्णु कामत]

से पहले नहीं होनी चाहिये । ऐसा करने से किसी उम्मीदवार के अंक उसे मौखिक परीक्षा में अधिक अंक देकर बढ़ाये नहीं जा सकेंगे और अयोग्य व्यक्तियों को सफल नहीं बनाया जा सकेगा । पुरानी आई० सी० एस० परीक्षा में ऐसा ही किया जाता था ।

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस) : माननीय सदस्य किस समय की बात कर रहे हैं ?

†श्री हरि विष्णु कामत : मैं १९२९ की बात कर रहा हूं, जबकि मौखिक परीक्षा लिखित परीक्षा से पहले होती थी ।

†श्री हजरनवीस : ऐसा करने में एक कठिनाई है और वह यह है कि हमारी परीक्षा में ५ से ६ हजार तक उम्मीदवार बैठते हैं । यदि हम माननीय सदस्य का सुझाव मान लें, तो हमें ५ या ६ हजार उम्मीदवारों का इन्टरव्यू प्रति वर्ष करना पड़ेगा । यदि इस का कोई हल हो, तो मैं इसे स्वीकार कर सकता हूं ।

†श्री हरि विष्णु कामत : कुछ दिन हुए माननीय मंत्री ने सीमित भारतीय प्रशासन सेवा परीक्षा के बारे में बताया था । मैं सीमित परीक्षा का अभिप्राय नहीं समझ सका । आशा है कि इस प्रकार की परीक्षा में प्रशासन के स्तर में गिरावट नहीं आयेगी । परीक्षा में पास होने वाले उम्मेदवारों की परिवीक्षा और प्रशिक्षण को बहुत ऊंचे स्तर पर रखना चाहिये उन्हें गांधीवादी विचारों, भारत के सांस्कृतिक इतिहास और अन्य विषयों के अलावा आध्यात्मिक मनोविज्ञान में भी शिक्षा दी जाये ।

६ फरवरी १९६० को संघ लोक सेवा आयोग ने एक अधिसूचना जारी की थी कि वह केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायक अधीक्षक पद पर पदोन्नति के लिए एक सीमित प्रतियोगी परीक्षा करेगी, इसमें अनुसूचित जातियों के लिए १२½ प्रतिशत और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए ५ प्रतिशत स्थान सुरक्षित रखे गये । परिणाम घोषित करने वाली अधिसूचना में बताया गया कि रिक्त स्थानों की संख्या ४६ है जिनमें १६ अरक्षित स्थान हैं और २८ रक्षित हैं । अर्थात् पहले घोषणा किये गये १७ प्रतिशत रक्षण के बजाये ६७ प्रतिशत रिक्त स्थान रक्षित रखे गये । असामान्य रूप से रक्षण करने से कुशल उम्मेदवारों को इसमें आने का अवसर नहीं मिलता है । इस निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय में उठाया गया और उसने उसको संविधान के विरुद्ध ठहराया । यह आशा है कि सरकार उन व्यक्तियों के प्रति न्याय करेगी जिन्हें पहले पदोन्नति के अवसर से वंचित रखा गया ।

कुछ मामले ऐसे हैं जिनमें विभागाध्यक्ष अपने कर्मचारियों के आवेदनपत्र संघ लोक सेवा आयोग को नहीं भेजते । संघ लोक सेवा आयोग को यह अधिकार देना चाहिये कि वे सम्बन्धित विभागों से उनमें काम करने वाले उम्मेदवारों के आवेदन पत्र मंगवा सके ।

मैं आशा करता हूं कि व्यापक प्रशासनीय सुधारों के लिए एक प्रशासनीय आयोग स्थापित किया जायेगा । यह आयोग एक स्वतंत्र आयोग होना चाहिये और संसद् सदस्यों को भी इसमें सम्बद्ध किया जाना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री बासप्पा** (तिपतुर) : संघ लोक सेवा आयोग के काम के तरीके और इसके गठन में आमूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। लोग भारतीय प्रशासनीय सेवा और भारतीय पुलिस सेवा की ओर खिंचे चले आते हैं किन्तु शिक्षा और डाक्टरी सेवाओं की ओर नहीं जाते।

जब संविधान के निर्माताओं ने संघ लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की थी, तो उन्हें बहुत आशायें थीं। किन्तु हमें डर है कि स्तर गिर रहे हैं। इस बात को स्वीकार करना चाहिये और इसमें सुधार करना चाहिये।

यह बात बहुत चिन्ताजनक है कि २७ लाख नौकरियों में से ७० प्रतिशत संघ लोक सेवा आयोग के क्षेत्राधिकार से बाहर हैं। इस निकाय का पुनर्गठन ऐसे किया जाये और इसकी शक्तियां ऐसे बढ़ाई जायें कि सब नियुक्तियां इसके क्षेत्राधिकार में आ सकें। परिशिष्ट ४ से पता चलता है कि वे मामले जिनमें आयोग का क्षेत्राधिकार नहीं है बढ़ते ही जाते हैं। इस आयोग को सब नियुक्तियों के लिए उत्तरदायी बनाना चाहिये। अनुसूचित जातियों के उम्मेदवार यदि उचित योग्यता रखते हों, तो उन्हें सेवा में लेने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिये।

आयोग के सभापति विदेशों में जा कर उम्मेदवारों को चुनते हैं। इस पर बहुत खर्च आता है। मेरे विचार में इतना खर्च करना वांछनीय नहीं है।

आयोग को भरती किये गये उम्मेदवारों की पदोन्नति, स्थाईकरण और स्थानांतरण के बारे में बहुत चौकन्ना रहना है। मैं मानता हूं कि आयोग एक सलाहकार निकाय है, किन्तु जब वह किन्हीं प्रस्तावों को स्वीकार या अस्वीकार करने के न्यायोचित कारण देता है, तो उन्हें माना जाना चाहिये।

राज्य सेवाओं और केन्द्रीय सेवाओं की भरती में समन्वय होना चाहिये। इसके लिए राज्य सेवा आयोगों के कुछ सदस्यों को संघ लोक सेवा आयोग में लिया जाना चाहिये।

ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा करने के लिए भारतीय प्रशासनीय सेवा के सदस्यों की एक पृथक पदाली बनानी चाहिये।

†**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी** (जोधपुर) : जहां तक सेवाओं की मनोवृत्ति में स्थिरता लाने और बन्धुपक्षपात से बचने का सम्बन्ध है, आयोग ने अपने क्षेत्राधिकार के अनुसार सफलता प्राप्त की है, किन्तु जैसा कि अन्य सदस्यों ने कहा है ये क्षेत्राधिकार बहुत दूर तक नहीं जाता। आयोग के होते हुए भी हाल के वर्षों में सेवाओं की मनस्थिति और उत्साह पर काफ़ी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। यदि ऐसा हुआ है तो यह प्रशासन के विरुद्ध एक बड़ा आरोप है। यदि आप पक्षपात आदि के विरुद्ध शिकायतें कम करना चाहते हैं, तो आयोग के काम के क्षेत्र को बढ़ाना होगा। हर साल यह बताया जाता है कि उम्मेदवारों की योग्यता में कमी होती जा रही है। हमारे गृह-कार्य मंत्री और शिक्षा मंत्री को ऐसे तरीके निकालने चाहियें, जिनसे आयोग की और विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं देने वाले उम्मेदवारों का स्तर ऊंचा हो सके। आयोग की परीक्षाएं देने वालों को पहले से प्रशिक्षण की कुछ

†मूल अंग्रेजी में

[डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी]

सुविधायें दी जानी चाहिये। निकासी विश्वविद्यालयों में यह सुविधा आसानी से दी जा सकती है।

हम यह भी जानना चाहते हैं कि प्रशासन अकादमी को, जो कि मसूरी में है, राजधानी में क्यों लाया जा रहा है। प्रशासन ने इसे वहां से हटाने के लिए कोई मानने योग्य कारण नहीं दिया।

विभिन्न सेवाओं के लिए चुने गये व्यक्तियों के लिए सारे प्रशिक्षण कार्यक्रम को अधिक कार्यक्षम बनाने के लिए इसे संघ लोक सेवा आयोग के प्रत्यक्ष नियंत्रण में ले आना चाहिये। यह भी बताया जाना चाहिये कि प्रशासनीय सेवाओं के लिए प्रादेशिक प्रशिक्षण स्कूल स्थापित करने का प्रस्ताव का क्या हुआ है? क्या सरकार ने इसे निलम्बित कर दिया है या छोड़ दिया है। मंत्री को यह भी बताना चाहिये कि विभिन्न सेवा पदालियों में अधिकारियों की कितनी कमी ह और उसको पूरा करने के लिए क्या भविष्य में आपातकालीन भरती की जायेगी, ताकि उन व्यक्तियों को जिनको अन्य क्षेत्रों का अनुभव है, सेवा में लिया जा सके।

प्रशासनीय सुधारों के सुझाव देने का काम पहले संघ लोक सेवा आयोग को सौंपना चाहिये, जो कि इस काम के लिए विशेष रूप से उपयुक्त हैं।

सरकार को अगले वर्ष भरती करने के नियम के बारे में जिससे हाल में उच्चतम न्यायालय ने रद्द कर दिया है, स्पष्टीकरण देना चाहिये।

सरकार को यह भी बताना चाहिये कि सेवा प्राथमिकताओं के बारे में वर्तमान प्रवृत्ति क्या है, चूंकि प्रशासनिक सेवाओं को अत्यधिक महत्व दिया जाता है, इस लिए प्रविधिक और वैज्ञानिक सेवाओं में और विश्वविद्यालय के अध्यापकों की कमी हो गई है। योग्य व्यक्ति शिक्षा सेवाओं में भी नहीं जाना चाहते।

हमारे देश में सरकारी क्षेत्र का दिन प्रति दिन विकास हो रहा है, किन्तु क्या सरकार को इसमें बन्धु पक्षपात आदि का ज्ञान नहीं है। क्या यह सत्य नहीं है कि सरकारी क्षेत्र में नौकरियां पक्षपात के कारण दी जाती हैं। इस शिकायत को दूर करने के लिए आवश्यक है कि एक सरकारी क्षेत्र में नियुक्तियों के लिए एक अलग लोक सेवा आयोग नियुक्त किया जाये।

मैं एक एकीकृत असैनिक सेवा की स्थापना पर भी जोर देना चाहूंगा।

प्रतिवेदन में ऐसे मामलों की बहुत बड़ी सूची है जिनमें सरकार ने नियुक्ति पत्र भेजने में विलम्ब किया है, यह बहुत अवांछनीय है इसके अतिरिक्त, पदों की मांग से विज्ञापन देने के बाद रद्द कर देने और अनियमित नियुक्तियां करने के मामलों पर भी सरकार को विचार करना चाहिये।

मैं व्यक्तित्व की जांच को हटाये जाने के विरुद्ध नहीं हूं, किन्तु इसकी प्रक्रिया में सुधार करने की आवश्यकता है।

†श्री डी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : संघ लोक सेवा आयोग के दो अलग अलग प्रयोजन हैं। यह एक परीक्षा लेने वाली संस्था है और मैं आयोग को इस बात पर बधाई देता हूं कि इतने वर्षों में किसी परीक्षा में कोई अनियमताएं नहीं हुईं।

प्रश्न पत्र आउट नहीं हुए, उम्मेदवार परीक्षाओं से बाहर नहीं गये और न ही उन्होंने अनुचित साधन अपनाये हैं। लिखित तरीक्षा के अतिरिक्त, आयोग मौखिक परीक्षा भी लेता है। इस सम्बन्ध में स्थिति इतनी संतोषजनक नहीं है। दुर्भाग्य से देश में एक ऐसी धारणा बन गई है कि आयोग के सदस्यों तक सिफ़ारिशें पहुंचाई जा सकती हैं।

मेरा माननीय मंत्री से निवेदन है कि परीक्षकों के संदेह को दूर किया जाये और संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सत्यनिष्ठा को प्रमाणित करना चाहिये।

व्यक्तित्व परीक्षण में तो परीक्षक को अत्यधिक अधिकार प्राप्त हो जाते हैं और वह पुराने मुगल सम्राटों की जिस को चाहे जितना दान दे सकता है। मेरा सुझाव है कि इस परीक्षा को एसा त्रुटिहीन बना देना चाहिये कि उस में धांधली की गुंजाइश न रहे। इस में सभी प्रकार की योग्यताओं की परीक्षा होनी चाहिये जिस से उम्मीदवार को अपनी योग्यताओं और त्रुटियों दोनों का पूरा पूरा ज्ञान हो।

प्रतिवेदन से पता लगता है कि गत वर्ष संघ लोक सेवा आयोग ने असैनिक और प्रतिरक्षा सेवाओं के लिए कई प्रकार की परीक्षाएं की थीं। ऐसी परीक्षाएं कोई कनिष्ठ लोक सेवा आयोग कर सकता है। संघ लोक सेवा आयोग के लिए केवल अखिल भारतीय सेवाओं और उच्च कोटि की सेवाओं की भर्ती का काम होना चाहिये। अन्य परीक्षाओं का काम कनिष्ठ लोक सेवा आयोग को सौंप देना चाहिये जिस प्रकार कुछ राज्यों में किया गया है।

संघ लोक सेवा आयोग एक संविहित निकाय है। अतः उसकी सदस्यता पर आपत्ति नहीं की जा सकती, किन्तु माननीय मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि इसके सदस्य किस प्रकार चुने जाते हैं। यह नहीं होना चाहिये कि जो व्यक्ति किसी मंत्रालय या विभाग में असफल रहे तो उसे संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य बना दिया जाये। आशा है माननीय मंत्री इस ओर ध्यान देंगे।

प्रतिवेदन से एक अत्यन्त दुखद परिस्थिति का पता चलता है कि एक ओर तो हज़ारों लोग भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय विदेश सेवा आदि में प्रवेश पाने के इच्छुक हैं और दूसरी ओर कई सेवाओं के लिए उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिलते, जैसे कि डिप्टी डायरेक्टर डिज़ाइन, डिप्टी डायरेक्टर केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन, कोयला खनन के प्रोफसर आदि पदों के लिए लोग नहीं मिलते। यह शिक्षा पद्धति की त्रुटि है। ऐसी त्रुटियों को समाप्त करने के लिए शिक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय को मिल कर काम करना चाहिये।

संघ लोक सेवा आयोग न केवल परीक्षा का काम करता है प्रत्युत जो लोग पदविनत किये जाते हैं या जिन्हें कार्यपालिका द्वारा किसी प्रकार की हानि पहुंचाई जाती है उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए न्यायालय का काम भी करता है। संघ लोक सेवा आयोग के इस अधिकार को अधिक बल देना चाहिये ताकि पीड़ित को पीड़ा से विमुक्त कराने में विलम्ब न हो।

इन शब्दों के साथ मैं संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का समर्थन करता हूं।

---

†भूल अंग्रेजी में

श्री काशीराम गुप्त (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, संघ लोक सेवा आयोग के ऊपर जो चर्चा हो रही है उस को हमें राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए । यह हमारे देश का सर्वोपरि आयोग है और इसके सम्बन्ध में जो भी चर्चा हो वह इस प्रकार से होनी चाहिए कि जिससे यह महसूस हो कि हम उस में सहयोग देने जा रहे हैं न कि ऐसी चर्चा करने जा रहे हैं जिस से कि वातावरण क्षुब्ध हो ।

सब से पहले मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो रिपोर्ट राष्ट्रपति महोदय के सामने पेश हुई है, इसका जो तौर तरीका और क्लेवर है वह बदलना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि राष्ट्रपति महोदय के सामने यह रिपोर्ट उपयुक्त जंचे, किन्तु इस सदन के सामने यह रिपोर्ट बहुत ही नाकाफी है । जो जानकारी प्राप्त होनी चाहिए वह इस से नहीं मिलती है । इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि भविष्य में वह इस बात को देखें कि यह रिपोर्ट जो सदन के सामने आवे, उस में वह तथ्य होने चाहिए जिन पर कि सदन में विस्तृत चर्चा हो सकती हो ।

मैं यह भी निवेदन करूं इस संघ लोक सेवा आयोग के बारे में कि जब इस सदन के माननीय सदस्य उसके बारे में अपना दृष्टिकोण रखें तो उन्हें यह न भूलना चाहिए कि मानव कमजोरी सब जगह पर है, और इसलिए हमको पहले अपनी कमजोरी की तरफ ध्यान कर लेना चाहिए । दुर्भाग्य से हमारे देश का वतावरण बहुत ही उलटा है । इस देश में सिफारिश करना, दबाव डालना, दौड़ धूप करना जीवन का एक अंग बन गया है और ऐसी दशा में हमारे इस संघ लोक सेवा आयोग पर कितना दबाव पड़ता होगा लोगों का, इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए । इस माननीय सदन के सदस्य किस प्रकार से पीड़ित होते हैं उन दबावों से यह उन से छिपा नहीं है । लोग उन के पास आ कर दबाव देते हैं कि हमारी सिफारिश कर दो, हमारा तबादला करवा दो आदि, आदि । और आम तौर से सत्तारूढ़ दल के लोगों के लिए तो यह मान लिया गया है कि उनका तो यह काम है । यह तो वे मानते हैं जो ईमानदारी से बात करते हैं, और बाकियों का तो कहना ही क्या है । इसलिए ऐसी परिस्थिति में आयोग की कमजोरियों को आंकना वाजिब नहीं । आयोग में यदि कुछ कमजोरियां होंगी तो उनमें हमारी कमजोरियों का प्रतिबिम्ब अवश्य होगा इस में कोई शक नहीं है ।

इसके अतिरिक्त मैं यह निवदन करूं कि आयोग का काम बहुत अधूरा होता है । आयोग कुछ परम्पराओं को लेकर लोगों का चयन कर लेता है, लेकिन उसके बाद जो उन का प्रशिक्षण होता है और उस के बाद जो लोग नौकरी में रहते हैं उनके ऊपर आयोग का कोई सीधा नियंत्रण नहीं है । और उसका नतीजा यह होता है कि आयोग अच्छे से अच्छे लोगों को चुनता है, लेकिन जब वे बाद में जीवन में प्रवेश करते हैं तो भ्रष्ट हो जाते हैं । तो उन के ऐसा करने के कारणों का भी हम को पता नहीं होता और न आयोग के सामने वे कारण आते हैं । इस का एक सब से बड़ा कारण है राजनीतिक दबाव जो वड़े बड़े अफसर होते हैं उन के ऊपर सत्तारूढ़ दल दबाव लाता है, यह रोजाना की बात हो गयी है, और इस कारण उन सब लोगों का आत्म बल क्षीण हो गया है । यह खराबी किस प्रकार दूर हो और चयन करते समय आयोग किस प्रकार से इन बातों को देखे, यह गम्भीर समस्या है जो आयोग के सामने होनी चाहिए, और मैं माननीय मंत्री महोदय से कहूंगा कि वे भी इस बारे में आयोग की इन समस्याओं को देखें और यह विचार करें कि किस प्रकार उनका हल हो सकता है । मेरा यह निवेदन है और यह सिफारिश है कि प्रत्येक पांच बरस के बाद जो भी कोई इस प्रकार के आई० ए० एस०, आई० पी० एस० या आई० एफ० एस० के कर्मचारी हों उन सब का एक प्रकार का स्क्रीनिंग होना चाहिए, उनकी कुछ जांच हर पांच

[श्री काशीराम गुप्त०]

बरस के बाद होनी चाहिए । उस में इस प्रकार का परसोनैलिटी टैस्ट न हो जो कि शुरू में होता है, लेकिन कुछ अन्य आधारों पर उनका टैक्स्ट होना चाहिए और उस में देखना चाहिए कि वास्तव में इन लोगों में क्या क्या कमियां आ गयी हैं और उन को किस प्रकार दूर किया जा सकता है । आज तो केवल यह दशा है कि किसी प्रकार से एक दफा उत्तीर्ण हो कर नौकरी में घुस जाओ, उस के बाद चाहे कितना भी पतन उस आदमी का हो जाये उस को कोई देखने वाला नहीं है । इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि बीच बीच में उनकी देखरेख हुआ करे ।

इसके अतिरिक्त मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि वास्तवमें जब तक कि हम लोगों को यह जानकारी प्राप्त न हो कि क्या क्या कठिनाइयां आयोग के सामने हैं, तब तक आयोग के बारे में केवल चर्चा करना उपयुक्त नहीं हो सकता । मेरा सुझाव है कि इस माननीय सदन के सदस्यों को मौका होना चाहिए कि वे आबजरवर के रूप में जा कर उन कार्रवाइयों को देख सकें कि किस प्रकार आयोग चयन करता है ताकि उन को यह अनुभव हो कि वास्तव में क्या कठिनाइयां हैं और क्या कमजोरियां हैं । इस में यह बात अवश्य हो सकती है कि लोग इन आबजरवर्स के पास भी इसलिए जायें कि वे उन की सिफारिश कर दें । लेकिन इस से भी यह परीक्षण हो जायेगा कि वे किस प्रकार से इस चीज का मुकाबला करते हैं । दूसरों की आलोचना करना बहुत आसान है, किन्तु जब अपनी आलोचना होती है तब मालूम पड़ता है कि हम कितने पान में हैं ।

मेरा यह भी निवेदन है कि आयोग के जो सदस्य हैं उनके प्रति हमारी जो धारणाएं हैं उन में यह धारणा भी है कि वे पुराने लोग हैं और आज के युग की परिवर्तनशीलता को नहीं आंकते इत्यादि । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आयोग के सदस्यों को भी वर्ष में कम से कम १५ दिन गरीबों के पास जा कर स्वयं भी ट्रेनिंग लेनी चाहिए । वे दिल्ली में ही बैठ कर अपने फैसले करते रहते हैं और जो साधारण जनता है उस से वह बहुत दूर हो जाते हैं, इसलिए उनका जो चयन का तरीका है उस में दोष आ जाता है ।

हरिजन और आदिवासी तो गरीब हैं ही, लेकिन आम तौर से यह देखा जाता है कि जो अन्य लोग गरीब हैं उनको और सब बातें समान होते हुए भी प्राथमिकता नहीं दी जाती और परसनैलिटी टैस्ट में मेम्बर लोग उनके बारे में सही राय नहीं बना सकते । इसलिए जब तक उनको स्वयं गरीबी का अनुभव नहीं होगा वे गरीब लोगों के बारे में सही राय नहीं बना सकेंगे ।

इस के अतिरिक्त आयु की सीमा का प्रश्न है । मान लीजिये कि उन्होंने २१ या २३ वर्ष की आयु रखी, तो जो लोग उस सीमा के पास तक आ जाते हैं उन को और बातों के समान होते हुए प्राथमिकता देनी चाहिए जिससे कि उनका मौका समाप्त न हो । इन बातों की तरफ आयोग आम तौर से ध्यान नहीं देता है और नतीजा यह होता है कि बहुत से लोग कठिनाई में पड़ जाते हैं और उनका जीवन नष्ट हो जाता है

इस के अतिरिक्त आयोग का एक विभाग है जिसको रिसर्च विभाग कहते हैं । वह विभाग ना के बराबर है । वह एक बहुत बड़ा विभाग होना चाहिए क्योंकि उस विभाग से बहुत सी उन बातों का सम्बन्ध बनता है जो चयन में उपयोगी होती हैं । आज के वैज्ञानिक युग में इस प्रकार का अन्वेषक विभाग होना बहुत आवश्यक है और वह बहुत बड़ी तादाद में बढ़ना चाहिए । हो सकता है कि इस से आयोग के कर्मचारियों की संख्या बढ़े, लेकिन उसका नतीजा बहुत ही लाभदायक हो सकता है ।

बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा कि परसनैलिटी टैस्ट बहुत न होना चाहिए, अथवा उस में जो खराबियां हैं उन को दूर करने पर ध्यान दिया जाना चाहिये । लेकिन मेरे विचार से अगर यह परसनैलिटी टैस्ट नहीं होता तो फिर यह परीक्षा की सारी कार्रवाई ही निरर्थक हो जाती है क्योंकि

(श्री काशीराम गुप्त)

वहां देखा जाता है कि अमुक आदमी की ग्रहण शक्ति कितनी है और उस का उपयोग किन किन कामों में किया जा सकता है यह नहीं होगा तो बहुत से लोग रट कर अच्छे नम्बर ला सकते हैं। लेकिन देखना यह होता है कि वे अच्छे प्रशासक बन सकते हैं या नहीं, इसकेलिए परसनैलिटी टैस्ट आवश्यक है। किन्तु इस में बहुत ज्यादा नम्बरों का दिया जाना और दबाव पड़ना, इन चीजों को दूर करना सरकार का कर्तव्य है। इन दोषों को दूर करना हमारा कर्तव्य है न कि इस टैस्ट को ही हटाना। इस लिए जो माननीय सदस्य इस टैस्ट को हटाने की मांग करते हैं वह उचित नहीं है।

इस के अतिरिक्त अब मैं रिपोर्ट के सम्बन्ध में कुछ बातें कहना चाहता हूं। पृष्ठ ३ पर इस वर्ष में एक उत्साहवर्धक बात लिखी है और वह यह कि आदिवासी और हरिजनों की जो उपयुक्त संख्या है वह इस में पूरी हो गई। किन्तु फिर भी मुझ से पहले माननीय बूटा सिंह जी ने जिस बात की तरफ ध्यान दिलाया है वह भी बहुत विचारणीय है। उन्हों ने कहा कि जो पिछले वर्षों में कमी रही है उस को पूरा किया जाय। इस बारे में विशेष सावधानी से कार्रवाई होने की आवश्यकता है।

इस के अतिरिक्त पृष्ठ ५ पर उन लोगों का जिक्र है जिन्हों ने झूठे कागजात पेश किए, और यह भी दिया गया है कि उन के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। इस से जहारि होता है कि हमारे देश के अन्दर भीतर भीतर कितना पतन हो रहा है कि जो लोग इतने ऊंचे पदों पर आना चाहते हैं उन में इस प्रकार की प्रवृत्ति हो। उस के लिए यह कहना कि इस वर्ष वह परीक्षा में नहीं बैठ सकता या पांच वर्ष के लिए निकाल दिया गया, यह सजा बहुत कमजोर है। ऐसे लोगों को तो, जिन का आचरण इतना कमजोर है, हमेशा के लिए रोक दिया जाना चाहिये, चाहे किन्हीं भी परिस्थितियों में उन्हों ने यह गलती की हो। वहां पर यह दया दिखाना, इन मामलों में, वह देश के लिए बहुत घातक और हानिकारक है। यह दया, धर्म वैसा ही दया, धर्म होगा जैसाकि मुझे याद है दिल्ली में पुराने जमाने में जैनियों के सामने कुछ क़साई लोग कबूतर पकड़ लाते थे और फिर कहा करते थे कि कोई है दया, धर्म वाला जो इन को छुड़ाये ? जैनी लोग उन कबूतरों को छुड़वा देते थे और वह मामला फिर उसी तरह पर जारी रहता था। इसलिए इस प्रकार की दया दिखाना देश के प्रति द्रोह करना है और वह नहीं दिखानी चाहिए।

इस के अतिरिक्त पैराग्राफ़ १८ एपेंडिक्स १५ में इस तरह के केसेज़ दिये गये हैं जिन की कि नियुक्ति के वास्ते कमिशन ने सिफ़ारिश की थी लेकिन जिन की कि नियुक्तियां सरकार ने देर से की हैं। अब सरकार के लिए यह बात बहुत शर्म की है कि इस में जितने केसेज़ दिखाये गये हैं उन में से किसी की भी नियुक्ति ६ महीने से पहले नहीं हुई है। किसी केस में कमिशन की नियुक्ति की सिफ़ारिश करने की तिथि से पूरे एक साल बाद सरकार ने नियुक्त किया है, किसी में ९ महीने के बाद नियुक्ति की गई है तो किसी में १० महीने बाद जा कर नियुक्ति की गई है। कमिशन की सिफारिश पर सरकार द्वारा इस तरह से चुपचाप बैठ जाना और उन की नियुक्तियों में इतनी देर करने के लिए उस में कोई कारण भी नहीं दिया जाये यह बहुत दोषपूर्ण है। एपेंडिक्स १५ में खाली डेट ऑफ़ ऐपायेंटमैंट दे दी गई है। सरकार को चाहिए थक वह इस बारे में आगे जो आवेदन भेजें उस में पूरी तफ़सील इस सदन के सामने आनी चाहिये। इस रिपोर्ट में केवल इस प्रकार से डेट्स दे देना कि फलां तारीख पर एक आदमी का नाम कमिशन द्वारा रेकमैंड किया गया और फलां तारीख को जा कर गवर्नमैंट ने उस को नियुक्त किया, इस से काम नहीं चलता। सदन के सामने तफ़सीलवार वह विशेष परिस्थितियां और अवस्थाएं भी आनी चाहिएं कि सरकार द्वारा अमुक अमुक नियुक्तियों में क्यों देर हुई है ? और इस तफ़सील के सदन में इस पर ठीक प्रकार से विचार नहीं किया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, पबलिक स्कूल्स की हमारे यहां बहुत चर्चा चलती है । पबलिक स्कूल हमारे देश में लाभदायक हैं या हानिकारक हैं, यह एक आम चर्चा का विषय बन गया है । मैं समझता हूं कि जो परिवर्तन देश में आ रहा है उसको देखते हुए इन पबलिक स्कूलों को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए । सरकार का कहना है कि हम उन को रुपये नहीं देते लेकिन क्या यह हक़ीक़त नहीं है कि उन पबलिक स्कूलों से पढ़ कर निकले हुए विद्यार्थियों को सरकार द्वारा नियुक्तियों में प्रोत्साहन दिया जाता है ? पबलिक स्कूलों के छात्रों को नियुक्तियों में अन्य स्कूलों के छात्रों की अपेक्षा प्रोत्साहन देने की नीति सरकार और आयोग की नज़र आती है । आज की परिवर्त्तित दशा में और आज के प्रजातंत्रीय युग में इन बातों और निहित स्वार्थों को समाप्त करना चाहिए और इस प्रकार की विचारधारा को त्याग देना चाहिये । सरकार और कमिशन सब का इस बारे में सही दृष्टिकोण रहना चाहिये कि बगैर इस बात का ख़याल किये कि अमुक छात्र पबलिक स्कूल से निकला है या अन्य किसी आम स्कूल से, नियुक्ति की सिफ़ारिश करते समय और नियुक्ति करते समय सब को बराबरी के दर्जे पर देखना चाहिये ।

अन्त में मैं एक बात और कहना चाहता हूं । माननीय सदस्य श्री हरि विष्णु कामत ने उस की तरफ निर्देश दिया था और वह यह है कि हमारी जो स्प्रिचुएलिज्म है, हमारा जो आत्मसम्मान का प्रश्न है, आत्मा के बारे में विचारधारा का जो तरीक़ा है कि कितना आत्मबल हम भारतीयों में है, इसके बारे में ध्यान नहीं दिया जाता है और उस के बारे में जांच नहीं होती है जिस का कि नतीजा यह है कि सारी ख़राबियां आज हमारे सामने आ रही हैं । आत्मबल न केवल उन नौजवानों में होना चाहिए जिन का कि चयन होना है बल्कि आत्मबल हर एक देशवासी में होना आवश्यक है । आत्मबल सारे देश का प्रश्न है । वह इस माननीय सदन के सदस्यों का प्रश्न है और वह स्वयं लोक सेवा आयोग के सदस्यों का प्रश्न है । लेकिन देखने में आता है कि इस तरफ़ कोई ध्यान या जांच नहीं होती है और इस से बहुत दूर हो कर नियुक्तियां करते हैं । बहुतों को तो शायद सम्भवतः उस में विश्वास भी नहीं होता है । मेरा निवेदन है कि देश का आज जो बदला हुआ वातावरण है उसमें इस ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जाये । उस के लिए उस प्रणाली की हमें छानबीन करनी होगी । उस के लिए हर दूसरे या तीसरे वर्ष चर्चा होनी चाहिए कि क्या क्या विषय उन के सामने हैं और वे उस में क्या कर रहे हैं अथवा उन में क्या परिवर्तन होने आवश्यक हैं अथवा क्या कमी करने की जरूरत है ? मेरा सुझाव है कि इस के लिए इस सदन के सदस्य और अगर राज्य सभा के सदस्य भी हों तो कोई आपत्ति की बात नहीं है, वे ओबजरवर के तौर पर बैठें और उन के सामने यह चर्चा हो और उन से भी इस के बारे में रिपोर्ट मांगी जाये ताकि परस्पर विचारों का आदान प्रदान हो और देश में एक सही वातावरण स्थापित हो । ऐसा होने से जो बहुत सी कठिनाइयां अनुभव की जाती हैं वे भी दूर हो जायेंगी और अमली तौर से हम इस का उपयोग ठीक तौर पर कर सकेंगे । धन्यवाद ।

†**श्री सोनावने** (पंढरपुर): मैं सरकार और संघ लोक सेवा आयोग की सराहना करता हूं कि उन्हों ने विदेशों में अध्ययन के लिए अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों को १४ छात्रवृत्तियां दी हैं ।

संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों में केवल एक अनुसूचित जाति के सदस्य थे। उन के सेवानिवृत्त हुए आज दो वर्ष हो गये हैं किन्तु अभी तक उस पद को भरा नहीं गया । आयोग के आठ सदस्यों में से कम से कम एक सदस्य अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधि होना चाहिये । मुझे उन सदस्यों के रवैये पर खेद है जो यह कहते हैं कि अनुसूचित जातियों को यह प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री काशीराम गुप्त]

यह रवैया संविधान की भावना के विरुद्ध है। संविधान में ये उपबन्ध है। कि सेवा शिक्षा और जन-कल्याण के कामों में अनुसूचित जातियों के लिए स्थान सुरक्षित होने चाहियें।

मैं व्यक्तिगत परीक्षा का विरोध नहीं करता। किन्तु मेरा निवेदन है कि इस में पक्षपात नहीं होना चाहिये। आशा है कि आयोग के सदस्य जोकि उच्च सदस्यता के स्वामी हैं इस बात का ध्यान रखेंगे।

प्रतिवेदन के पृष्ठ ७ पैरा १४ में लिखा है कि विदेशों में उम्मीदवारों को चुनने के लिए आयोग के चेयरमैन विदेशों का दौरा करते हैं। इस पर सरकार का बहुत अधिक खर्च आता है। उन उम्मीदवारों को भारत में आ कर परीक्षा देनी चाहिये, या यह संभव न हो तो चेयरमैन के स्थान पर किसी और व्यक्ति को यह दौरा करना चाहिये।

अन्त में, मैं निवेदन करता हूं कि आयोग सरकार और संसद सदस्य मिल कर प्रयत्न करें कि पिछड़ी जातियों को प्रोत्साहन, सहायता और सहानुभूति प्राप्त हो।

आगरा के निकट हुई विमान दुर्घटना के बारे में वक्तव्य

†**उपाध्यक्ष महोदय** : चीनी की स्थिति पर विचार करने से पूर्व श्री राज बहादुर एक वक्तव्य देंगे।

†**परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : उपाध्यक्ष महोदय मुझे यह बताते हुए अत्यधिक दुख होता है कि आई० ए० सी० वाइकौंट वी० टी०–डी० आई० ओ० जिस से नागपुर दिल्ली की रात की डाक सेवा का संचालन होता था उस के बारे में सूचना मिली है कि वह आज प्रातः आगरा से ३३ मील की दूरी पर गिर गया है। यह नागपुर से ११ सितम्बर के ०२.३० बजे चला था और इस में १३ यात्री तथा ५ विमान चालक थ।

इस विमान से अन्तिम सन्देश ०३.४० बजे मिला जिस में विमान के पालम पहुचने का समय ०४.३४ था। ज्यों ही यह अनुभव किया गया कि विमान को पहुंचने में अत्यधिक देर हो गयी सफदरजंग से दो डकोटे तलाश करने वाले दलों सहित जिन में वरिष्ठ अधिकारी भी थे तलाश में निकल पड़े। भारतीय विमान सेवा आगरा से अन्तिम सन्देश मिला है कि मनिया रेलवे स्टेशन से ४ मील दूर जाजू गांव के निकट विमान दुर्घटना हुई है। सारा विमान जल गया है और आशा नहीं कि कोई बचा हो। मृतकों के रिश्तेदारों को सूचना दी जा रही है।

विमान के उड़ान के योग्य होने का प्रमाणपत्र डी० जी० सी० ए० ने ६ अगस्त को दिया था जो ६ अगस्त १९६४ तक मान्य था। सामान्य मरम्मत और जांच आदि नियमित रूप से की जाती रही है। भारतीय वायु सेना का हेलीकाप्टर दुर्घटना-स्थल पर भेज दिया गया है। आगरा के जिला अधिकारी भी एम्बूलेंस और चिकित्सा सम्बन्धी वस्तुओं सहित चले गये हैं।

विमान के दो कमांडर अत्यधिक अनुभवी व्यक्ति हैं और उन में से प्रत्येक १२००० घंटे विमान यात्रा कर चुका है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री हरि विष्णु कामत (होसंगाबाद): यदि माननीय मंत्री के पास यात्रियों के नामों की सूची है तो व बता दिए जाएं ।

†श्री राज बहादुर : नाम इस प्रकार हैं :—

बम्बई–दिल्ली–यात्री

१. श्री के० मिचवान, मारफत 'आत्मा सिंह मान्' नाममाई मेंशन, सर फी मेहता रोड, बम्बई ।

२. श्री वी० जे० शाह—नेहरू नगर रायल होटल के सामने पहली मंजिल जुहु—बम्बई–६ ।

३. श्री के० दत्ता, कोलीवाडा स्टेशन के सामने पहली मंजिल, सिमोन बम्बई ।

४. श्री जे० सिंह

५. श्री रियाजुद्दीन

मद्रास–दिल्ली की सवारियां

६. श्री वी० आर० जी० रतनम, वायरलेस सेल्स एंड सर्विस, माउण्ट रोड, मद्रास ।

७. श्री हसन मारीकर, मारफत डा० (कुमारी) हसन मारीकर ८/ए मो

८. श्री एम० वी० कृष्ण मूर्ति, हिंद मर्केंटाइल कारपोरेशन, २/१७१, लायड्स रोड, मद्रास ।

९. श्री सिलवा, १११, गाली रोड, रतंमलना, कोलम्बो ।

१०. श्री धर्म कीर्ति, ८८३ एतुलकोटे, श्रीलंका ।

कलकत्ता का कोई यात्री नहीं था ।

नागपुर–दिल्ली–यात्री

११. श्री एम० मिया मोरो

१२. श्री वाई० निशिवारना

१३. श्री आर० उसेनोये

९ और १० यात्री श्रीलंका के नागरिक हैं और ११ से १३ जापान के राष्ट्रजन हैं ।

†श्री कमल नयन बजाज (वर्धा): विमान चालकों के नाम क्या हैं ?

†श्री राज बहादुर : केप्टन घोसले कमांडर थे, दूसरे चालक थे केप्टन बुधवार । ये दोनों १२००० घंटे विमान यात्रा कर चुके हैं । रेडियो अधिकारी श्री साहनी, विमान परिचारिका मिस स्काट और फ्लाइट स्टीवंड पांछू ।

†श्री कमल नयन बजाज : क्या मंत्री महोदय बता सकते हैं मौसम खराब होने के कारण दुर्घटना हुई है या कुछ और गड़बड़ थी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री राज बहादुर** : जांच न्यायालय इस की जांच करेंगे । किन्तु एक बात स्पष्ट है कि ०२ : ३० से ०३ : ४० बजे तक उड़ता रहा है । शायद बाद में कुछ गड़बड़ हो गई थी ।

†**श्री तिरुमल राव** (काकिनाडा) : पालम क्या सन्देश आया था ? क्या यह कि मौसम खराब था या यह कि मशीन में खराबी हो गई थी ?

†**परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : जहां तक मुझे पता है विमान ने मार्ग में कोई सन्देश नहीं दिया । अन्तिम सन्देश था कि विमान बम्बई उड़ान क्षेत्र से चल चुका है किन्तु दिल्ली एफ० आई० आर० से कोई सम्पर्क नहीं हुआ ।

चीनी की स्थिति के बारे में चर्चा

†**उपाध्यक्ष महोदय** : इस चर्चा के लिए २ घंट का समय है ।

†**श्री राम सेवक यादव** (बाराबंकी) : चर्चा से पूर्व मैं निवेदन करना चाहता हूं । माननीय सदस्य जिस सिलसिले में बहस आरम्भ कर रहे हैं, उसी के बारे में मुझे कुछ निवेदन करना है । यह चीनी से सम्बन्धित नीति का प्रश्न है । उस के साथ खांडसारी, गुड़ गन्ने के दाम आदि सब चीजें आ जाती हैं । यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिस पर बहुत अधिक लोग बोलना चाहते हैं । खास तौर से वे लोग जिन की कुछ इस विषय पर नीतियां हैं, वे बोलना चाहते हैं । इसलिए उन को समय कम से कम पंद्रह बीस मिनट मिलना चाहिये । तभी वे अपनी बात रख सकेंगे . . .

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं ।

श्री राम सेवक यादव : दूसरा मेरा निवेदन यह है कि दो घंटे का जो समय इसके लिये रखा गया है, वह बहुत कम है । उस से पूरा नहीं पड़ेगा । इस पर कम से कम चार पांच घंटे बहस हो ।

उपाध्यक्ष महोदय : देखूंगा ।

†**श्री काशी नाथ पांडे** (हाता) : मुझ प्रसन्नता है कि यह विषय चाहे देर से ही सही चर्चा के लिए तो आया है ।

श्री राम सेवक यादव : इस में गुड़ भी शामिल है, खांडसारी भी शामिल है । देसी भाषा में बोलिये ।

श्री काशी नाथ पांडे : वह आप के जिम्मे कर दिया है ।

श्री काशी राम गुप्त : पांडे जी, कभी कभी तो हिन्दी में बोल दिया करो ।

†**श्री काशी नाथ पांडे**: भूतपूर्व खाद्य मंत्री ने १७ अप्रैल, १९५३ को चीनी (नियंत्रण) आदेश जारी किया था ताकि चीनी का मूल्य न बढ़े और उपभोक्ताओं को सुगमता रहे ।

मैं ध्वंसात्मक आलोचना के पक्ष में नहीं किन्तु हमें अपनी गलतियों के अनुभव से कुछ सीखना चाहिये । हमें उपभोग और उत्पादन की स्थिति को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही करनी चाहिये । १९५९-६० में उपभोग २० लाख टन था, १९६०-६१ में २२ लाख टन हो गया, १९६१–६२ में २५.६ लाख टन और १९६२–६३ में २६.४ लाख टन । परन्तु इस के विपरीत उत्पादन घटता

†मूल अंग्रेजी में

चला गया और १९६०–६१ का ३०.२८ लाख टन का उत्पादन, १९६२–६३ में २१.५ लाख टन रह गया था ।

वास्तव में मंत्रालय ने उपभोग के आंकड़ गलत निकाले थे । अतः ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये जिस से उपभोग के ठीक आंकड़ पता लग जायें । पहले तो अतिरिक्त उत्पादन होने पर हम मुश्किल में पड़ जाते थे किन्तु उस का निरन्तर निर्यात किया जा सकता है और उपभोग भी जनसंख्या की वृद्धि के साथ साथ बढ़ रहा है । इस के अनुसार उत्पादन बढ़ना चाहिये ।

बम्बई की स्थिति भिन्न है और हां गन्ने का भाव २ रुपये है । कृषक इस से कम नहीं लेते । वहां गन्ने से चीनी भी अधिक निकलती है । किन्तु उत्तर में गन्ने का मूल्य निर्धारित करते समय इस बात का ध्यान नहीं रखा गया और १.१० रुपये से घटा कर १.४ रुपये कर दिया गया है ।

उसी समय मैंने यह प्रश्न उठाया था कि जब तक हम गन्ने की स्थिति में सुधार न करेंगे यह संयोजक सूत्र सफल नहीं होगा । उस समय इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया था किन्तु बाद को कुछ कारखानों द्वारा गन्ने का मूल्य बढ़ाना पड़ा । सरकार को उसी समय यह कर देना था क्योंकि उस समय खांडसारी से इस की प्रतिस्पर्धा चल रही थी ।

खंडसारी वालों के मूल्य बढ़ा देने पर गन्ने वालों ने सोचा कि कारखाने भी गन्ने का मूल्य बढ़ायेंगे और इसलिये उन्हों ने कारखानों को गन्ना देना बन्द कर दिया । इस का परिणाम यह हुआ कि कारखाने जल्दी ही बन्द करने पड़े इस से उन लोगों को जोकि जीविका पर बुरा प्रभाव पड़ा जो उस में काम करते थे । यह सब बातें परस्पर सम्बन्धित हैं ।

उत्तर में लोग इस बात पर जोर दे रहे हैं कि गन्ने का मूल्य बढ़ा दिया जाये । मंत्री महोदय ने हाल ही में एक योजना तैयार की है । किन्तु इस बात में सन्देह है कि वह सफल भी हो सकेगी या नहीं । खंडसारी वालों पर आप नियंत्रण लागू नहीं कर सकते । वे इतने शक्तिमान हैं कि कभी कभी सरकारी नीति को भी प्रभावित कर देते हैं ।

(श्री तिरुमल राव पीठासीन हुए)

यद्यपि इस वर्ष फसल अच्छी हुई है किन्तु मुझे भय है कि यदि गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ाया गया तो लोग कारखानों को गन्ना न दे कर खंडसारी वालों को ही गन्ना देंगे ।

दूसरी बात यह है कि लोग यह कहते हैं कि इन कुटीर उद्योगों को बन्द न किया जाये । किन्तु देश को हानि पहुंचा कर क्या किसी उद्योग को पनपने दिया जायेगा ? खंडसारी वालों ने सरकार के साथ क्या सहयोग किया ? देश में चीनी की कमी होने पर उन्होंने खंडसारी को गोदामों में भरना शुरू कर दिया और अब वह ६० रु० मन के भाव से बिक रही है ।

चीनी का कारखाना मूल्य निर्धारित करते समय सरकार ने इस के परिव्यय-मूल्य पर ध्यान नहीं दिया था । अब मल्यों को किस सीमा तक बढ़ाया गया है ।

१९६२–६३ में काम करने वालों १७९ चीनी कारखानों में से १११ उत्तर में हैं और बाकी दक्षिण में । आप यह कह सकते हैं कि दक्षिण का देश इस के लिए अधिक अनुकल है । किन्तु क्या दक्षिण सारे देश की आवश्यकता को पूरा कर सकेगा ? वैसे महाराष्ट्र और मैसूर के कुछ ही भाग ऐसे हैं जहां गन्ने की पैदावार अधिक हो सकती है और चीनी की प्रतिशतता अधिक हो सकती है, शेष भागों और उत्तर के भागों में कोई विशेष अन्तर नहीं है । आप यह दावा नहीं कर सकते कि सारे दक्षिणी भाग में उसी प्रकार की जलवायु और सुविधायें उपलब्ध हैं जो महाराष्ट्र और मैसूर में ।

[श्री काशी नाथ पांडे]

देश में गन्ने की किस्म सुधार का एक ही केन्द्र है, कम से कम तीन केन्द्र और खोले जाने चाहियें एक पंजाब में, एक उत्तर प्रदेश में और एक उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर ।

†सभापति महोदय : माननीय सदस्य ने काफ़ी समय ले लिया है ।

†श्री काशीनाथ पांडे : मुझे कुछ और समय दिया जाये ।

†सभापति महोदय : वे पांच मिनट में भाषण समाप्त कर दें ।

†श्री विश्वनाथ राय : मेरा प्रस्ताव है कि आज सभा छः बजे तक बैठे ।

†सभापति महोदय : सरकार ने इसके लिये २ १।२ घंटे का समय नियत किया है । दो घंटे के बाद में मैं सभा की इच्छा जानने का प्रयत्न करूंगा ।

†श्री श्याम लाल सर्राफ : वे ऐसे प्रान्त से आये हैं जहां गन्ने की उपज होती है । वे बहुत सी नई बातें बता रहे हैं । उन्हें और समय दिया जाये ।

†सभापति महोदय : मैं इस बात को समझ रहा हूं किन्तु और भी बहुत से सदस्य इस विषय पर बोलना चाहते हैं । मैं उनका समय कम नहीं कर सकता ।

†श्री काशीनाथ पांडे : विभिन्न स्थानों पर तीन केन्द्र और खोल दिये जायें; क्योंकि गन्ने की जो किस्म एक स्थान के लिये उपयुक्त है वह उस से भिन्न भूमि और जलवायु के दूसरे स्थान के लिये उपयुक्त नहीं है ।

इस सम्बन्ध में मैं कुछ और सुझाव देना चाहता हूं । पहली बात तो मैं कह ही चुका हूं कि नस्ल सुधारने के और केन्द्र खोले जायें । कारखानों के सहयोग से गन्ने के विकास-कार्य में तीव्रता लाई जाये । उत्पादकों और मिल वालों को प्रोत्साहन दिया जाये । मिलों की अधिकतम क्षमता का भी उपयुक्त अनुमान लगाया जाये । मिलों की कार्यकुशलता की चौकसी रखने के लिये एक सतर्कता दल बनाया जाये । जिन मिलों में कुप्रबन्ध हो उन्हें सरकार अपने हाथ में ले ले ।

सब राज्यों में वितरण की एक जैसी नीति हो । गन्ने के सम्बन्ध में सिंचाई सम्बन्धी तथा अन्य सुविधायें उपलब्ध करवाने के लिये एक विकास कोष बनाया जाये ।

ये मेरे कुछ सुझाव हैं ।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

†श्री विभूति मिश्र (मोतीहारी) : अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने यह मोशन दिया है । नाम बुलाते समय कृपया इस बात का ध्यान रक्खा जाये कि मेरा नाम भी मोशन देने वालों में है ।

†अध्यक्ष महोदय : ठीक है, मोशन का नोटिस देने वालों में जहां उन का नाम है वहां और भी कई लोगों के नाम उस में दिये हुए हैं । लेकिन नोटिस देने से सब को कोई बोलने का हक थोड़े ही मिल जाता है ।

†श्री दे० द० पुरी (कैथल) : १७ अप्रैल, १९६३ को चीनी नियंत्रण आदेश जारी किया गया था । और बातों के साथ-साथ इस आदेश के द्वारा चीनी का कारखाना मूल्य निर्धारित

†मूल अंग्रेजी में

करने के सम्बन्ध में सरकार को शक्ति दी गई थी । उसी दिन सरकार ने एक अधिसूचना जारी की जिसके द्वारा चीनी के मूल्य निर्धारित किये गये । यह मूल्य चीनी के उत्पादन परिव्यय के आधार पर निर्धारित नहीं किये गये ।

चीनी उद्योग में उत्पादन परिव्यय को निर्धारित करना कठिन नहीं है । ४५ प्रतिशत परिव्यय गन्ने के मूल्य से सम्बन्धित है, ३५ प्रतिशत केन्द्रीय और राज्य कर हैं । मजूरी आदि के विषय में भी मजूरी बोर्ड की जांच से सहायता मिल सकती है । किन्तु यदि जैसा कि सत्य है किसी प्रदेश में चीनी का मूल्य उत्पादन परिव्यय से १२ रुपये प्रति क्विंटल कम है और किसी में १० रुपये अधिक है तो यह स्पष्ट है कि मूल्य को निर्धारित करते समय उत्पादन परिव्यय पर ध्यान नहीं दिया गया ।

सरकार ने कहा था कि मूल्य का निर्धारण करते समय जनवरी से मार्च १९६३ तक की अवधि में किसी भी क्षेत्र में उत्पादकों द्वारा बेची गई चीनी की दर के औसत को भी ध्यान में रखा जायेगा । इस काल में सरकार द्वारा चीनी पर नियंत्रण रखे जाने के सम्बन्ध में कोई कानून नहीं था फिर भी सरकार चीनी को छोड़ने पर नियंत्रण करके अप्रत्यक्ष रूप से चीनी के मूल्य पर नियंत्रण कर रही थी । सभा में कई बार यह बात कही गई थी कि सरकार उस समय के चीनी के मूल्य से सन्तुष्ट है । कुछ ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं जहां परिवहन सुविधाओं की कमी के कारण अथवा किसी अन्य कारण से चीनी की मात्रा में कमी होने के कारण मूल्य बढ़ गये हों । कुछ क्षेत्र ऐसे भी हो सकते हैं जहां किन्हीं विशेष परिस्थितियों के कारण चीनी का भाव गिर गया हो । किन्तु सरकार ने उत्पादन परिव्यय का ध्यान रखे बिना ही आदेश में चीनी का मूल्य निर्धारित कर दिया है । मेरा निवेदन है कि ये मूल्य लाभप्रद हैं । श्री पाटिल, पदत्याग करने के समय विभिन्न प्रदेशों के मूल्य-ढांचे का अध्ययन कर रहे थे । मुझे आशा है कि नये मंत्री महोदय भी इस ओर ध्यान देंगे । मूल्य उत्पादन परिव्यय पर आधारित होना चाहिये, बाजार भावों पर नहीं ।

माननीय मंत्री ने घोषणा की है कि १९६३–६४ में उत्पादकों को दो तरह के प्रोत्साहन दिये जायेंगे । उन क्षेत्रों में जहां गुड़ के लिये गन्ना दिये जाने की समस्या है न्यूनतम मूल्य १.७५ रुपये प्रति मन होगा । कुछ अन्य क्षेत्रों में भी उत्पादक को गत वर्ष से २५ नये पैसे प्रति मन की दर से अधिक मिलेगा । कारखानों को भी दो तरह के प्रोत्साहन दिये जायेंगे । प्रारम्भ के दिनों में जब गन्ने से चीनी कम मात्रा में निकलती है, १९६१ के उसी काल में तैयार की गई चीनी से अधिक मात्रा पर उत्पादन-शुल्क के सम्बन्ध में ५० प्रतिशत तक की कटौती की जायेगी । पूरी अवधि के उत्पादन पर भी १९६१ के कुल उत्पादन से अधिक मात्रा पर उत्पादन-शुल्क पर २० प्रतिशत तक की कटौती की जायेगी ।

वास्तविक समस्या तो यह है कि १९६३–६४ में १९६१ से अधिक चीनी पैदा की जाये । इस समय न तो गन्ने का क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है और न गन्ने की नस्ल सुधारी जा सकती है । हमें करना यह है कि उत्पादक को कारखानों से जो मूल्य मिलता है उस में और उन्हें खंडसारी और गुड़ वालों से जो मूल्य मिलता है उन दोनों में संतुलन स्थापित करें । मेरा सुझाव है कि गन्ने का मूल्य २ रुपये प्रति मन निर्धारित कर दिया जाये । जिससे कि गन्ने के उत्पादक कारखानों को गन्ना बेचना लाभप्रद समझ सकें ।

हमारे सामने एक कठिन कार्य है । एक वर्ष में ही हमें ५० प्रतिशत उत्पादन बढ़ाना है । हमें इसके लिये साहस के साथ महत्वपूर्ण कदम उठाना है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : समय कम है और बोलने वाले सदस्य लगभग २५ और हैं। इसलिये सदस्य १० मिनट से अधिक समय न लें।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : समय बढ़ा दिया जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : अधिक से अधिक आधा घंटे का समय बढ़ाया जा सकता है। श्री सरजू पाण्डेय।

श्री सरजू पाण्डेय (रसड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रस्तावक महोदय की बात को बहुत ध्यान से सुना है। हमारे खाद्य मंत्री जी ने जो बयान दिया था चीनी के सम्बन्ध में, उसे भी मने बहुत गौर से पढ़ा था। मुझे ताज्जुब होता है कि प्रस्तावक महोदय तथा स्वयं हमारे खाद्य मंत्री जी ने चीनी के दाम गिराने के बारे में जो तर्क दिये हैं, वे कैसे हैं। मेरी समझ में तो वे बातें नहीं आती हैं। ये बिल्कुल सही तर्क है जो चीनी के उत्पादक, चीनी के मिल मालिक दिया करते हैं। प्रस्तावक महोदय ने कहा कि चीनी की भीतरी खपत को कम करना चाहिये, इस को रेग्युलेट करना चाहिये। अपने भाषण के दौरान में दूसरी तरह से उन्होंने यह भी कहा कि खांडसारी उद्योग पर प्रतिबन्ध लगना चाहिये ताकि वे मिलों के साथ कम्पीटीशन न कर सकें और ज्यादा गन्ना मिलों को मिल सके। यदि आप ऊपरी तौर से इन चीजों को देखें तो आप को पता नहीं चलेगा। इस कंट्रोल आर्डर के बाद भी चीनी का हाल क्या हो रहा है, इस को आप देखें। इकोनोमिक टाइम्ज ने ६ सितम्बर को लिखा था :—

> "स्थानीय बाजार में चीनी काफ़ी होते हुए भी चीनी की कीमत प्रति बोरा बाजार भाव से ११ रुपये अधिक ली जाती थी।"

इसी तरह से और भी रिपोर्टें अगर आप देखें तो पता चलेगा कि गुड़, खांडसारी आदि के दाम बाजार में बढ़ते ही जा रहे हैं। खांडसारी का आलम यह है कि पिछले साल से ४९.५० रुपये से ले कर ८०.२५ रुपये तक गुड़ और खांडसारी के दाम बढ़े हैं।

दरअसल हमें यह देखना होगा कि चीनी के दाम बढ़ते क्यों हैं। मैं इस तर्क से सहमत नहीं हूं कि चीनी के दाम इसलिए बढ़ते हैं कि इसकी इंटरनल खपत बढ़ती जा रही है और इस पर रोक लगनी चाहिये और साथ ही साथ चीनी कम पैदा हुई है। इसका इलाज यह बताया गया है कि कंज्यूमर्ज पर रोक लगाई जाये या उन को चीनी खाने से रोका जाये। इस सम्बन्ध में मेरा कहना यह है कि आज भी चीनी हमारे देश में कम नहीं है। जो चीनी के व्यापारी हैं वे इस में ज्यादती करते हैं और हमारी जो सरकार है वह उनके इशारे पर चलती है। जो वे कहते हैं, वह कर देती है। अगर वे कहते हैं कि कंट्रोल लगा दो तो कंट्रोल लगा देती है और अगर वे कहते हैं कि डिकंट्रोल खतम कर दो तो डिकंट्रोल खतम कर देती है।

जो हकीकत है, उसको आपको देखना होगा। सच बात तो यह है कि चीनी के दाम बाहरी बाजार में बढ़े हुए हैं, इसलिए हिन्दुस्तान के व्यापारी भी उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। कामर्स में १ जून १९६३ को लिखा था कि चीनी के विषय में विदेशी मंडियों में इतनी स्थिरता है कि भारतीय चीनी निर्यातक चीनी के निर्यात से काफी लाभ उठा सकते हैं।

यही नहीं आप देखें कि किस तरह से दुनिया के बाजार में चीनी के बढ़ते हुए दामों ने हमारे देश के पूंजीपतियों या जो मिल मालिक हैं उन्होंने फायदा उठाने के लिए ठीक वही सुझाव दिये हैं जो कि

---

†मूल अंग्रेजी में

इन्होंने, हमारे प्रस्तावक महोदय ने दिये हैं। उनका तर्क भी वही है। पूंजीपति यही तर्क देते हैं :

> यदि निर्यात को प्राथमिकता देनी है तो आन्तरिक मूल्यों को इस स्तर पर रखने का प्रयत्न नहीं किया जाये जहां उपभोग २४ लाख टन से अधिक बढ़ जाये।

ठीक वही भाषा वे पूंजीपति भी बोलते हैं। जो पूंजीपति कहते हैं, जो मिल मालिक कहते हैं, वही प्रस्तावक महोदय का भी तर्क है। अगर एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहते हैं तो चीनी के कंजम्पशन को कम कीजिये, चीनी के दाम बढ़ा दीजिये। यह उनकी राय है...

श्री काशी नाथ पांडे : यह मैंने नहीं कहा।

श्री सरजू पाण्डेय : आपने कहा है कि कंजम्पशन को रेग्युलेट करना चाहिये।

श्री काशी नाथ पांडे : यह नहीं कहा है कि इंटरनल कंजम्पशन कम हो...

श्री सरजू पाण्डेय : आपने यह कहा है...

श्री काशी नाथ पांडे : आप गलत समझे हैं मेरी बात को।

श्री सरजू पाण्डेय : हमारा कहना यह है कि ठीक वही तर्क आज भी दिये जा रहे हैं। उन्होंने यह कहा कि देश में कंजम्पशन पर रोक लगाओ, चीनी महंगी करो ताकि ज्यादा लोग चीनी का इस्तेमाल न कर सकें और हम को अधिक चीनी एक्सपोर्ट के लिए मिल सके और हम विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकें।

यह कहा जाता है कि देश में चीनी कम है, इतनी नहीं जो हमारी जरूरतों को पूरा कर सके। आप चीनी के हिसाब को देखें। १९६०–६१ में चीनी का उत्पादन २९.९ लाख टन हुआ था। १९६१-६२ में २६.७ लाख हुआ और अब की बार १९६२–६३ में कहा जाता है कि साढ़े २१ लाख टन हुआ। ग्यारह लाख टन चीनी हमारे पास पहले की है। इस प्रकार से कोई ३ लाख टन चीनी हमारे पास हुई। अगर २६ लाख टन भीतरी कंजम्पशन के लिए चीनी रख ली जाए और पांच लाख टन बाहर भेजने के लिए रख ली जाए तब भी ३१ लाख टन चीनी ही कम नहीं है। जब हमारी आवश्यकताओं से अधिक चीनी हमारे पास है तो यह गई कहां। मैं कहना चाहता हूं कि चीनी मिल मालिकों के बारे में भी आपको सोचना होगा। ये क्या करते हैं, इसको भी आपको देखना होगा। इनका कोई भी हिसाब किताब सही नहीं होता है। इनके बारे में अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि बैलेंस शीट पे गलत बनाते हैं। किस तरह से ये चोरी करते हैं टैक्सों की। मेरे पास जजों के रिमार्क्स हैं, इन में बैलेंस शीट्स के बारे में। १९४७-४८ के बिहार के एक जजमेंट में कहा गया था कि :

> "एक मामले को देख कर ही पता लगता है कि यह सन्तुलन पत्रों पर विश्वास नहीं किया जा सकता..."

दो लाख की लागत के ऊपर सात लाख का घाटा हुआ, यह बैलेंस शीट है मिल मालिकों के ऊपर भरोसा करना कतई तौर पर गलत है। अगर आप चाहते हैं चीनी का पता लगाना कि दरअसल वे क्या करते हैं, तो इसकी आपको जांच करनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि किस तरह से दरअसल में ये आज भी चीनी को छिपाते हैं। किस तरह से चीनी को दबा जाते हैं।

कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में रिकवरी कम होता है। अभी पिछली बार खाद्य मन्त्री जी ने जवाब देते हुए बताया था एक सवाल का कि वहां मशीनें खराब हैं जिसकी इनक्वायरी हो रही है। जब

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सरजू पाण्डेय]

रिकवरी के बेसिस पर दाम निश्चित करने की बात आई तो उस वक्त उसका विरोध हुआ था और कहा गया था कि रिकवरी के बेसिस पर दाम तय नहीं होने चाहियें। उस जमाने में पाटिल साहब ने मजाक उड़ाया था और कहा था कि कमाल की बात है कि माल है उसके भी दाम दिये जायें और साथ ही साथ रद्दी के भी दाम दिये जायें। लेकिन आप देखें कि जो खोई निकलती है और जो शीरा निकलता है, वह क्या रद्दी है, क्या वह बिकता नहीं है, क्या उसके दाम नहीं मिलते हैं, क्या वह इस्तैमाल नहीं होता है। जब वह बिकता है तो उसको भी रिकवरी में शुमार क्यों नहीं किया जाना चाहिये। इस तरह का तर्क देकर उस वक्त गन्ने के किसान को कम से कम पेमेंट किया गया और यह बेचारा चुप होकर रह गया। यह उसी तरह से हुआ जैसे विभूति जी ने एक बार कहा था कि यहां पर अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा का सा हो तो लकड़ी बिकती है। तीन रुपये मन और कहीं कहीं पर चार रुपये मन सूखी लकड़ी और उसके दाम एक रुपया आठ आने और एक रुपया बारह आने। यह बात समझ में नहीं आती है। क्या इसके पीछे राज है, मालूम नहीं। गलत मशीन के आधार पर, उनके मैकेनिक चीट करते हैं, झूठी रिकवरी की रिपोर्ट तैयार करते हैं, गलत बैलेंस शीट तैयार करते हैं, लेकिन देखने वाला कोई नहीं है। जब मार्किट में दाम हाई हो जाते हैं तो उसी बेसिस पर दाम फिक्स कर दिये जाते हैं। इसलिये यह मेरा यह कहना है कि पहली चीज यह कि आप इस बात की एन्क्वायरी करें कि यह चीनी मिल मालिक करते क्या हैं? उल्टे माननीय खाद्य मन्त्री उन चीनी मिल मालिकों को कुछ इन्सेन्टिव देने जा रहे हैं, उनकी ड्यूटी को घटा रहे हैं और यह भी कह रहे हैं कि उन मिल एरियाज के लिये गन्ना रिजर्व कर दिया जाय, अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं पढ़ कर सुनाता, और यह भी कोशिश हो रही है, मजबूर किया जा रहा है किसानों को कि वे मिलों को गन्ना दें। इससे खंडसारी के उत्पादन पर रोक लगती है और हमारे देश का गृह उद्योग मरेगा और कोई तरक्की नहीं होगी। मिल मालिक चीनी बांटने में चोरी करते हैं, हिसाब तैयार करने में चोरी करते हैं, रिकवरी दिखाने में चोरी करते हैं और साथ ही साथ किसानों को कम दाम देकर लूटते हैं। दस दस दिन किसान मिलों के गेट पर गन्ना लेकर ड़ा रहता है, लेकिन उनको कोई नहीं देखता है और किसानों को गन्ने में आग लगानी पड़ती है। यह देखने की चीज है। इस सम्बन्ध में क्या हो रहा है?

इसी तरह मैं कहता हूं कि चीनी के डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका भी गलत है। चीनी में चार चार एजेन्सियां हैं : सेलिंग एजेण्ट, कमीशन एजेण्ट, होलसेलर एजेण्ट और ब्रोकर। चार चार हाथों में चीनी जाती है। अगर गवर्नमेंट कहती है कि ३० हजार टन चीनी दे दो तो जो सेलिंग एजेक्ट है, जो कि मिल मालिक होता है, वह आधा रिलीज करता है और बाकी आधा रक्खे रहता है। इस तरह से चार चार हाथों में जाकर चीनी बाजार में पहुंचती है। इसलिये जांच की जाय कि किस तरह से यह चीनी मिल मालिक कम पैदावार दिखलाते हैं और उसे छिपाते हैं।

दूसरी चीज यह है कि सेलिंग एजेण्ट व्यवस्था को खत्म किया जाना चाहिये। सारी वेंगलिंग उसी जगह से शुरू होती है और छोटे छोटे लोग मारे जाते हैं। इसको बिल्कुल बन्द कर देना चाहिये।

तीसरी चीज यह है कि गन्ने के काश्तकारों को जो १रु० ७५ न०पै० के हिसाब से कीमत दी जायेगी वह बहुत कम है। वह मुझ को उचित नहीं मालूम होता है। यहां तक कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की और सारी गवर्नमेंटों की राय है कि जो किसान को दिया जाता है, और अभी एक माननीय सदस्य ने भी यही कहा, १ रु० ७५ न० पै० देना, १ रु० ५ आ० देना, १ रु० ४ आ० देना, अन्यायपूर्ण है। अगर आप चाहते हैं कि गन्ने की काश्त बढ़े गन्ने की कीमत कम से कम दो रुपया मन दी जाये। हिन्दुस्तान के अन्दर एक ही खेती है जिससे किसान कुछ पैदा करता है। अगर २ रु० मन भी किसान को दिया जाय तो कुल

मिला कर चीनी का दाम ४० रु० मन से अधिक नहीं होगा। उसका प्रोडक्शन कास्ट इससे अधिक नहीं बैठता है। अगर जो एक्साइज ड्यूटी आप लगा रहे हैं वह भी पूरी लगाई जाय तो भी उसका दाम ४० रु० मन से ज्यादा नहीं होता। इसलिये मेरा सुझाव यह है कि अगर गन्ने के काश्तकारों को २ रु० मन से भी कम दिया जाता है तो लाजिमी तौर पर किसान गन्ने की खेती नहीं करेगा। जिस तरह से टैक्स बढ़ रहा है, लगान बढ़ रही है, उससे उनका खर्च पूरा नहीं पड़ता है। मिल वालों को तो आप छूट देते चले जा रहे हैं परन्तु किसानों की तरफ आपका ध्यान नहीं है गन्ने में किसानों का बढ़ाये हैं हालांकि खाद का दाम, पानी की कीमत, लेबर चार्जेज इसलिये अगर आप चाहते हैं कि मुल्क में दरअसल चीनी का दाम घटे और ज्यादा से ज्यादा खपत हो, जैसा कि उन्होंने कहा कि हम ३३ लाख टन पैदा करायें, तो उनको मिल वालों पर नजर रखनी होगी। अगर मिल वालों को सारी छूट दे दी गई तो चीनी मिल मालिक चीनी की चोरी करेंगे, आप बैठे खायेंगे, और इन्सपेक्टरों को खरीद लेंगे, इतना पैसा उनके पास है। आप को कोई अक्ल काम नहीं देगी। आप लाख भाषण दें, या उत्साह दें, लेकिन सारे इन्सपेक्टर खरीद लिये जाते हैं, सप्लाई आफिसर होते हैं, सारी जगहों पर चोरी का जाल बिछा हुआ है। मुल्क के हर शहर में चीनी मिल रही थी लेकिन जिस दिन से खाद्य मन्त्री ने भाषण किया उस दिन से चीनी महंगी हो गई, चीनी मिलती नहीं है। बेचारे लोग ताकते रहते हैं त्योहारों पर, इसलिये मेरे इन सुझावों पर अमल करके किसान को ज्यादा सस्ती खाद दें, उनका सौदा महंगा खरीदें ताकि वह ज्यादा से ज्यादा गन्ना पैदा करें।

श्री विभूति मिश्र (मोतीहारी) : अध्यक्ष महोदय, आज यह सवाल है कि चीनी की पैदावार क्यों कम होती जा रही है। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे प्रधान मंत्री जी आज मौजूद हैं और डा० राम सुभग सिंह भी मौजूद हैं। मैं ने एक सुझाव दिया था। प्रधान मंत्री ने उसे कबूल किया और डाक्टर साहब के जिम्मे उस को दिया था। लेकिन मेरा सुझाव आगे नहीं चला। उस का नतीजा यह हुआ कि आज हमारे सामने चीनी का संकट है। इस संकट को हम लोग कैसे दूर करें? मैं समझता हूं कि जो भी मिनिस्टर हो जाता है, जो बड़े ओहदे पर चला जाता है उस के सोचने का तरीका बदल जाता है। अगर साधारण मेम्बर कोई बात सोचता है और उसे सुझाता है तो उस पर गौर नहीं किया जाता है। अध्यक्ष महोदय आप सन् १९५२ से यहां के मेम्बर हैं, इस बीच में कई बार चीनी का संकट आया और कई बार उस का चढ़ाव उतार हमने देखा। आखिर चीनी का संकट आया क्यों? यह संकट इस लिये आया कि जो हमारा सुगर डाइरेक्टोरेट है, फूड ऐंड एग्रिकलचर मिनिस्ट्री है उस के सामने दूर की सूझ नहीं थी। आज हमारी हालत यह है कि पिछले साल जब चीनी पर १० परसेंट कटौती लगी और किसान को परेशानी हुई तो उस का नतीजा यह हुआ कि गन्ने की खेती कम हो गई, और गन्ने की खेती कम हो जाने से पिछले साल का ९ लाख टन और इस साल का २१ लाख टन, कुल ३० लाख टन चीनी हमारे पास हुई, जिसमें से २५.८७ लाख टन हमारे पिछले साल के खाने का हिसाब है और हो सकता है कि इतनी ही इस साल भी हो, और ५ लाख टन हमारे एक्सपोर्ट के लिये है। नतीजा यह है कि इस साल हमारे पास चीनी नहीं है। इस साल संकट आया है। हम लोग जब कहते हैं तो हमारी बात कोई सुनता नहीं है। न एग्रिकल्चर मिनिस्टर सुनते हैं और न फूड मिनिस्टर सुनते हैं, न उन का डाइरेक्टोरेट सुनता है : ये समझते हैं कि यही वाचस्पति हैं और वृहस्पति हैं, उन्हीं में सारी अक्ल है।

मैं आप को बतालाना चाहता हूं, प्रधान मंत्री जी भी यहां बैठे हुए हैं, कि बैंक जो हैं वे शुगर फैक्ट्री को एक मन चीनी पर फी सदी ८० रुपया देते हैं। उस में ४५ फी सदी कीमत है गन्ने की और ३५ फी सदी जो है उन की मैनुफैक्चरिंग कास्ट। यह शुगर फैक्ट्री वाले क्या करते हैं कि जो ४५ फी सदी किसान का दाम है वह देते नहीं हैं।

[श्री विभूति मिश्र]

कुछ अच्छे अच्छे किसानों को देते हैं, लेकिन अमूमन किसानों को दाम नहीं देते और उस पैसे को किसी दूसरे काम में खर्च करते हैं। किसानों को पैसा बाकी रहता है।

श्री बृज राज सिंह (बरेली) : बता दीजिये कि एलेक्शन में दे देते हैं।

श्री विभूति मिश्र : एलेक्शन में नहीं देते हैं दूसरे बिजिनेस में खर्च करते हैं। हम को एलेक्शन का ज्यादा पता है।

श्री बृजराज सिंह : अगर प्रधान मंत्री जी के सामने आप गड़बड़ बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा ?

श्री विभूति मिश्र : इस साल हमारे फूड ऐंड एग्रिकलचर मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है कि ८२.७७ करोड़ रुपये गन्ने का दाम हुआ है और उसमें से किसानों का दाम अभी २.११ करोड़ रुपये देने का है। इस साल दुनिया के बाजारों में एक टन चीनी का दाम है १२०० रुपये और हिन्दुस्तान में जो चीनी है उस की इस साल हालत यह है कि जब चीनी मिलती नहीं है, जब चीनी का अकाल है तब भी २ करोड़ रुपये से ज्यादा किसानों को कीमत बाकी है। मेरी समझ में नहीं आता है कि किसानों को कीमत क्यों बाकी है। हमारे फूड ऐंड एग्रिकल्चर मिनिस्टर साहब ने जो बयान दिया है वह बहुत सन्तोषप्रद नहीं है। उन्होंने १ रुपये ७५ न० पै० दिया है वहां के लिये जहां पर कि गुड़ और खंडसारी बनती है आप के पास इस का क्या अन्दाजा है कि गुड़ और खंडसारी फलानी जगह बनती है। हमारे मोतिहारी शहर के रहने वाले, हनुमान शुगर फैक्ट्री के मालिक, मोहन बाबू ने कहा कि १ या १½ लाख मन गन्ना पिछले साल उनके फैक्ट्री कमान्डेन्ट एरिया से गुड़ में चला गया। यह दो तरह का व्यवहार ठीक नहीं है।

दूसरी बात यह है कि पिछले साल आपने कहा कि हम रिकवरी पर काम ठीक करेंगे लेकिन इस साल १ रु० ७५ न० पै० रिकवरी पर हटा कर आप ने सीधे सीधे दाम रख दिया। आप की नीति का कोई ठीक नहीं है। कभी आप कहते हैं कि रिकवरी पर दाम रक्खेंगे और कभी कहते हैं तोल पर। इस लिये हमारी कोई खासी नीति होनी चाहिये और बतलाना चाहिये कि कौन सी नीति सरकार मानती है।

आगे मैं बतलाना चाहता हूं कि आप ने हमारे यहां एक्साइज ड्यूटी पर आधी छूट दी है मिल वालों को, ५० फी सदी। इस में कहते हैं कि ९ करोड़ में ४॥ करोड़ का घाटा होता है। मैं पूछना चाहता हूं कि आप ने किसानों को क्या इन्सेन्टिव दिया ? मजदूरी बढ़ गई, खाद का दाम बढ़ गया, बीज का दाम बढ़ गया, हल का दाम बढ़ गया। सारा खर्च बढ़ गया लेकिन किसानों को तो आप ने कुछ नहीं दिया जब कि फैक्ट्री वालों को कहा कि आधी एक्साइज ड्यूटी कर देते हैं। उत्तर, बिहार, पूर्व उत्तर प्रदेश और पंजाब में आप ने कहा कि साहब, जो नवम्बर में गन्ना क्रश करेगा उसे छूट मिलेगी, और दिसम्बर, से मार्च तक आप ने उन को २० फी सदी की रियायत दी है। "किसानों को आप ने क्या रियायत दी ? कुछ नहीं दिया।

मैं आप को बतलाना चाहता हूं कि जो फूड ऐंड एग्रिकल्चर मिनिस्टर होते हैं वे दुनिया भर का दौरा करते हैं। उन को पता होना चाहिये था कि जब दुनिया में गन्ने की खेती कम हो गई थी उस साल आप ने अपने यहां जो १० परसेन्ट का कट लगाया, वह आपने नाजायज काम किया और उस का नतीजा यह हुआ कि हमारे यहां चीनी बहुत कम हो गई, बाहर भेज नहीं पाये। सन् १९६१–६२ और १९६२–६३ में दुनिया में चीनी का उत्पादन कम हो गया। अगर मेरे पास समय होता तो मैं बतलाता। यह "इंडियन शुगर" का जुलाई का अंक है ?

इसके अलावा एक बात सब लोग कह देते हैं कि बिहार में, उत्तर प्रदेश में और पंजाब में रिकवरी बड़ी कम है । अध्यक्ष महोदय इसी में लिखा है कि जब शुगर फ़ैक्टरी चली तो बिहार में सन् १९४०–४१, में ९.८६ रिकवरी थी और बम्बई में ९.९५ थी । इसी तरह से १९४१–४२ में बिहार में १०.३५ रिकवरी थी और बम्बई में ९.८७ थी । इस प्रकार हमारी रिकवरी सन् १९४७–४८ तक अच्छी रही । उसके बाद उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब में रिकवरी कम क्यों हो गयी इसका इतिहास सुनिए । तीन आना फी मन जो केन सैस लिया जाता है उत्तर प्रदेश में, बिहार में और पंजाब में, उसको सरकार जनरल फंड में लगा देती है और छदाम भी किसान के गन्ने के उत्पादन को बढ़ाने पर खर्च नहीं करती । इसके अलावा आज १३ रुपया ६ आना सेंट्रल एक्साइज है । उसमें से भी हमको कुछ नहीं मिलता । हम करें तो क्या करें । किसान गरीब है, उसको वक्त पर पैसा नहीं मिलता ।

दूसरी बात यह है कि सारे उत्तर भारत में कहीं भी अच्छे सीड का फार्म नहीं है जैसा कि कोयम्बटूर में है । आप सोच सकते हैं कि कोयम्बटूर से बिहार, उत्तर प्रदेश और पंजाब को सीड लाने में कितना समय लग सकता है और कौन जाने बीज आवे भी या नहीं । तो उत्तर प्रदेश में, बिहार में और पंजाब में सरकार ने गन्ने के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया । और कहते हैं कि हम लोग पिछड़े हुए हैं । तो आप के पास आंकड़ा है जिससे पता चलता है कि उत्तर भारत दक्षिण भारत से कमजोर नहीं हैं लेकिन हमको सहूलियतें नहीं हैं और उनको सहूलियतें हैं ।

जब जुलाई में उनका कारखाना चलेगा तो उसके लिए आपने ७० पर सेंट की छूट दी है । लेकिन मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं कि सरकार की यह नीति शुगर के बारे में अच्छी नीति नहीं है ।

एक बात मैं कहता हूं कि हमारे फूड ऐंड ऐग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब ने कहा कि हमने इस बारे में चीफ मिनिस्टर्स से पूछा । मैं कहता हूं कि साहब हम लोग जो इस संसद् के सदस्य हैं क्या हैं ? हम कांग्रेस की तरफ ३७५ मेम्बर यहां हैं जिनके समर्थन से प्राइम मिनिस्टर बनता है, आपने हमसे नहीं पूछा और चीफ़ मिनिस्टर्स से पूछा । आखिर हमको यहां क्यों बिठाया है । हम चुनाव लड़ कर आए हैं । आप हम से नहीं पूछते चीफ़ मिनिस्टर्स से पूछते हैं । हम सरकार के बनाने वाले हैं । आप हम से नहीं पूछते और पूछते हैं उन लोगों से जिनका इस से कोई वास्ता नहीं है ।

मैं कहना चाहता हूं कि आप देखें कि शुगर के मामले में सन् १९५२–५३ से लेकर आज तक कितने उतार चढ़ाव आए ।

अब मैं बतलाना चाहता हूं कि शुगर केन के बारे में सरकार को क्या करना चाहिए । मैं चाहता हूं कि इस साल गन्ने का दाम दो रूपये मन कर दिया जाए । आप कहेंगे कि इससे कनज्यूमर को नुकसान होगा । लेकिन आप देखें कि वर्ल्ड मारकेट में १२०० रुपया एक टन चीनी का दाम दे कर लोग खाते हैं तो क्या यहां का कंज्यूमर दो तीन आने ज्यादा नहीं दे सकता

आपकी नीति में बड़ी गलती है । आपने कहा है कि १९६१–६२ को बेस साल मान कर जिसके पास २७ लाख टन से ज्यादा चीनी होगी उसको हम छट देंगे । लेकिन गन्ना तो आज जितना है उतना ही रहेगा, वह तो बढ़ेगा नहीं । इसका नतीजा यह होगा कि शुगर फ़ैक्टरी

[श्री स० मो० बनर्जी]

दूसरी फैक्ट्री का गन्ना चुरवाएगी, या लोगों में चोरी की वृत्ति होगी, गन्ना तो बढ़ेगा नहीं। गन्ना बढ़ाने का समय था जेठ में। मैं पाटिल साहब से बराबर कहता रहा कि इस समय आप किसान को इंसेंटिव दीजिए, लेकिन उस समय किसान को इंसेंटिव नहीं दिया गया। आज आप इंसेंटिव देते हैं। लेकिन हर खेतिहर यह जनाता है कि मघा और पूर्वा के बाद गन्ने की फ़सल में पैदावार नहीं बढ़ती। हो सकता है कि कहीं सूक्रोज बढ़ जाए।

अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि, जैसा कि पांडेय जी ने कहा, शुगर फैक्टरी में रिकवरी की जांच का कोई तरीका नहीं है। दूसरी बात यह है कि उत्तर भारत में फैक्टरी वालों ने अपनी फैक्टरीज को माडरनाइज नहीं किया है, जब कि साउथ में जो शुगर फैक्टरीज लगी हैं वे हाल में लगी हैं और इसलिये उनकी मैशिनरी नई है, जब कि उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब में जो शुगर फैक्टरीज लगी हैं उनकी मैशिनरी पुरानी है। अब नई मशीनों में बहुत हेर फेर हो गया है। यह भी एक कारण है कि हमारी रिकवरी कमजोर पड़ती है। रिकवरी को अच्छा करने के लिए जरूरत इस बात की है कि आप शुगर फैक्टरीज को भी देखभाल रखें।

इसके अलावा आप कहते हैं कि ९—६ से या कितने से ज्यादा रिकवरी होगी तो उसकी कीमत ज्यादा देंगे। मान लीजिए कि साउथ में रिकवरी ज्यादा होती है, लेकिन आपने तो गन्ने का दाम १ रुपया ७५ नए पैसे मुकर्रर कर रखा है। इससे ज्यादा नहीं देंगे। तो अगर साउथ में रिकवरी ज्यादा हुई तो वहां हिसाब कैसे बैठेगा।

श्री स्वर्ण सिंह : मिश्र जी, यह तो मिनिमम प्राइस है, उसके ऊपर हम दे सकते हैं और देते हैं।

श्री विभूति मिश्र : दे सकते हैं, लेकिन देते नहीं हैं; सरदार जी, हम जो गन्ना सप्लाई करते हैं उसकी तो कीमत नहीं मिलती, ज्यादा कौन देता है।

श्री स्वर्ण सिंह : आपने यह कैसे कहा कि ज्यादा नहीं देते।

श्री विभूति मिश्र : अब देखेंगे कि ज़्यादा देते हैं कि नहीं।

दूसरी बात यह है कि आप जो गुड़ पर वैट लगा रहे हैं यह ठीक नहीं है। गुड़ वाला गन्ना दूसरा होता है और चीनी वाला दूसरा। गुड़ वाला गन्ना पतला होता है। गुड़ का गन्ना कम नहीं है लेकिन जो गन्ना फैक्टरी में चीनी के लिए जाता है वह कम हो गया है। जो गन्ना चीनी के लिए जाता है वह मोटा होता है। आप यह क्यों नहीं चाहते हैं कि गुड़ कम हो, आखिर तो गुड़ पैदा हुआ उसको लोगों ने यहां खाया।

श्री स्वर्ण सिंह : मैंने अपने किसी बयान में नहीं कहा कि गन्ने पर बन्दिश है।

एक माननीय सदस्य : कोल्हुओं पर तो टैक्स लगा रखा है।

एक माननीय सदस्य : कोल्हुओं पर नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : अब आप खत्म करें। गुड़ की बात करते करते आप की आवाज भी भारी हो गयी है।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री विभूति मिश्र : चीनी पैदा होती है वैसे ही गुड़ भी पैदा किया जाता है, गुड़ को कोई फेंक तो नहीं देता। आखिर हिन्दुस्तान के लोग ही तो गुड़ खाते हैं। आप कहते हैं कि दो तिहाई से ज्यादा जो गुड़ और खांडसारी में चला जाता है वह शुगर फैक्टरी में जाना चाहिए। अगर गुड़ कम होगा तो जो लोग गुड़ खाते हैं उनको गुड़ कहां से मिलेगा।

अगर आप चाहते हैं कि गन्ने की फसल अच्छी हो तो आप किसानों को इंसेंटिव दें, उनको अच्छा बीज दें, अच्छा खाद दें और अच्छा पानी दें। तभी ज्यादा फसल हो सकती है। ऐसा करेंगे तो फसल ड्योढ़ी हो जाएगी, इस साल लोंद का महीना भ है। इसमें दो प्रकार की नीति सरकार को अपनानी होगी, एक शार्ट टर्म नीति और दूसरी लांग टर्म नीति। शार्ट टर्म नीति के बारे में मेरा सुझाव है कि गन्ने का दाम एक रुपया ७५ नए पैसे से बढ़ा कर दो रुपया कर दीजिए, मिनिमम। इसके अलावा जो आप गुड़ को कम उत्साह देना चाहते हैं उस को बन्द कीजिए।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं ने आपकी काफी संजीदगी के साथ अभी काशीनाथ जी पांडेय के भाषण को सुना और जो दूसरे दोस्त बोले उनके भाषणों को भी सुना। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि यह जो चीनी की कमी हुई है इसी को एक खुली जांच होनी चाहिए।

इसी सदन में हमारे माननीय मंत्री जी श्री पाटिल ने भाषण दिया था चीनी के बारे में, और जिस दिन उन्होंने एलान किया कि ३० लाख टन से ज्यादा पैदा हुई तो उस दिन देश के सामने उन्होंने इतना अच्छा नक्शा खींच दिया और जब वह इस सदन में चीनी के बारे में भाषण दे रहे थे तो ऐसा मालूम होता था कि यहां हमारी लोक सभा के मेम्बर नहीं बैठे हैं बल्कि चीनी की बोरियां एक दूसरे से लड़ रही हैं। उन्होंने स्वावलम्बन की एक बड़ी भावना पैदा की थी। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? क्या वाकई में....

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को कोई अच्छी मिसाल नहीं मिली थी जो मेम्बरों को चीनी की बोरियां बना दिया। वह और कोई अच्छी मिसाल दे सकते थे

श्री स० मो० बनर्जी : अध्यक्ष महोदय, मैं शक्कर की बहस में बोल रहा था इसलिए मैं ने उसी की मिसाल दी।

आज यह देखना है कि वाकई में चीनी की कमी है या चीनी के वितरण में कोई खराबी है, कोई गड़बड़ी है, क्या उसका वितरण भ्रष्ट तरीके से हुआ है जिसकी वजह से मालूम यह होता है कि आज देश में चीनी का संकट है। क्या चीनी का यह संकट वाकई वास्तविक है या यह बनावटी मसनूई है? इस बारे में मैंने बार बार इस सदन में इस बात को रखने की कोशिश की कि खुली जांच अगर हो जाय तो कम से कम मुझे भी तसल्ली हो जाय और देश के नागरिकों को भी तसल्ली हो जाय कि हां चीनी के बारे में जांच हो चुकी है और चीनी का संकट वाकई एक जैनुइन संकट है। देश में चीनी का वास्तव में कोई संकट है इस पर आज लोग विश्वास नहीं करते हैं। जिस दिन से यह नियंत्रण हुआ, चीनी पर कंट्रोल लगा तो लोग यह आशा करते थे कि जहां कंट्रोल में हमें पांच किलो चीनी मिलती थी तो पांच किलो की जगह कम से कम एक किलो और दो किलो चीनी तो मिलेगी ही लेकिन विश्वास मानिये कि सुबह साढ़े पांच बजे से लाइन लगा कर चीनी की आशा में लोग बैठे रहते हैं, हमारे छोटे छोट बच्चे और श्रमिक जोकि सुबह ६ बजे कारखाने काम

[श्री स० मो० बनर्जी]

पर पहुंचते हैं उनकी बीवियां और बहू बेटियां तड़के सुबह से लाइन में लगी रहती हैं लेकिन होता यह है कि अगर सुबह साढ़े पांच बजे जाओ तो दुकानदार, चीनी का बिक्रेता कहेगा कि क्या सुबह सुबह वगैर मुंह धोये ही चले आये हो? साढ़े ६ बजे आओ तब चीनी मिलेगी। अगर वे साढ़े ६ बजे जाते हैं तो उनको मालूम होता है कि चीनी तो ६ बजे वितरित कर दी गई। अगर उसे ७ बोरी शक्कर बांटनी है तो खाली दो बोरे खुले में बांट देता है और बाकी के ५ बोरे चोरबाजारी के जरिए हलवाइयों को दो रुपये सेर के हिसाब से बेच दिये जाते हैं। इसके लिए जिला अधिकारियों से मैंने बार बार शिकायत की, चोरबाजारी करने वाली दूकानों के नाम भी पेश किये लेकिन चीनी की ब्लैक करने वाले के विरुद्ध कोई सख्त कदम नहीं उठाया जाता है। यही कारण है कि आज देश में कंट्रोल के खिलाफ लोगों को शिकायत है क्योंकि कंट्रोल में उनको चीज मिलती नहीं है और कंट्रोलड चीज ब्लैक में चली जाती है। अब अगर कंट्रोल और डिस्ट्रिब्यूशन करने वाली मशीनरी करेप्टेड हो तो ऐसे कंट्रोल से हमें क्या फायदा है। मैं यह नहीं कहता कि अगर चीनी की कमी है तो आप कंट्रोल न कीजिये लेकिन उसके लिए आवश्यक नियंत्रण भी होना चाहिए उसके डिस्ट्रिब्यूशन पर भी नियंत्रण होना चाहिए जोकि आज नहीं हो रहा है। अगर चीनी के प्राडक्शन पर कंट्रोल हो, सही तरीके से प्राइस पर कंट्रोल हो और उसके वितरण पर भी अगर सही तरीके से कंट्रोल हो तो मैं समझता हूं कि लोगों को मुनासिब दाम पर चीनी मिल सकेगी लेकिन आज यह नहीं हो पा रहा है

कहा जाता है कि हम लोग ३३ लाख टन चीनी का उत्पादन बढ़ाने जा रहे हैं। मैं अभी से पहले से ही उनको इसके लिए मुबारकबाद देने को तैयार हूं कि वे ३३ लाख टन चीनी का उत्पादन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस लक्ष्य तक पहुंचने में मुश्किल यह होगी कि जहां इसका उत्पादन ३० लाख टन हुआ है उसी दिन से हम लोगों ने चीनी का निर्यात करना शुरू कर दिया। अमरीका को चीनी भेजी गई इसमें तकरीबन ८ करोड़ रुपये की सबसिडी हम लोगों ने दी। उसके बाद जापान में भी अपनी चीनी भेजी गई और अब भी हमारी सरकार कहती है कि जो कमिटमेंट कर चुके हैं उनको हम अवश्य पूरा करेंगे। अपना दिया हुआ बचन अवश्य निभायेंगे। रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाहि पर वचन न जाहिं, उस आदर्श के आधार पर हम अपना दिया हुआ वचन जरूर निभायेंगे भले ही देश के लोगों को शक्कर मिले या न मिले। चूंकि हम चीनी के निर्यात के लिए विदेशी से वचनबद्ध हैं इसलिए वह शक्कर तो विदेशों को जरूर जायगी ही। अब मैं यह नहीं कहता कि चीनी बाहर भेज कर विदेशी मुद्रा न बढ़ाई जाय जब विदेशी मुद्रा का संकट इस देश में है तो चीनी का निर्यात हम जरूर करें। इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकती हैं। लेकिन इसी सदन में आप से पहले जो अध्यक्ष होते थे, आयंगार साहब, उन्होंने इस बात को कहा था। मैं भाषण दे रहा था। उसके बाद मंत्री महोदय जवाब दे रहे थे और कह रहे थे कि हमें निर्यात करना चाहिए तो मैं ने कहा था कि चीनी के दाम को अगर आप घटा देंगे तो देश की चीनी की खपत बढ़ जाएगी और उपभोक्ता को फायदा होगा। देश की खपत अगर बढ़ जाएगी तो यह जो सरप्लस के नाम से आप कहते हैं पाटिल साहब इस सदन में कहने लगे **आई ऐम सिटिंग ग्रोन ए सरप्लस ग्रौफ फोर्टीन लैक टंस**। मैं बिलकुल चीनी के समुद्र में बैठा हुआ हूं। लेकिन यह समुद्र खत्म हो गया। मालूम नहीं यह कहां चला गया। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि सही तरीके से उसकी जांच होनी चाहिए, खुली जांच होनी चाहिए और यह नहीं कि इधर, उधर की बात हो अभी तो हम अपने बच्चों को कह दें कि

चीनी का इंतजाम हो रहा है, ३३ लाख टन चीनी पैदा होन जा रही है,। इस देश में अभी गुड़ का आदी बनना चाहिए। जब बच्चे गुड़ के आदी बन गये तो ६ महीने या साल भर के बाद मालूम हुआ कि ३३ लाख टन तो हो ही नहीं सकता। यह ओवरऐमविशश है। यह होगा नहीं। ३३ लाख टन होगा कैसे? काश्तकार के बारे में सवाल आता है तो काश्तकार को कहा जाता है कि तुम्हें १ रुपये ७५ नये पैसे गन्ने का दाम दिया जायगा। कुछ साल पहले उत्तर प्रदेश की सरकार और बिहार की सरकार। दोनों ने मिल कर यह पास किया कि गन्ने का रेट कम से कम कर दो रुपये मन होना चाहिए। मिनिमम रेट दो रुपये मन होना चाहिए लेकिन दो रुपये की बात जब यहां पर कही गई तो कहा यह गया कि इसमें चीनी के दाम बड़ जायेंगे और उपभोक्ता को नुकसान होगा। अगर चीनी की कीमत ज्यादा बढ़ गयी तो उपभोक्ता उसे लेंगे नहीं। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वह हिम्मत से काम ले और सरमायेदारों और चीनी मिलमालिकों के चक्कर में न जायें वे अपने सामने गन्ना उत्पादन करने वाले किसानों का हित रक्खें जो कि वाकई में इस देश में चीनी की पैदावार बढ़ा सकता है। मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय बगैर किसी हिचकिचाहट के २ रुपये प्रति मन गन्ने की मिनिमम प्राइस रख दें उसमें किसी मिलमालिक को नुकसान नहीं होगा। मैं समझता हूं कि तब उसमें चीनी के दाम भी नहीं बढ़ेंगे।

शुगर इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें कि कोई भी चीज बेकार नहीं जाती है। गन्ने के रस से चीनी बनती है। चीनी बनने के बाद बगाज का फायदा होता है प्रैसमड और मोलासेज का फायदा उठाते हैं। कभी किसी कमेटी ने यह जांच नहीं की आखिर इस इंडस्ट्री में मुनाफा कितना होता है। मेरे एक माननीय मित्र श्री पुरी न कहा कि ४५ प्रतिशत: तो गन्ने के दामों में चला जाता है और ३५ प्रतिशत मैनुफैक्चरिंग कौस्ट है। उस के बाद जो कुछ बचता है ....

श्री दे० द० पुरी: ३५ परसेंट टैक्सेज हैं।

श्री स० मो० बनर्जी: आई ऐम सौरी। ३५ परसेंट टैक्सेज हैं। उसके बाद जो कुछ बचता है उसकी बात आप सोचिये। लेकिन मैं कहता हूं कि मैन्युफैक्चरिंग कौस्ट जो कुछ हो. डाइरैक्ट टैक्सेशन में चला जाता है तो उसके बाद बचता ही क्या है? लेकिन कम से कम मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूं मैन्युफैक्चरिंग कौस्ट घट सकती है। वेज रिपोर्ट के बारे में कहा गया है कि वेज कमेटी बैठी। उस कमेटी में श्री काशीनाथ पाण्डेय और एक दूसरे सदस्य उसमें थे।। बेज रिपोर्ट के बारे में अभी तक गड़बड़ियां चलती हैं। मुझे यह कहने में शर्म महसूस होती है कि हमारा नुमायन्दा जो दूसरे हाउस यानी राज्य सभा का मैम्बर है उनका एक चीनी का कारखाना नैवेली में है, पांडे जी ने बतलाया कि अभी तक उस कारख़ाने में वेज बोर्ड की रिपोर्ट को लागू नहीं किया है। यह वह साहब हैं जो कि दूसरे हाउस में भाषण देते हैं कि इस बारे में यह होना चाहिये या वह नहीं होना चाहिये लेकिन कोई उन बन्दे खुदा से पूछे कि तुम ने वेज बोर्ड की सिफारिश को अपने कारखाने में अभी तक क्यों नहीं लागू किया? आज तक उन्होंने उस रिपोर्ट को लागू नहीं किया है।

श्री श्यामलाल सर्राफ (जम्मू तथा काश्मीर): कानून ने उन्हें कैसे छोड़ा?

श्री स० मो० बनर्जी: क़ानून छोड़ सकता है। आप समझ सकते हैं कि कभी कभी किन्हीं चीजों का लिवास ऐसा होता है कि क़ानून उनसे डरता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री स० मो० बनर्जी]

मेरे कहने का मतलब यह है कि आज गन्ने का दाम दो रुपये प्रतिमन दाम हो। एक जांच कमेटी बिठाई जाय । नोन प्राफिट्स के बारे में मैं नहीं कह रहा हूं लेकिन अननोन प्राफिट्स का हिसाब देखा जाना चाहिये ।

मैं जानता हूं कि काश्तकार गन्ना लाद कर लाता है, मिल के फाटक पर खड़े खड़े परेशान हो जाता है । आखिर को जब उसके गन्ने को मिल हारा लिया जाता है और जब उसका गन्ना मिल के फाटक पर तोला जाता है तो मैंने अपनी आंखों से देखा है कि अगर गन्ना ४० मन तोल में होता है तो लिखा रजिस्टर में केवल ३५ मन जाता है। उसके बाद रिकवरी आती है । रिक्वरी अगर उसकी ९ प्रतिशत है, तो ९ प्रतिशत : की साढ़े आठ प्रतिशत: लिखी जाती है। आधे का कभी हिसाब नहीं होता । इस तरह से जो गुप्त शुगर होती है उसका ब्लैक करने के लिये वे तैयार रहते हैं। जब रिकवरी का यहां पर एक बिल आया था तो मैं ने मंत्री महोदय से निवेदन किया था कि उसके लिए एक ऐपरेटस होना चाहिए एक मशीनरी हो, जिस से काश्तकार भी खुश रहे । उसको यकीन हो कि गन्ने का जो रस निकल उसकी रिकवरी १० प्रतिशत: या ९ प्रतिशत: होगी । लेकिन इस बारे में अभी तक कोई सांइटिफिक ऐनालिसिस नहीं हुई है ।

श्री विभूति मिश्र ने पूर्वी जिलों की बात कही । अब यह हकीकत है कि चीनी के सब से अधिक कारखाने पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में हैं। वहां कम से कम १०० चीनी मिलें होंगी जब कि अन्य जगहों पर ७० या ७२ कारखाने होंगे । पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों के लोगों की इकतसादी जिदगी इस पर निर्भर है । यह ठीक है कि उन कारखानों में नवीकरण की जरूरत है, अभी उन में मौरडरनाइजेशन की जरूरत है लेकिन उस पर ध्यान दिया जाता है । उत्तर प्रदेश की सरकार का आज भी मिलमालिकों पर करोड़ों रुपया बतौर सैस मनी के बकाया रहता है। उसको लेने की सरकार की हिम्मत नहीं है। अब मैं पूछना चाहता हूं कि सैस का पैसा अगर काश्तकारों को नहीं दिया गया, उस से काश्तकारों के लिये अच्छे बीज नहीं खरीदे गये या कोई ऐसे अन्य आवश्यक साधन नहीं किये गये तो चीनी के उत्पादन में वृद्धि कैसे संभव हो सकेगी ? अगर यह कहा जाय कि उत्तर प्रदेश के कारखाने को हटा कर आंध्र प्रदेश में ले जांयें तो वह मुमकिन नहीं है । इसके मानी तो यह हुए कि पूर्वी जिलों को खत्म करना पड़ेगा । इसलिये मेरा निवेदन है, कि चीनी के वितरण का सही तरीके से इंतजाम होना चाहिए । ५, ६ शहरों में सैलिंग एजेंट्स हों लेकिन वे एस० डी० ओ० के हाथ में न होने चाहिएं क्योंकि यह देखने में आता है कि डिस्ट्रिक्ट सप्लाई आफिसर के वहां कोई हिसाब नहीं होता है और किसी को चीनी मिलती है तो किसी को नहीं मिलती है और परिणामस्वरूप लोग बहुत परेशान होते हैं।

दूसरी चीज मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि किसानों को गन्ने को काश्त अधिक करने के लिए इंसेंटिव देना चाहिये और इसके लिए कम से कम गन्ने का रेट दो रुपया प्रति मन तय कर दिया जाय । दो रुपये से गन्ने का रेट कम न हो ।

बोनस के बारे में मैं खास कर उपमंत्री जी से कहूंगा कि मद्रास के इलाके में मुझे पता चला कि काश्तकारों के लिये बोनस देने का जो सवाल था तो नीलीकुषम मद्रास में कई सालों से बोनस नहीं दिया गया है। मैं इसके लिए जबाब चाहता हूं कि आखिर ऐसा क्यों चलने दिया जा रहा है ?

शुगर रिलीज के बारे में मैं कहूंगा कि अगर वाकई कंट्रोल को एफैक्टिव बनाना है तो प्रोडक्शन को आपको प्रोत्साहन देना होगा, प्राइस को कंट्रोल करना पड़ेगा, डिस्ट्रिब्यूशन मशी-

नगी को बिलकुल सही तरीक़े से चलाना होगा और भ्रष्ट लोगों को इस से दूर करना पड़ेगा। अगर यह नहीं होता है और इन मौजूदा गड़बड़ियों के चलते शुगर कंट्रोल को जाती है तो लोगों का उस पर से विश्वास जाता रहेगा। इस लिए ज़रूरत इस बात की है कि इस के लिए एक हाई पावर व मिशन इनक्वायरी के लिये बनाया जाय ताकि इस चीनी के सम्बन्ध में सही जांच पड़ताल हो सके। और इस में जो गड़बड़ी करते हैं जो अधिकारी इस के लिये जिम्मेदार हैं उनको सख्त से सख़्त सजा हो।

अध्यक्ष महोदय : चूंकि माननीय सदस्यों ने बहुत मांग की है, इसलिये इस बहस को साढ़े पांच बजे तक बढ़ा दिया गया है। मिनिस्टर साहब कल बहस का जबाव देंगे। अब माननीय सदस्य केवल दस मिनट लें। श्री रामेश्वर टांटिया।

श्री रामेश्वर टांटिया (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य, श्री विभूति मिश्र ने कहा कि १९६१ में चीनी का उत्पादन २७ लाख टन था, जोकि १९६२ में घट कर साढ़े इक्कीस लाख टन रह गया। इस का एक ख़ास कारण यह मालूम होता है कि सरकार ने यह प्रापेगेंडा किया कि शूगर के उत्पादन में दस परसेंट कमी होनी चाहिये। जैसा कि माननीय सदस्य, श्री विभूति मिश्र, ने कहा है,—और मैं उन के साथ सहमत हूं—यह बड़ी ग़लती हुई। जिसने सरकार को ऐसा सुझाव दिया, उस ने बड़ी ग़लती की। जिस तरीके से भी सरकार ने इस सुझाव को अपनाया, यह बड़ी ग़लती थी और इस बात की जांच करनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ।

एक तरफ़ तो हम हर प्रकार की वस्तुओं के उत्पादन में बढ़ोत्तरी के लिये चेष्टा करते हैं, और दूसरी तरफ जब उत्पादन बढ़ता है, तो फिर उस को घटाने की चेष्टा करते हैं। इसका नतीजा यह हुआ है कि यद्यपि हम कहते हैं कि हम ३३ लाख टन चीनी का उत्पादन करेंगे, लेकिन किसी को इस पर विश्वास नहीं हो रहा है कि यह बात पूरी हो सकेगी। यह मुश्किल लगता है। अगर यह हो सके, तो अच्छी बात है।

इस के बाद मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रान्तीय सरकारें १२ करोड़ रुपये सालाना शुगर मिलों से सैस के रूप में लेती हैं। दस्तूर यह है कि वह सैस का रुपया शूगरकेन के विकास और उन्नति के लिए, सड़कें बनाने के लिए, ट्यूबवैल लगाने के लिए और दूसरे कामों के लिये खर्च करना चाहिए।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

परन्तु दुःख की बात है कि न तो उस रुपये का कोई हिसाब है और न ही वह रुपया उन मदों में ख़र्च होता है, जिन के लिये वह लिया जाता है। कुछ दिन पहले जब इस सदन में इस बारे में सवाल आया, तो माननीय कृषि मंत्री ने कहा कि यह स्टेट सबजेक्ट है। परन्तु मैं पूछना चाहता हूं कि जब वह रुपया चीनी के उत्पादन के ख़र्च में वृद्धि करता है, तो क्या स्टेट गवनमेंट्स को यह अख़्तयार है कि वे उस रुपये को दूसरी मदों में एड्जस्ट कर लें और जिन मदों के लिए वह रुपया लिया गया है, उन में ख़र्च न करें? अगर सेंटर को उनको कुछ कहने का कोई हक नहीं है, तो इस बारे में कुछ परिवर्तन करना चाहिए, नहीं तो उन स्टेट्स को सैस लेने का कोई अख़्तयार नहीं है।

आज बिहार और ईस्टर्न यू० पी० की बात कही गई। वहां प्राय साठ मिलें हैं और जैसा कि मिश्र जी ने कहा है, उन में पुरानी मशीनें हैं और इस लिये वहां रिकवरी कम है। इसलिए वे मिलें लगातार खोती जा रही हैं। इसका नतीजा यह है कि पिछले साल गन्ने के उत्पादकों, किसानों, का दो, ढाई करोड़ रुपया उन मिलों में बाकी रह गया। बिहार के बारे में कहा गया कि वहां कितने सैस के रुपये पड़े हैं, जो उन्होंने आज तक ख़र्च नहीं किये।

[श्री रामेश्वर टांटिया]

मेरा निवेदन है कि या तो उस प्रान्त को, जिस के पास सैस के रुपये जमा हैं, केन्द्रीय सरकार की तरफ से यह कहा जाये कि वह उस रुपये को जल्दी से जल्दी वहां पर कृषि उन्नति के कामों पर खर्च करें, नहीं तो आईन्दा उस स्टेट को सैस का रुपया लेने का अख्त्यार नहीं है । स्टेट्स गवर्नमेंट्स रुपया लेती हैं, वह रुपया सैस का जो लेती है, वह रुपया चीनी के उपभोक्ता पर पड़ता है । अगर वह रुपया उस काम के लिये ख़र्च नहीं किया जाता है, जिस के लिए वह लिया जाता है, तो उन से स्टेट गवर्नमेंट को वह रुपया लेने का कोई अधिकार नहीं है ।

मैं आप को बताना चाहता हूं कि जहां आस्ट्रेलिया में ८ परसेंट रिकवरी थी, वहां उन्होंने १३ परसेंट कर ली । उसकी तुलना में बिहार में जहां १९४१ में रिकवरी १० परसेंट थी, वहां आज वह ८ या ८.५ परसेंट रह गई है । अगर बिहार गवर्नमेंट इस तरफ सचेष्ट रहती, तो कोई कारण नहीं था कि वह रिकवरी घटती—बल्कि वह कुछ बढ़ सकती थी । इस के लिये पूरी चेष्टा होनी चाहिये और जैसा कि पांडे जी ने कहा है, दो या तीन रिसर्च सेंटर स्थापित किये जाने चाहिये । इस के अलावा मैं कहूंगा कि सड़कें होनी चाहिये, चीनी के ट्रांस्पोर्ट का सुलभ बन्दोवस्त होना चाहिये और ट्यूववैल लगाए जाने चाहिये ।

इस बहस में गुड़ और खंडसारी का जिक्र किया गया है । गुड़ के बारे में मुझे नहीं कहना है, क्योंकि माननीय सदस्य, मिश्र जी, ने कहा है कि वह दूसरे रूप से पैदा होता है । परन्तु जहां तक मेरा ख़याल है, जिस प्रकार चीनी पैदा होती है, खंडसारी उसी रूप से पैदा होती है । यद्यपि खंडसारी के लिये सरकार ने पिछले बरस बजट के बाद हर प्रकार की सुविधा दी, परन्तु खंडसारी वालों ने जो काम किया, वह ख़ासकर स्तुति के लायक तो नहीं है । जहां आज चीनी ४० या ४२ रुपये मन के हिसाब से बिकती है, चाहे वह शहरों में ही हो—देहात में वह दो रुपये सेर तक है—, वहां खैंडसारी खुले तौर पर ६०–६५ रुपये मन के हिसाब से बिकती है । एक तरफ़ तो एक्साइज ड्यूटी उन पर कम लगती है और दूसरी तरफ चीनी की मिलों से उन का दाम दस, पंद्रह रुपये बेशी आता है । तीसरी सब से बड़ी बात यह है कि उस में १०, २५, ३० परसेंट रिकवरी कम होती है, जो कि देश का नुक्सान है । इसलिये या तो उन के लिये ऐसी मशीन आये कि उनकी रिकवरी ज्यादा हो, वर्ना खंडसारी पर भी कंट्रोल हो । आज वे गन्ने के ज्यादा दाम दे कर मिलों के उत्पादन में नुक्सान पहुंचाते हैं । इस के अलावा चीनी के व्यापारी को मिल की बनी हुई चीनी ४० रुपये मन बेचनी पड़ती है और खंडसारी वह ६० रुपये मन बेचता है । इस प्रकार उस का मन ब्लैक मार्केटिंग करने को करता है कि घटिया चीनी वह ४० रुपये मन बेचे या ६० रुपये मन बेचे । इस लिए मेरा निवेदन है कि, खंडसारी के बारे में सरकार को सोचना होगा । अगर खंडसारी वाले स्काट-फ्री रहेंगे, तो केवल चीनी-मिलों को ही नहीं, बल्कि देश को भी नुक्सान होगा ।

श्री राम सहाय पाण्डेय (गुना) : वह तो कुटीर-उद्योग है ।

श्री रामेश्वर टांटिया : वह कुटीर-उद्योग हो सकता है, लेकिन उस का मतलब यह नहीं कि वह जो मर्जी हो ले ले ।

श्री सरजू पाण्डेय ने चीनी की बहस के सम्बन्ध में पुरानी बैलेंस-शीट का जिक्र किया । मेरी समझ में नहीं आया कि उस बैलेंस-शीट का चीनी के डिस्कशन से क्या सम्बन्ध था । ख़ैर, इन बोर्डों का तो यह एम हो गया है कि कोई भी सबजेक्ट हो, कोई भी बात हो, मिल मालिकों को

और उन लोगों को, जिन को वे सरमायादार कहते हैं, बदनाम किया जाये। उन्होंने १९४१ की एक बैलेंस-शीट का जिक्र किया कि एक लाख या दो लाख का घाटा दिखाया गया, जब कि चीनी का उत्पादन बेशी किया गया। यह तो समझ की बात है कि अगर किसी चीज का उत्पादन बेशी हो और खपत कम हो, तो उस की ब्लैक क्यों होगी, वह महंगी क्यों होगी। यह बात गलत है कि चीनी का उत्पादन ज्यादा कर के घाटा दिखाया जाता है। अगर किसी ने बैलेंस-शीट में ग़लती दिखाई है, तो उससे चीनी के उत्पादन में क्या फ़र्क पड़ता है, यह बात मेरी समझ में नहीं आती। (**अन्तर्बाधायें**) मैं कहता हूं कि हो सकता है कि यह बैलेंस-शीट गलत हो, लेकिन उस से चीनी के उत्पादन में क्या फ़र्क आयगा। (**अन्तर्बाधायें**)

जहां तक शूगरकेन की प्राइस का सम्बन्ध है, जहां तक मेरा ख़याल है, मिल वाले भी यह चाहते हैं कि उस का दाम बढ़े। उनका यह मतलब नहीं है कि एक रुपया बारह आने ही दाम रहें। उनका कहना यह है कि चाहे दो रुपये दाम कर दिये जायें, लेकिन उन को इतनी वाजिब प्रोटेक्शन मिलनी चाहिये कि खंडसारी वालों पर भी, जिन पर एक्साइज ड्यूटी नहीं है और जो ६० रुपये मन के हिसाब से खंडसारी बेचते हैं, वही कानून लागू हों, जो कि मिल वालों पर लागू होते हैं। मिल वाले नहीं चाहते कि शूगरकेन के दाम घटाये जायें। शूगरकेन के दाम दो रुपये दिलाये जायें और चाहे और दो आने बेशी, परन्तु देश कम से कम यह चाहेगा कि लोगों को ठीक भाव पर चीनी उपलब्ध हो। गवर्नमेंट की तरफ से यह कहा जाता है कि हम ३३ लाख टन चीनी का उत्पादन करने जा रहे हैं, चीनी बहुत ज्यादा हो जायगी। पिछले दिनों पाटिल साहब ने कहा था कि हम चीनी को इस तरीके से रिलीज कर रहे हैं कि चीनी की कमी नहीं होगी। परन्तु आज भी हम देखते हैं कि दिल्ली में तो जरूर एक रुपये दो आने किलो के हिसाब से चीनी मिलती है....

एक माननीय सदस्य : नहीं मिलती है।

श्री रामेश्वर टांटिया :....परन्तु देहात में दो, ढाई रुपये किलो में लेनी पड़ती है। सरकार की तरफ से कहा जाता है कि एक रुपये दो आने किलो में चीनी मिलती है। दिल्ली और कलकत्ता जैसे बड़े शहरों में तो मिलती है, लेकिन देहातों में नहीं मिलती है। या तो सरकार इतनी काफ़ी मात्रा में चीनी दे कि उस को यह कहने का हक हो कि हम सवा रुपये किलो के हिसाब से चीनी मुहैया कर रहे हैं, वर्ना यह कहना फ़िजूल है। हम लोग देहात से आते हैं और हम देखते हैं कि वहां पर दो रुपये किलो चीनी बिकती है। इसका बन्दोबस्त होना चाहिए।

कई दफ़ा यह कहा गया कि हम ३३ लाख टन चीनी का उत्पादन कर रहे हैं। ३३ की साढ़े तेंतीस होनी चाहिए, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने कण्डीशन्ज को स्टडी किया होगा। स्टेट्स में जो कण्डीशन्ज पहले थीं, वे आज भी हैं। ट्यूववैल्ज और सिचाई का बन्दोबस्त दो तीन महीने में बदल नहीं जायगा। आखिर उस ने कैसे ३३ लाख टन की बात कही है? अगर वह ३३ लाख टन का उत्पादन कर सकेगी, तो देश को बड़ी खुशी होगी, अच्छी बात होगी, एक्सपोर्ट से भी हम को पैसा मिल सकेगा और आज चीनी की जो त्राहि-त्राहि मच रही है, वह भी समाप्त हो जायगी।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) : उपाध्यक्ष महोदय, चीनी से सम्बन्ध रखने वाले तीन अंग हैं—उत्पादक, उपभोक्ता और निर्माता। जहां तक उत्पादकों, गन्ने का उत्पादन करने वालों, का सम्बन्ध है, पिछले तीन वर्षों का इतिहास इस बात का साक्षी है कि गन्ने की उत्पत्ति के सम्बन्ध में उन का उत्साह धीरे धीरे कुछ कम होता चला जा रहा है। १९६०-६१ में ३७,८९,००० एकड़ में गन्ना उत्पादन किया गया और उस से ३० लाख टन के लगभग चीनी

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

ज्यादा उत्पन्न हुई। इससे उत्साहित हो कर १९६१–६२ में लगभग ५९,४२,००० एकड़ में गन्ना उत्पन्न किया गया, जिस से २७,३०,००० टन के लगभग चीनी उत्पन्न की गई। लेकिन इस दूसरे वर्ष में ऐसी स्थिति भी आई कि जब मिलों ने पूरे गन्ने को पेरने से इन्कार कर दिया, तो किसानों को विवश हो कर अपने खेतों को खाली करने के लिये अपने गन्ने को आग लगानी पड़ी और इसके लिए दूसरे उपाय बरतने पड़े। परिणाम स्वाभाविक था। १९६२–६३ में ५६ लाख ८० हजार एकड़ के अन्दर केवल गन्ना बोया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि तीन लाख टन के लगभग चीनी हमारे देश में कम उत्पन्न हुई। इससे एक समस्या हमारे देश में उत्पन्न हुई। दूसरे देशों को जो हमें चीनी का निर्यात करना था, उससे भी हमको अपना हाथ खींचना पड़ा। अपने देश के अन्दर भी चीनी के उपभोक्ताओं के सामने महंगाई का सवाल आ कर खड़ा हो गया। हमारे खाद्य मंत्री जी ने अपने एक वक्तव्य में कहा है कि भारत में इस वर्ष ३३ लाख टन चीनी के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन मैं बड़े ही नम्र शब्दों में उन के से पूछना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकारों को उन्होंने इस सम्बन्ध में कुछ निदेश दिए थे, यदि दिये थे तो जितना एक एक राज्य के लिये उन्होंने चीनी का कोटा निर्धारित किया है, उसको उन्होंने स्वीकार कर लिया है? मैं चाहता हूं कि उत्तर देते समय इस बात का जिक्र अवश्य करें कि क्या राज्य सरकारों ने इन लक्ष्यों को स्वीकार कर लिया है। मेरी जहां तक जानकारी है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि उन्होंने स्वीकार नहीं किया है और इस वर्ष अधिक से अधिक आप २७ या २८ लाख टन चीनी तक ही पहुंच सकेंगे; आप विदेशों को चीनी का जो निर्यात करना चाहते हैं और जिस के लिये कुछ आपने मार्किट भी तलाश किये हैं और इस तरह से विदेशी मुद्रा की प्राप्ति करना चाहते हैं, इस आधार पर, उसमें आप सफल हो सकेंगे, इस में भी सन्देह ही है।

जो एक सब से बड़ी न्यूनता, जो एक सब से बड़ी कमजोरी इस में दिखाई देती है, यह है कि जो उत्पादक है, उसकी सब से अधिक उपेक्षा की जाती है, उसके हितों की सब से अधिक उपेक्षा की जाती है। मेरा इशारा उस किसान की ओर है जो सावन और भादों के महीने में खेत के किनारे भीगता हुआ, पशुओं से, खेत खराब करने वालों से ऊख की रक्षा करता है; जब पैसा लेने का अवसर आता है तो उसको गिने चुने हुए पैसे ही मिलते हैं और सारा लाभ जो चीनी का उत्पादन करते हैं, खांडसारी का उत्पादन करते हैं या दूसरी चीजों का उत्पादन करते हैं, वे उठा कर ले जाते हैं। इस पैसे का वे पूरा पूरा लाभ उठा लेते हैं। मुझे यह जान कर प्रसन्नता हुई कि भारत के अतिरिक्त दो तीन देश ऐसे हैं जहां पर गन्ना बहुत अधिक उत्पन्न होता है, जैसे इंडोनेशिया, है, मारिशश है, क्यूबा है या और भी एक आध ऐसे देश हैं और वहां की स्थिति को जानने का मैंने प्रयत्न किया है। वहां पर स्थिति काफी अच्छी है। दर असल वहां पर किसानों को पहले से ही गन्ने के भाव निर्धारित करके गन्ने के सम्बन्ध में जो सुविधायें दी जाने वाली होती हैं, दे दी जाती हैं। इसके अतिरिक्त एक सब से बड़ी चीज यह है कि किसान को अपने गन्ने की क्वालिटी सम्भालने का अवसर इस आधार पर मिलता है कि एक किसान की सारी की सारी ईख को एक ही मिल ले लेती है और उससे उसको रिकवरी का अलग पता लग जाता है और उस आधार पर उस किसान में अगले साल अपने गन्ने की क्वालिटी को सम्भालने का एक उत्साह उत्पन्न होता है। अपने निर्वाचन क्षेत्र की ही बात मैं आपको बताता हूं। वहां पर तीन चीनी मिलें हैं। मेरे क्षेत्र में कुछ हिस्सा इस प्रकार का है कि जहां गन्ना अच्छी क्वालिटी का पैदा होता है और कुछ हिस्सा

इस प्रकार का है गंगा के किनारे का जिसको खादर का इलाका कहा जाता है जिस के गन्ने में से रिकवरी या चीनी उतनी अच्छी नहीं मिलती है। जो अच्छी क्वालिटी का गन्ना पैदा करते हैं, उनके साथ जब खादर वालों का गन्ना मिल जाता है और दोनों एक साथ चीनी मिलों के अन्दर पेरे जाते हैं और उन दोनों को रिकवरी के आधार पर अच्छी क्वालिटी पैदा करने वालों को मूल्य दिया जाता है, तो उनका उत्साह इसके अन्दर ढीला पड़ जाता है। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि किसानों के हितों का आप सब से पहले ध्यान रखें। जिस के हाथ में मूल है, जहां से गन्ना उत्पन्न होता है, जिस से चीनी बनती है और जिसको आप विदेशों में भी भेजते हैं और विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं, उनकी उपेक्षा आप न करें।

मुझे इस बात की याद करते हुए प्रसन्नता अनुभव होती है कि स्वर्गीय रफी अहमद किदवई भारतवर्ष के पहले खाद्य मंत्री थे जिन्होंने किसान के हित की दृष्टि से बहुत दूर जाकर, उसको राहत पहुंचाई। बजाय इसके कि वे रिकवरी के आधार पर जायें, उन्होंने बाजार को देख कर किसानों को मूल्य देना आरम्भ किया। महाराष्ट्र में भी कुछ इस प्रकार की मिलें हैं और हमारे उप रक्षा मंत्री श्री डी० आर० चव्हाण का उनसे कुछ सम्बन्ध भी है और एक बार बातचीत करते हुए उन्होंने मुझे बताया था कि हम अपने किसानों को जो मूल्य देते हैं, वह क्वालिटी के आधार पर या रिकवरी के बेसिस पर निर्धारित नहीं करते हैं। हम तो उनकी आवश्यकताओं के लिए जितने पैसे जरूरी होते हैं, उनको पहले दे देते हैं। बाकी चीनी बन कर मार्केट में जिस भाव पर बिकती है, उसका कुछ प्रतिशत हमने निर्धारित किया हुआ है, जो कि गन्ना उत्पादकों को अवश्य जाता है। यही चीज स्वर्गीय रफी अहमद किदवई ने की थी। उन्होंने यह कहा था कि जितने रुपये मन चीनी, उतने आने मन गन्ना। सीधा सादा भाव उन्होंने लगा दिया था। इससे किसानों में भी उत्साह का संचार हुआ था। अगर चीनी का भाव ४० रुपया मन है तो किसान को गन्ने का भाव ढाई रुपये मन मिल जाता था। बाकी जो साढ़े सैंतीस रुपये रह जाता था, उसके अन्दर मिल वाला आ जाता था, गवर्नमैंट आ जाती थी, दूसरे आ जाते थे। मेरा कहना यह है कि जब तक आप मूल उत्पादक के हितों की रक्षा नहीं करेंगे तब तक यह समस्या आपके सामने ज्यों की त्यों इसी प्रकार से कठिन बनी रहेगी।

अभी श्री विभूति मिश्र ने और श्री टांटिया जी ने सैस की बात कही है। इसी प्रकार से परचेज टैक्स की भी बात आती है। लगभग बारह करोड़ रुपये की ओर उन्होंने इशारा किया है। सैस को अगर आप लें तो आपको पता चलेगा कि उसका उपयोग उस रूप में नहीं हुआ है जिसके लिए वह लिया गया था। मेरा इस सम्बन्ध में एक सुझाव खाद्य मंत्री जी की सेवा में है। कोल बोर्ड में यह नियम है कि जिस समय कोयला रेलवे वेंगज में लदने लगता है, उस समय प्रति मन के हिसाब से उस पर टैक्स अलग से काट लिया जाता है और इस प्रकार से जो करोड़ों रुपया एकत्र हो जाता है, उसका उपयोग एक बोर्ड जो बना हुआ है, वह उनके हितों की रक्षा के लिए करता है, जिनके हितों की रक्षा के लिए यह टैक्स लिया जाता है। इसी प्रकार से यह जो सैस का पैसा है इसे आप राज्य सरकारों के पास मत छोड़िये। इसी प्रकार का एक बोर्ड आप बनाइये। जिन किसानों के खेत मिलों से बारह बारह मील दूर हैं और मिलों तक गन्ना ले जाने में जिनके बैलों की उम्र आधी रह जाती है, यह पैसा जो इसीलिये सुरक्षित रखा गया था, इसका उपयोग उनके हितों के लिये ही हो सके, इस हेतु आप एक स्वतन्त्र बोर्ड की स्थापना करें। राज्य सरकारों का जो पिछला इतिहास है वह इस बात का साक्षी है कि वे इन पैसों का सही उपयोग नहीं कर सकी हैं और न ही उन्होंने किया है।

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

इसलिये उनके हाथ से अब यह चीज ले ली जानी चाहिए और किसानों का पैसा जिस काम के लिये काटा जाता है, उसी के उपयोग में आना चाहिये ।

अब में महंगाई के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं । चीनी के आंकड़ों को देखने से मुझे पता चलता है कि लगभग दो लाख टन प्रति मास हमारे देश में चीनी की खपत थी । लेकिन पिछले साल इस प्रकार की स्थिति आई कि देश के किसानों में गन्ने के प्रति उत्साह कुछ कम हुआ और व्यापारियों को यह अनुभव हुआ कि गन्ना इस साल कम है और विश्व मार्किट में चीनी के भाव ऊंचे जाने लगे हैं, इस वास्ते चीनी की कमी पैदा होगी । परिणाम यह हुआ कि सितम्बर महीने में जहां देश के अन्दर दो लाख टन चीनी की खपत थी, वहां इस वर्ष साढ़े तीन लाख टन चीनी की खपत हुई । गवर्नमेंट ने भाव ऊंचे न जाने देने के लिए चीनी को मार्किट में रिलीज़ किया और इस तरह से डेढ़ लाख टन अधिक चीनी की खपत हुई । अक्टूबर में ढाई लाख टन चीनी की खपत हुई । इस तरह से अकेले इन दो महीनों में करीब दो लाख टन खपत चीनी की बढ़ गई । इसका परिणाम यह हुआ कि चीनी मार्किट से हट कर धीरे धीरे अंडर ग्राउंड चली गई ताकि आगे चल कर इसका काला बाजार किया जा सके, आगे चल कर चोर बाजारी करके पैसा अधिक कमाया जा सके । सरकार को थोड़ा सा इस किस्म की कार्रवाइयों के ऊपर भी नियंत्रण रखना होगा अगर आप देश को महंगाई से बचाना चाहते हैं । इन शब्दों को कहने का मेरा यह अभिप्राय कतई नहीं है कि में सरकार को यह निर्देश देना चाहता हूं कि सरकार कंट्रोल कर दे । जिस दिन कंट्रोल होता है उसी दिन मार्किट से चीनी या जिस किसी चीज पर कंट्रोल होता है, वह चीज, गायब हो जाती है । कंट्रोल के सम्बन्ध में जिस प्रकार का निर्णय स्वर्गीय रफी अहमद ने लिया था, उसी प्रकार का निर्णय हमारे वर्तमान खाद्य मंत्री भी लें। इस पर पार्लियामेंट के पहले दिन चर्चा एक प्रश्न के रूप में आई थी, प्रश्नोत्तर काल में और मेरे एक प्रश्न के उत्तर में यह घोषणा हुई थी कि कठिनाइयों के बावजूद भी आप कंट्रोल करने नहीं जा रहे हैं। इसका सभी ओर से स्वागत किया गया था और आपको धन्यवाद दिया गया था । इससे देश को सन्तोष हुआ था । आज वही चीज हमारे नये खाद्य मंत्री श्री स्वर्ण सिंह जी के सामने है । उनसे भी मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि देश को आप इस बात का आश्वासन अवश्य दें कि जितनी मात्रा में चीनी अपेक्षित है, उतनी मात्रा में आप देंगे । यह बात सही है और इस बारे में कोई दो रायें नहीं हो सकती हैं कि विदेशों में कतई चीनी न भेजी जाये और विदेशी मुद्रा प्राप्त न की जाये । लेकिन इसके साथ साथ आप ऐसा भी न होने दें कि भारतवर्ष के निवासी, जहां कि यह मूल उत्पत्ति है, जहां विशेष रूप से यह उत्पन्न होती है, वे तो इसके लिये तरसते रहें, सुबह से शाम तक लाइनों में खड़े रहें और केवल विदेशी मुद्रा के अर्जन के लिये हम उनका पेट काटते रहें यदि ऐसा किया जाता है तो यह उनके प्रति न्याय नहीं होगा ।

अब में निर्माताओं के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं । दो मिनट जो बाकी हैं उन में ही में समाप्त कर दूंगा । बड़े निर्माताओं के सम्बन्ध में मुझे अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है । मैं तो उन निर्माताओं के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं जो कोल्हू चला कर गुड़ उत्पन्न करते हैं या छोटे छोटे क्शर चला कर के कच्ची खांडसारी बनाते हैं । इनमें भी विशेष रूप से जो कोल्हू चलाते हैं, गुड़ उत्पन्न करते हैं मैं उनके बारे में कहना चाहता हूं । भारतवर्ष में अधिकांश गांवों में और जंगलों में रहने वाली जनसंख्या इस प्रकार की है जो गुड़ खाकर मीठे की अपनी पूर्ति करती है । उस तक न आपकी कच्ची खांडसारी जाती है और न ही मिल की चीनी जाती है । आपने जो

घोषणा की है, जो वक्तव्य दिया है उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन कच्ची खांडसारी बनाने वाले जितने व्यक्ति हैं, वे ३० प्रतिशत गन्ने का अनुभाग जो रस में जाना चाहिये, नहीं निकाल पाते हैं। कुछ आप ऐसी व्यवस्था करें जिससे उनकी मशीनरी जो है, अच्छे ट्रैक्टर जो आप बना रहे हैं और दूसरे साधन आप दे रहे हैं, उससे भी पूरा रस निकाला जा सके।

लेकिन एक का पेट इतना अधिक भर जाए और दूसरे का बिल्कुल समाप्त कर दिया जाए, यह कम से कम समाजवादी समाज की रचना के उद्देश्यों के विपरीत होगा। इसका आपको ध्यान रखना चाहिये।

†श्री ओझा (सुरेन्द्रनगर) : चीनी उद्योग भी देश के कुछ अन्य उद्योगों के समान समस्या प्रधान हो गया है। गन्ना उत्पन्न करने वाले, चीनी तैयार करने वाले, व्यापारी, उपभोक्ता कोई भी सन्तुष्ट नहीं है। नियोजित अर्थ व्यवस्था में हम उत्पादन की योजना बनाते हैं और चीनी का मूल्य निर्धारित करते हैं किन्तु उसके वितरण और उपभोग पर नियंत्रण नहीं करते। श्री पाटिल गन्ने का मूल्य बढ़ाने से सहमत नहीं थे। उनका विचार यह है कि हमारे यहां प्रति एकड़ गन्ने की पैदावार कम है और गन्ने में चीनी की प्रतिशतता भी कम है। इन चीजों में सुधार करने से उत्पादकों को बिना मूल्य बढ़ाये ही अधिक पैसा मिलने लगेगा।

जब तक प्रति एकड़ गन्ने का उत्पादन नहीं बढ़ाया जाता और गन्ने का सुक्रोस भी नहीं बढ़ाया जाता, तब तक गन्ना उत्पादकों की यह मांग उचित है कि गन्ने की कीमतें ऊंची होनी चाहियें।

मैं नियंत्रण के विरुद्ध हूं क्योंकि उससे भ्रष्टाचार में वृद्धि होती है।

जब हम लोगों को उपभोग बढ़ाने के लिए कहते हैं, तब हमें खपत के लिए पर्याप्त संभरण मिलना चाहिये।

व्यापारियों ने सरकार के विनियमों के कार्यान्वयन में साथ नहीं दिया है। वे भी कुछ भ्रष्टाचार करते हैं। चीनी, मिट्टी का तेल, चावल आदि की कमी कर दी जाती है। केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारों से अनुरोध करना चाहिए कि प्रत्येक परिवार को परिवार कार्ड देना चाहिए और ऐसे मौकों पर सभी चीजें न्यूनतम कीमतों पर राशन में मिलनी चाहियें। व्यापारियों के हाथों में चीनी के मूल्य नहीं रहने देने चाहिएं। सरकार को यह बात सुनिश्चित करवानी चाहिए कि राशन पर लिखी चीजें सबको मिलनी चाहिएं।

यद्यपि राशन हमारी अर्थ व्यवस्था में आवश्यक है, हमें इस तरीके का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। गरीबों को कम से कम दाम पर जीवन के आवश्यक पदार्थ देने के लिए हम राशन का प्रयोग कर सकते हैं।

केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारों से अनुरोध करना चाहिए कि लोगों को कम से कम जितनी चीनी की आवश्यकता है उतनी मिलनी चाहिए।

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : उपाध्यक्ष महोदय, गन्ने की खेती करने वालों के हितों का जितना खयाल सरकार रखती है वह इसी बात से साबित हो जायेगा कि यू० पी० के ५२ जिलों में गांवों में आधा पाउंड चीनी पर हैड दी जाती है और शहरों में एक पाउंड पर हैड दी जाती है। चीनी का कोटा जो है गांवों के किसानों के लिये वह आधा पाउंड के हिसाब से है एक आदमी के लिये और शहरों के लिये एक पाउंड है। जहां पर अच्छी से अच्छी बर्फियां, मिठाइयां घंटे वाले की, बढ़िया

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री रघुराज सिंह]

से बढ़िया स्वीट मीट्स रक्खी हैं, शहद की बोतलें रक्खी हैं, खाने को इतना है कि उन शहर वालों के लिये एक पाउंड पर हैड और गांवों के लिये जहां पर किसी भी भाव पर चीनी नहीं मिलती है वहां आधा पाउंड पर हैड। इसी बात से साबित हो जाएगा कि हमारी यह सरकार किसानों का कितना खयाल रखती है। दूसरी किसी तिजारत में ऐसा नहीं होता कि किराया किसान से काटा जाय। जिसका गांव मिल से एक मील पर है और जो मिल में गन्ना ले जाता है उस को १ रु० ७ आ० मन पूरा मिलेगा, लेकिन जो ८ मील दूर रहता है मिल से और बैलों की जोड़ी को परेशान करके गन्ना ले जाता है उससे २ आ० फी मन काट लिया जाता है इस लिये कि हमारा किराया कटता है। उनको इनाम मिलना चाहिए जो ८, ८ मील १० मील या १२ मील पर लेकर गया है लेकिन यह किसानों पर जुल्म और सितम है कि जो दस मील पर बैलों की जोड़ी जोत कर और खुद भूखा मर कर गया है उसको हैरस और परेशान किया जाता है और उसको दो आने कम मिलेंगे। इसी इंसाफ के साथ पता चल जायेगा कि काश्तकारों का कितना ज्यादा ख़याल इस सरकार ने रक्खा है ?

दूसरे आज तक मैंने कहीं पर और किसी भी जगह यह इंसाफ नहीं देखा कि मिल हमारे एरिया में है, मिल के लिए जमीन हमने दी है, मिल के लिए मकानात हमने बनाये हैं, लेबर हमारी लगी है, जमीनें हमारी ली गई हैं, दसवें हिस्से पर ली गई हैं लेकिन उस मिल में उस इलाके के नौजवानों को न नौकरी मिलती है, न नौजवानों को ठेका मिलता है। ५०० और १००० मील से मिल मालिक के रिश्तेदार आकर सारे इलाके को गवर्न करना चाहते हैं। अगर किसान का फायदा करना है तो सबसे पहले इस बात का ख़याल रखिये जैसी कि केन स्पेशलिस्ट्स लोगों की राय है कि हमारा २५ फ़ी सदी गन्ना टौपवोर्स से ख़राब हो जाता है, किसान को इतनी लागत लगानी पड़ती है लेकिन लागत लगाने के बाद, घरबार फूंकने के बाद उसका २५ फ़ीसदी गन्ना टौपवर्स से ख़त्म हो जाता है। टौपवोर्स से गन्ने की रक्षा करने के लिये सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई इंतजाम नहीं किया। जहां केन यूनियंस हैं, जहां हमारी यह गन्ने की यूनियंस हैं, वह स्टेट लेविल के ऊपर हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट से न उन्हें कोई इमदाद मिलती है और न इंसेंटिव मिलता है। जरूरत इस बात की है कि जहां जहां केन यूनियंस हैं, उनको इमदाद देने के लिए उनको इंसेंटिव देने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी कोशिश करे। गन्ना बोने वाले को जब तक उत्साह और प्रोत्साहन नहीं मिलेगा तब तक किस तरीके से वह अधिक गन्ना पैदा कर सकेगा ? आज तक किसान को यह उम्मीद नहीं है कि अगर वह अधिक गन्ना पैदा करेगा तो उसे कुछ ज्यादा प्राप्ति होगी। अभी सरकार का सरकुलर है, हमारी सरकार की नीति है कि जो मिल मालिकान ज्यादा उत्पन्न करेंगे चीनी की उनका २० फ़ीसदी ऐक्साइज टैक्स कम किया जायेगा। मिल मालिकों के लिए २० फी सदी ऐक्साईज का टैक्स कम किया जाएगा। अब मिल मालिक इसमें करीब ४० करोड़ रुपया कमा लेते हैं और इस ४० करोड़ में से अगर एक करोड़ रुपया भी किसानों तक नहीं पहुंचेगा तो उनसे कैसे आशा की जा सकती है कि वह अधिक गन्ना पैदा करेंगे ? मेरा कहना है कि ऐक्साइज ड्यूटी कम करके मिल मालिकों को जो फायदा पहुंचाया जा रहा है उसका बाकायदा एक प्रोरेशन काश्तकारों को मिलना चाहिए तभी काश्तकार ज्यादा गन्ना पैदा करेगा। काश्तकार गन्ना तब ज्यादा पैदा करेगा जब उसे इसके लिए कुछ प्रोत्साहन मिलेगा।

आज चीनी ६५ रुपये तक बिक रही है, ७० रुपये मन तक बिक रही है, लेकिन किसान को आज भी गन्ने की क़ीमत सिर्फ १ रुपये ७ आने प्रतिमन ही मिलती है। आज जब कि चीनी के दाम इतने अधिक बढ़ गये हैं किसान को एक आना मन भी फायदा देने की जरूरत नहीं समझी जाती है। जो मुनाफ़ा कमाया है उस में से एक आना मन भी देने को तैयार नहीं है। सरकार

अपनी चीनी की पालिसी पर दुबारा नजरवानी करे, फिर से रैव्यु करे और किसान को मौक़ा दे ताकि वह अधिक गन्ना पैदा कर सके। ख़ास तौर से जिन इलाकों में बाढ़ें आई हैं, वहां का आवपासी का खर्च खत्म होना चाहिये, वहां इर्रीगेशन का टैक्स नहीं लिया जाना चाहिये ।

देखा यह गया है कि कंट्रोल जितना बढ़ता है उतनी ही चीनी की भी कमी होती जाती है । जो चीज़ आप के पास है उस पर कंट्रोल कर दीजिये, जो मुनाफ़ाखोर हैं वह उसको एकदम ज़मींदोज़ कर देगा और यह पता नहीं लगने देगा कि वह चीज़ आख़िर चली कहां गई? वह चीज़ चोरबाज़ार में चली जाती है । जब चीज़ों की कमी होती है तो आप कंट्रोल लाते हैं, लेकिन आप देखें कि कंट्रोल से क्या हुआ ? सब से बड़ा नुक्सान कंट्रोल से यह हुआ कि जब जब कंट्रोल लगाया गया तब तब पैदावार कम हो गयी । मैं आप के सामने इसी सरकार के आंकड़े पेश करता हूं । जब चीनी पर कंट्रोल लगाया गया तो उसका नतीजा यह हुआ कि उत्पादन घट गया और खपत भी कम हो गयी । १९४२ से १९४७ के कंट्रोल युग के अंतिम तीन वर्षों में उत्पादन ११.७० लाख टन से घट कर ९.५ लाख टन हो गया और खपत १२.३० लाख टन से घट कर ९.७२ लाख टन हो गयी । १९४७ में कन्ट्रोल हटा लिये जाने पर के उत्पादन ७.७६ लाख टन से बढ़ कर ११.८२ लाख टन पर पहुंच गया। लेकिन जब १९४९ में कंट्रोल फिर लगाया गया तो उत्पादन १०.०८ से घट कर ९.७८ लाख टन हो गया । १९५२–५३ में चीनी पर से नियंत्रण बिलकुल हटा लिया गया और उत्पादन और खपत में बढ़ती शुरू हो गयी और बढ़ते बढ़ते १९५८ में २० लाख टन पर पहुंच गयी। १९५८ में कंन्ट्रोल फिर से लगा दिए गए और उत्पादन १९.७७ लाख टन से घट कर १९·१८ लाख टन हो गया । जब अक्तूबर १९५९ में नीति में पुनः संशोधन किया गया और प्रोत्साहन के लिए अनुदान दिया गया तो उत्पादन भी २९·८० लाख टन तक पहुंच गया ; और १९६२ में उत्पादन पर यह शर्त लगानी पड़ी कि एक काश्तकार अपने एक पांचवें हिस्से से ज्यादा गन्ना नहीं बो सकेगा। यू० पी० में ऐसा हुआ कि जिसके पास १०० बीघे जमीन थी उसे यह आर्डर दिया गया कि २५ बीघे से ज्यादा ज़मीन पर गन्ना नहीं बो सकेगा । इतने में मार्केट में चीनी आ गई । लेकिन जब कंट्रोल होता है तो चीनी एक-दम गुम हो जाती है। कंट्रोल से फ़ायदा उठाते हैं बिचौलिये, कन्ट्रोल से फ़ायदा उठाते हैं मुनाफा-खोर और कंट्रोल से फ़ायदा उठाते हैं वह लोग जो कि काश्तकारों और सरकार के बीच में खड़े हुए हैं। यह लोग काश्तकार को पनपते ही नहीं देते हैं। हमें यह बतलाया जाता है कि गांवों के बनिये तुम्हारा खन पीते थे, जब कि गांवों के बनिये हमारे दुख में दुखी होते थे, हमारे बच्चों की शादी का इंतजाम करते थे और उनकी तालीम का इंतज़ाम करते थे, उन के बारे में हमें यह ग़लत तालीम दी जाती है कि वह तुम्हारा खून पीते रहे हैं। अब मैं आपको बतलाऊं कि पिछले साल जो गांव का बनिया था उसने अपना क़शर लगा कर किसानों को गन्ने का २ रुपये १० आने मन का भाव दिया लेकिन इसके विपरीत यह सरकार जो कि ग़रीबों की सरकार कही जाती है और जो कि राम राज्य वाली सरकार कही जाती है उस ने हमें १ रुपये ७ आने मन का भाव दिया । अब उस तथाकथित खून पीनेवाले बनिये ने तो हम किसानों को २ रुपये १० आने मन का भाव दिया और अपने को जनता की सरकार कहने वालों ने १ रुपये ७ आने मन का ही भाव देकर बहका दिया । मिलमालिकों ने करोड़ों रुपया चीनी से मुनाफ़े में कमाया है उसका एक पैसा भी काश्तकार को नहीं दिया गया। अगर आप चाहते हैं कि किसान भी कुछ थोडा बहुत सा फ़ायदा उठा सके तो यह किसान के लिये यह रिकवरी का सवाल छोड़ दिया जाय। रिकवरी को किसान बर्दाश्त नहीं कर सकता है । रिकवरी के आंकड़े इतने टेढ़े हैं सरकार भी उस में फंस कर रह जाती है । आज जरूरत इस बात की है कि काश्तकार को सीधे २ रुपये प्रतिमन गन्ने के

[श्री यशपाल सिंह]

दाम दिये जांय । आज के जमाने में गन्ना उत्पादन करने वाली किसानों को डाइरैक्ट गन्ने की मिनिमम प्राइस दो रुपये फ़ी मन देनी चाहिए । आज उसको दो रुपये मन से कम दाम देना उसका गला काटना है और उसके साथ अन्याय और अत्याचार करना होगा । इसलिये आज कम से कम गन्ने का भाव दो रुपये मन होना चाहिये । अगर रिकवरी में मिलमालिक किसान को सही सही हिसाब दे दें, लेकिन वह हरगिज़ दे नहीं सकता, जब मिलमालिक सरकार को सही हिसाब नहीं दे सकता तो फिर वह किसान को क्या देगा ? यहां रोज आंकड़े पेश किये जाते हैं । हमारे भूतपूर्व वित्त मंत्री श्री मोरारजी देसाई ने कहा था कि ढ़ाई अरब रुपया २५० करोड़ रुपया ऐसा है जिसको मिलमालिक आज ऐवाएड कर रहे हैं और उसको देना नहीं चाहते हैं और वह सरकार को परेशान कर रहे हैं । जब यह मिल मालिक आज सरकार को इस तरह से परेशान कर रहे हैं तो फिर वे बेचारे गरीब काश्तकारों को किस तरह से रास्ता बतलायेंगे ? और किस तरह उसको सही हिसाब देंगे ? वे हरगिज़ नहीं दे सकते हैं । इसलिए किसान के नाम पर से यह रिकवरी हटायी जाय । जैसे गेहूं में चने में और दूसरी चीजों में यह रिकवरी का सवाल नहीं है उसी तरह से गन्ने में भी रिकवरी का सवाल नहीं होना चाहिए और किसान को २ रुपय मन का कम से कम डाइरैक्ट भाव ज़रूर देना चाहिये । लेकिन सैंट्रल गवर्नमेंट हमारे इन भावों को काटती है । जब मैं यू० पी० असेम्बली का मैम्बर होता था तो वहां कोशिश करके दो रुपये मन का भाव यहां पहुंचाया, बिहार से भी दो रुपये मन का भाव यहां पहुंचाया लेकिन सैंट्रल गवनमेंट ने किसान का ही सदा पेट काटा और उसे १ रुपये ७ आने या एक रुपये पांच आने मन गन्ने का दाम दिया । अब राज्य सरकारों से इसके बारे में आप पूछते हैं और उनकी राय लेते हैं तो फिर उस पर अमल भी करना चाहिए लेकिन जब उस पर आपको अमल ही नहीं करना था तो फिर उन से पूछना ही बेकार था । देश के ८५ फ़ी सदी किसानों का दारोमदार आज गन्ने के ऊपर है । गन्ने के अलावा वह और कोई फसल बो नहीं सकते हैं न उसके पास इतना साधन है कि कोई और चीज़ वह खड़ी कर सके । अब यह कहां का इंसाफ है कि गन्ने का भाव तो आज वही १ रुपया ७५ नये पैसे फ़ी मन है जब कि लकड़ी साढ़े तीन रुपये मन बिक रही है और कोयला डेढ़ रुपय मन से भी ज्यादा बिकता है ? आज कम से कम गन्ने का भाव किसान को सीधे दो रुपये मन मिलना चाहिये । यह जो पालिसी सरकार की रिकवरी की है यह किसानों का खून चूसने के लिए है । न वह रजिस्टर जानता है न उसे पता है कि किस महीने में कितनी पैदावार होती है इसलिए वह रिकवरी का झंझट ख़त्म कर के सीधे किसान को दो रुपये मन का भाव दिया जाय ।

जिन इलाकों में मिलें हैं उन इलाक़ों के लोगों को, वहां के एक मजदूर से लेकर क्लर्क तक और क्लर्क से लेकर इंजीनियर तक, जब तक उस इलाक़ के देहाती नौजवान मिलते हैं तब तक १००० मील से मिल मालिकों के रिश्तेदार और भाई भतीजे उन में लाकर न ठूंसे जांय । यह भाई भतीजा वाद वहां पर न चलाया जाय । उन मिलों में उन्हीं इलाकों के क्लर्क, मज़दूर, इंजीनियर्स और एडमिनिस्ट्रटर्स हों । जब इस तरह से इंतज़ाम चलेगा तभी किसान सुखी हो सकेगा । २ रुपये मन का गन्न का कम से कम भाव उसे दिया जाय यही आज की बहस की मंशा है ।

†**श्री भागवत झा आजाद** (भागलपुर) : चीनी के उत्पादन पर कटौती लगा कर सरकार ने बड़ी अदूरदर्शिता का प्रमाण दिया है । इस के विरूद्ध मांग भी की गई थी अगर

†मूल अंग्रेजी में

फिर भी सरकार ने यह नीति अपनाई जो कि एक वर्ष के अन्दर ही गलत सिद्ध हुई । दूसरे उन्होंने यह कटौती उस समय लागू की जब कि बोने का मौसम समाप्त हो गया । १ रु० ७५ नए पैसे की मूल्य की वृद्धि का प्रोत्साहन भी अब दिया जा रहा है।

प्रधान मंत्री ने भी कहा था कि १० प्रतिशत की कटौती नहीं होनी चाहिये । अविकसित अर्थ-व्यवस्था में हमें उस बढ़ रहे उत्पादन का प्रयोग करना चाहिए । अब हमें भविष्य के सम्बन्ध में सरकार की नीति के बारे में बताया जाना चाहिये ।

मूल्य वृद्धि के रूप में जो प्रोत्साहन दिया जाएगा उस के साथ एक शर्त यह है कि अधिक दाम उन क्षेत्रों में दिए जाएंगे जहां मिलों को गुड़ और खांडसारी उत्पादकों से प्रतियोगिता करनी पड़े । हमारी मांग यह है कि गन्ने का मूल्य २ रुपये प्रति मन बढ़ा दिया जाना चाहिए। उत्पादन तभी बढ़ सकता है कि यदि सीधे तौर पर प्रोत्साहन दिया जाए।

गुड़ और खांडसारी पर पाबन्दियां लगाने से उपभोक्ताओं को इन से वंचित रहना पड़ेगा ।

दाम को बढ़ाने की आवश्यकता है । गन्न के दाम समय पर उत्पादक को मिलने की व्यवस्था की जानी चाहिए । इस बात का प्रबन्ध किया जाना चाहिए कि गन्ना मिलों के द्वार पर तुरन्त ले लिया जाए और वहीं पर गन्ने के दाम चुकता कर देने चाहियें ।

चीनी के व्यापारियों पर पाबन्दी लगाई जानी चाहिए ताकि चोर बाज़ारी न हो सके । हम चाहते हैं कि निर्यात भी हो, क्योंकि उस से विदेशी मुद्रा का लाभ होता है । परन्तु उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को प्राथमिकता मिलनी चाहिए ।

चीनी उद्योग का कपड़े के उद्योग की तरह बहुत पहले राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए था । चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं है। अतः इसका राष्ट्रीय-करण किया जाना चाहिए ।

श्री बृज राज सिंह : सदन के दोनों ओर से काश्तकारों की भलाई के लिए आज बड़े ज़ोर दार भाषण हुए हैं। आज मैं अपने मित्र श्री भागवत झा आजाद जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने पहली बार दिल खोल कर और आज़ादी के साथ अपनी राय बात कही है । परन्तु हमारी सरकार को मुझे लगता है कि काश्तकारों से बड़ा भंयकर प्रेम हो गया है ....

श्री दी० चं० शर्मा : हमेशा से है ।

श्री बृज राज सिंह : इस भयंकर प्रेम की बात को देख कर मुझे एक शेर याद आता है :

मजे इश्क पर रहमत खुदा की
मर्ज़ बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की ।

आपका यह इश्क जो है यह काश्तकार का गला काट रहा है। आपको किसी चीज़ से प्रेम तब होता है जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है । वोट चाहिय तो कहा जाता है कि चलो काश्तकार के पास, टैक्स चाहिए, चलो काश्तकार के पास, चन्दा चाहिये तो चलो काश्तकार के पास, त्याग चाहिये तो चलो काश्तकार के पास, श्रमदान चाहिये तो वह भी काश्तकार देगा । इस भयंकर प्रेम में आप उसका गला दबाने के लिए तैयार हैं। इस सदन के दोनों ओर से किसी की आज काश्तकार के खिलाफ बोलने की जुर्रत नहीं हुई है ।

श्री भागवत झा आजाद : हम ने उसके कभी खिलाफ नहीं बोला है ।

श्री बृज राज सिंह : आज काश्तकार की क्या हालत है, इसको आप देखें, उसकी क्या गति है, इसको आप देखें । उसके सामने एक नया चुटकला छोड़ दिया जाता है, जिस की वजह से कल क्या होगा, उसको सोचकर वह परेशान होने लग जाता है । कल क्या होने वाला है, इस के बारे में एक शब्द भी नही कहा गया है ।

२६ अगस्त को हमारे थामस साहब ने एक भाषण राज्य सभा में दे दिया । काश्तकार तक बात पहूंची, दिल दहल गया, लगा कि कोल्हू भी बन्द हुआ है, गन्ने का भी उत्पादन बन्द हुआ, खांडसारी जिस के लिए आज हमारे गांव का आदमी राव बनाता है वह भी गई । काश्तकारका दिल हिल गया । एक बात मैं कहना तो नहीं चाहता था लेकिन कहे बगैर मानूंगा नहीं । चीनी बहुत मुम्किन है, थोड़े से लोगों को पकड़ कर उनका ब्रेन वाशिंग करते हों, परन्तु आज की सरकार हमारे काश्तकारों का दिन रात ब्रेन वाशिंग कर रही है । आप काश्तकार के पास जा कर देखिये, वह क्या कहता है । बच्चा बच्चा चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि हमारी कोई सिक्योरिटी नहीं है, हमारा कोई पुरखां हाल नहीं है । मैं अभी हाल ही में अपनी कंस्टिट्युएंसी में गया था (अन्तर्बाधाएं) विभूति मिश्र जी बैठ जाइये, मैं आपके बच्चों की उम्र का हूं । इस तरह से इंटरप्ट करने की जरूरत नहीं है । बाद में मैं आपको बता दूंगा । वहां पर मुझे काश्तकारों ने मेरा नाम लेकर मुझे कहा कि आपको इसलिए चुन कर भेजा था कि आप खुद काश्तकार हैं और आप के दिल में काश्तकारों के लिए दर्द है, परन्तु आज आप भी वहां जाकर कुछ नहीं कर सके हैं । आज काश्तकार मुंह फाड़ फाड़ कर कहता है कि सरकार हम से सब कुछ ले ले, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम नौ घंटे के बजाय बारह घन्ट काम करने को तैयार हैं, परन्तु हमारे बच्चों के पेट के लिए रोटी दे दे । हमें और कुछ नहीं चाहिये क्या यही कम्युनिज्म की धारणा नहीं है । क्या यह सरकार की ही करतूत का नतीजा नहीं है कि वह इस तरह से सोचने पर मजबूर हो गया है, क्या यह ब्रेन वाशिंग नहीं है ? आज आप कर क्या रहे हैं (अन्तर्बाधाएं) जो सच्ची बात है, उसको सुनने के लिए कलेजा चाहिये । कलेजा आपका थोड़ा कमजोर हो चुका है, यह मुझे मालूम है । परन्तु कोशिश कीजिये ।

प्लानिंग कमिशन तथा खादी उद्योग चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि हमें ७.५ लाख टन उत्पति कर देनी है. टारगेट पूरा कर लेना है । मैं पूछना चाहता हूं कि गुड़ और खांड-सारी का क्या कभी पूरा हुआ है ? कभी नहीं हुआ है ? यह भी काटज इंडस्ट्रीज है, इस को भी आज सरकार मानने के लिय तैयार नहीं है । बड़े खेद का विषय है । चर्खे की बात को वह मानती है । लेकिन बैल के कोल्हू से तेल पैरा जाए, इसको वह मानती नहीं है, जब कि एक्सपैलर खड़े हुए हैं । चर्खा चलता है जब कि बड़ी बड़ी स्पिनिंग मशींज खुली हुई हैं । हैंडलूम के कपड़े के लिए आप करोड़ों रुपया दे रहे हैं, उसको प्रोत्साहन देने के लिए हर तरह से तैयार हैं, लेकिन कोल्हू वाले का या हमारे खांडसारी वाले का गला दाब रहे हैं, हमें खत्म करने का प्रयत्न कर रहे हैं । मैं आपको बताऊं की खांडसारी जिस दिन रुक जाएगी, उस दिन गांव की इकोनोमी भी खत्म हो जाएगी । खांडसारी हमारे रा प्रोडक्ट को लेती है हमारा राव बनाते हैं । अगर हम रावको ले जाकर इसे बेचने का प्रयत्न करें तो उसे खरीदने वाला कोई नहीं मिलेगा । उस से खांडसारी की शक्कर बनती है । जब वे उसको लेते हैं तब जा कर हमें पैसा मिलता है । आप खांडसारी को मार रहे हैं खांडसारी को ही नहीं मार

रहे हैं. बल्कि काश्तकार को आप मार रहे हैं। एक स्टटमेंट दिया जिस से खलबली मच गई ....

श्री काशीनाथ पांडे : आपका तरीका मालूम है हमें।

श्री ओंकारलाल बेरवा (कोटा) : खलबलाहट क्यों मच गई है । शांति से सुन तो लीजिये ।

श्री बृज राज सिंह : मैं आंकड़े नहीं देना चाहता और न ही मेरा उन में विश्वास है । लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं कि यह तीस लाख टन जो चीनी बनती है, यह आप देखें कि कैसे बनती है और कितने आदमी इस में लग हुए हैं । चूंकि मैं यह साबित करना चाहता हूं कि गुड़ और खांडसारी काटेज इंडस्ट्री है, इसलिए मैं यह बात कह रहा हूं। जिन बड़ी बड़ी मशीनों को बिनोवा जी ने राक्षस की संज्ञा दी है, उन से जो चीनी तैयार होती है तीस लाख टन के करीब उस में केवल डेढ़ लाख लोग काम में लगे हुए हैं, केवल डेढ़ लाख व्यक्तियों को वे एम्प्लाय करती हैं, इतनों को ही उन में एम्प्लायमेंट मिला हुआ है । बाकी सारे का सारा काम ये मशीनों करती हैं जिन को बिनोबा जी ने राक्षस की संज्ञा दी है । इसके विपरीत केवल ढाई लाख टन खांडसारी उत्पन्न करने के लिये पचास हज़ार आदमी काम करते हैं, यह उद्योग पचास हज़ार आदमियों को रोटी देता है । उस आदमी की तरफ आपका ध्यान नहीं, उसकी रोटी छीनने की तरफ आपका ध्यान है । आप अक्सर उनकी बात कहते हैं, इसलिए नहीं कि आपका मन इन बातों पर नहीं आता है। आपका मन आता है इन बातों पर लेकिन आप मजबूर हैं क्योंकि आप सच बात कभी मानते ही नहीं हैं, केवल झूठी बात को ही मानते हैं।

फैक्ट्रीज़ की कन्जम्पशन को आप देखें और देखें कि उनका क्या स्थान बैठता है । एक तिहाई से भी कम गन्ने का कंजम्पशन हमारी फैक्ट्रीज़ करती हैं और दो तिहाई से अधिक गन्ना जो है उसका क्या होगा, क्या इसको भी आपने कभी सोचा है । एकतिहाई वालों के लिए तो प्रोत्साहन दे रहे हैं और दो तिहाई से जिन गांव वालों को रोटी मिलती है, उसके ऊपर आप लेवी लगाने की बात सोचते हैं। इस कलिकाल में इस तरह की बात सोचना पाप है । इस तरह की बात अगर आप सोचते हैं तो कल को इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे । आप काश्तकार का ब्रेन वाशिंग करके अधिक दिनों तक उसको बेवकूफ बना कर नहीं रख सकते हैं।

खांडसारी और गुड़ के बारे में शब्दों के जाल से या जादू से भले ही आप कह दें कि रिकवरी कम होती है, खराब चीज़ बनती है, परन्तु वस्तु स्थिति से आप मुंह नहीं मोड़ सकते हैं । खादी का भी तो खराब कपड़ा होता है, बहुत बढ़िया नहीं होता है, उस से बहुत ज्यादा चिकाना कपड़ा मिलें बनाती हैं। परन्तु उसको आप प्रोत्साहन देते हैं और गुड़ को आप खत्म करना चाहते हैं यह जो गुड़ है, वह मनुष्य के ही खाने की चीज़ नहीं है, जो काश्तकार को बोने में मदद करता है, जानवर, उसके इलाज के लिए भी गुड़ की आवश्यकता होती है, जब काश्तकार गन्ने को पेरता है तो एक पौना उठा कर बैल को भी खिला देता है । यदि आपने इसको खत्म कर दिया तो मनुष्य ही नहीं, काश्तकार ही नहीं, पशु भी आपको बद-दुआयें देगा । जिस दिन गांव का कोल्हू बन्द हो जाएगा ।

देश के कई करोड़ गन्ना उत्पादकों की ओर से मैं सरकार से रहम की दरख्वास्त करता हूं, भीख मांगता हूं कि उन्हें मत मारो । अगर सरकार ने ऐसा किया तो यह सरकार उसी लालची की तरह से पछतायगी जिस ने सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को चीर कर एक ही बार में सारे अंडे निकाल

लेने की बात सोची थी। फारेन एक्सचेंज आप उसी वक्त शक्कर से कमा सकते हैं जब कि हमारे यहां के ४५ करोड़ आदमियों के मुंह से चीनी छीनी न जाए। ४५ करोड़ आदमियों के मुंह को चीनी देने के लिय यह आवश्यक है क्योंकि उन में से ७५ फी सदी गांवों में रहते हैं। आप गुड़ को प्रोत्साहन द. । आप राव को प्रोत्साहन दें. । आप गन्ना उत्पादकों को प्रोत्साहन दें। एक बार यदि आप ने प्रोत्साहन दिया तो फिर यह कष्ट दूर हो सकता है अन्यथा नहीं । यदि आप ने काश्तकारों की ओर देखा नहीं, जो गरीब हैं, सतायें हुए हैं, जिन को अंग्रेज ने भी काफी हद तक सताया था, यदि आप भी उनको सताते रहे तो मैं केवल तुलसीदास की चौपाई याद दिलाऊंगा :

"तुलसी हाय गरीब की स्वर्गलोक तक जाय,

मरे ढोर की खाल से लोहा भस्म हो जाय । "

कहीं ऐसा न हो कि यह सरकार उनकी आहों से भस्म हो जाय ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री कल उत्तर देंगे ।

[इसके पश्चात लोक-सभा गुरुवार, १२ सितम्बर, १९६३/२१ भाद्र, १८८५ (शक) के लिए स्थगित हुई ।]

---

†मूल अंग्रेजी में

बुधवार, ११ सितम्बर, १९६३

२० भाद्र, १८८५ (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		२६९९—२७२५
तारांकित प्रश्न संख्या		
६०५	केरल में समुद्र कटाव द्वारा भूमि का कटाव	२६९९—२७०३
६०६	सम्पूर्णानन्द समिति	२७०३—०५
६०७	महिला शिक्षा कार्यक्रम	२७०५—०७
६०८	सड़कों के निर्माण की लागत	२७०७—०९
६०९	प्रतियोगी परिक्षाओं में हिन्दी	२७०९–१०
६१०	उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा	२७१०—१३
६११	मिर्जापुर में कोयले के निक्षप	२७१३—१५
६१२	प्राथमिक पाठशालाओं के अध्यापकों को प्रशिक्षण	२७१५—१८
६१३	जम्मू और काश्मीर में कोयला खानें	२७१८–१९
६१४	दिल्ली के कुंओं में निम्न स्तर का पानी	२७२०–२१
६१५	हिन्दी में पाठ्य पुस्तकें	२७२१—२४
६१६	कोयला खानों का खनन पट्टा	२७२५
अल्प सूचना प्रश्न संख्या		
४	बोकारो इस्पात कारखाना	२७२६—३३
प्रश्नों के लिखित उत्तर		२७३३—७१
अल्प सूचना प्रश्न संख्या		
६१७	आन्ध्र प्रदेश में मिले सोने के निक्षेप	२७३३
६१८	पहाड़ी विकास बोर्ड	२७३४
६१९	विश्वविद्यालय तथा कालिज के अध्यापकों का बीमा	२८३४
६२०	विद्यार्थियों को निःशुल्क पुस्तकें तथा वस्त्र	२७३४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)

अलप सूचना

प्रश्न संख्या

	विषय	पृष्ठ
६२१	रायल युनाइटड सर्विस इंस्टीट्यूशन म्युजियम, लन्दन .	२७३५
६२२	तेल की खोज का कार्य . .	२७३५
६२३	भ्रष्टाचार निरोध मंत्रणा समिति . .	२७३६
६२४	प्रवासी भारतीयों के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम	२७३६
६२५	स्कूलों में गणित के अनुतीर्ण विद्यार्थी	२७३६–३७
६२६	गैस ग्रिड	२७३७
६२७	आनरेरी मजिस्ट्रट . . .	२७३७
६२८	दशहरा तथा दिवाली की छुट्टियां .	२७३८

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१७४८	भगवान बुद्ध की मूर्ति .	२७३८
१७४९	उड़ीसा में सायंकालीन कालिज	२७३८–३९
१७५०	उड़ीसा उच्च न्यायालय . . .	२७३९
१७५१	उड़ीसा से भारतीय प्रशासन सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी . . .	२७३९
१७५२	महिलाओं के लिये पालिटक्नीक	२७३९–४०
१७५३	पाकिस्तानियों का अनधिकृत प्रवेश	२७४०
१७५४	राष्ट्रीय बुनियादी शिक्षा बोर्ड . .	२७४१
१७५५	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कृषक .	२७४२
१७५६	राजस्थान के विद्यार्थियों के शिक्षण भ्रमण	२७४२
१७५७	भुवनेश्वर के बहरे तथा गूंग विद्यार्थियों का कल्याण	२७४२
१७५८	भुवनेश्वर के बहरे तथा गूंगे विद्यार्थियों के स्कूल का भवन	२७४२–४३
१७५९	भुवनेश्वर में बहरे तथा गूंगे विद्यार्थियों के लिय होस्टल .	२७४३
१७६०	बहरे तथा गूंगे विद्यार्थियों के लिये स्कूल तथा कालिज .	२७४३
१७६१	उत्तर प्रदेश में खेतिहरों का कल्याण . .	२७४३
१७६२	उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों का शिक्षण–भ्रमण . .	२७४३–४४
१७६३	महाराष्ट्र में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियां	२७४४
१७६४	जैनेवा में अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन . .	२७४४–४५
१७६५	आन्ध्र प्रदेश में तेल की खोज . . .	२७४५

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित

प्रश्न संख्या

१७६६ कन्यातीर्थम् में भूतत्वीय सर्वेक्षण २७४५

१७६७ मैसूर राज्य के राजस्व कार्यालय . २७४६

१६६८ नई दिल्ली में न्यायालय २७४६

१७६६ दिल्ली के स्कूलों में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी . २७४६–४७

१७७० नागा विद्रोही २७४७

१७७१ वैज्ञानिक अनुसंधान में प्रशिक्षण . . . २७४७–४८

१७७२ अध्यापक २७४८

१७७३ ईंट के भट्टों के लिये कोयला . . २७४८–४६

१७७४ उत्तर प्रदेश में राजनीतिक पीड़ित . २७४६

१७७५ उत्तर प्रदेश में भूतत्वीय सर्वेक्षण . . २७४६

१७७६ उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों को योग्यता छात्रवृत्तियां . २७४६–५०

१७७७ क्षेत्रीय परिषदें . . . . . २७५०—५१

१७७८ एशियाई खेलों में गूंगे और बहरों का प्रशिक्षण २७५१

१७७६ अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी २७५१–५२

१७८० पाकिस्तानी जासूसी जाल . २७५२

१७८१ अन्दमान में अध्यापक . . २७५२

१७८२ विज्ञान मन्दिर २७५२–५३

१७८३ नागरिक प्रतिरक्षा . . २७५३

१७८४ केरल में तेल शोधक कारखाना . . २७५३

१७८५ अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों का निलम्बन . . २७५३–५४

१७८६ औद्योगिक प्रबन्ध पूल . २७५४

१७८७ लद्दाखी बौद्ध विहार, दिल्ली . २७५४–५५

१७८८ योग का चिकित्सा-विषयक महत्व . २७५५

१७८६ अंदमान के विद्यार्थियों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां . . २७५५

१७६० अन्दमान में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय २७५६

१७६१ अंदमान द्वीप समूह में सहकारी स्टोर . . . २७५६

१७६२ चतुर्थ याजना के दौरान सामान्य शिक्षा . २७५६–५८

१७६३ दिल्ली में शराब का उपभोग . २७५८–५६

१७६४ पैट्रोलियम उत्पादों का निर्यात २७५६

१७६५ मनीपुर राइफल्स २७५६

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१७९६	तेल की खोज के लिये प्रशिक्षण	२७५९–६०
१७९७	दिल्ली पुलिस	२७६०
१७९८	हिन्दी में नोटिंग	२७६१
१७९९	उड़ीसा में होमगार्ड .	२७६१
१८००	जंतर मंतर वेधशाला, नई दिल्ली	२७६१
१८०१	पेट्रोलियम का उत्पादन	२७६२
१८०२	प्राथमिक विद्यार्थियों में स्थान .	२७६२
१८०३	उड़ीसा के लिये कोयला .	२७६२
१८०४	उत्तर प्रदेश में शिक्षा . .	२७६३
१८०५	उड़ीसा में गैर-सरकारी कालिजों को अनुदान .	२७६३
१८०६	जवानों के मनोरंजन के लिए दिल्ली के कलाकारों की यात्रा .	२७६३
१८०७	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों को रियायत . .	२७६४
१८०८	उच्च शिक्षा के केन्द्र .	२७६४–६६
१८०९	उद्योगों में प्रशिक्षण	२७६६–६७
१८१०	सीनियर इकानामिक—स्टेटिस्टिकल इनवैस्टीगेटर	२७६७
१८११	आसाम में बिना दावे के पाकिस्तानी पार पत्र . .	२७६७
१८१२	चुने हुए विश्वविद्यालयों में अमरीकी अध्ययन सम्बन्धी विभागों की स्थापना	२७६८
१८१३	पेट्रो–केमिकल उद्योग .	२७६८
१८१४	बौक्साइट पर स्वामित्व	२७६९
१८१५	राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी .	२७६९–७०
१८१६	पन्ना खानें . .	२७७०
१८१७	एडिनबरा अन्तर्राष्ट्रीय मेला	२७७०–७१
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . .		२७७१

(१) प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, १९५७ की धारा ४३ के अंतर्गत दिनांक २३ अगस्त, १९६३ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २४३९ में प्रकाशित अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिलिप्यधिकार (चौथा संशोधन) आदेश, १९६३ की एक प्रति ।

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र—(क्रमशः)

(२) त्रिपुरा लगान तथा भूमि सुधार अधिनियम, १९६० की धारा १९८ के अन्तर्गत, दिनांक २५ मई, १९६३ के त्रिपुरा गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एफ० ३९/१६ राजस्व/६१ की एक प्रति, जिस में त्रिपुरा लगान-तथा भूमि सुधार (संशोधन) नियम, १९६३ दिये हुए हैं ।

संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव २७७२—८६

१० सितम्बर, १९६३ को गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरनवीस) द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा जारी रही । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

मंत्री द्वारा वक्तव्य २७८६—८८

परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) ने ११ सितम्बर, १९६३ को हुई इंडियन एयरलाइन्स कार्पोरेशन के एक विमान की दुर्घटना के बारे में एक वक्तव्य दिया ।

चीनी की स्थिति के बारे में चर्चा २७८८—२८१६

श्री काशीनाथ पांडे ने चीनी की स्थिति और उसका मुकाबला करने के बारे में खाद्य तथा कृषि मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य और १७ अप्रैल, १९६३ को सभा-पटल पर रखे गये चीनी (नियंत्रण) आदेश, १९६३ के बारे में चर्चा उठाई । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

बुधवार, १२ सितम्बर, १९६२/२१ भाद्र, १८८५ (शक) के लिये कार्यावलि

संघलोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव पर और चीनी की स्थिति पर अग्रेतर चर्चा ।

सत्रहवां संविधान (संशोधन) विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने के प्रस्ताव पर चर्चा ।

GMGIPND—LS III—1270 (Ai) LS 13—19—63—160

चीनी की स्थिति के बारे में चर्चा—जारी

श्री विभूति मिश्र २७९५–९९

श्री स० मो० बनर्जी २७९९–२८०३

श्री रामेश्वर टांटिया २८०३–०५

श्री प्रकाशवीर शास्त्री २८०५–०९

श्री ओझा २८०९

श्री यशपाल सिंह २८०९–१२

श्री भगवत झा आजाद २८१२–१४

श्री ब्रजराज सिंह २८१४–१६

दैनिक संक्षेपिका २८१७–२१

© १९६३ प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त ।

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम (पांचवां संस्करण) के नियम ३७९ और ३८२ के अन्तर्गत प्रकाशित और भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली की संसदीय शाखा में मुद्रित ।